दिल्ली विकास प्राधिकरण

शहरी विकास मंत्रालय,
भारत सरकार

Designed & Printed by : delhi@spancom.in

वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट 2009-10

विकास पथ पर अग्रसर – दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण

श्री एस. जयपाल रेड्डी, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री और श्री तेजेन्द्र खन्ना, उप राज्यपाल, दिल्ली यमुना खेल परिसर स्थित तीरंदाजी स्टेडियम का उद्घाटन करने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण करते हुए

श्री एस. जयपाल रेड्डी, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री यमुना खेल परिसर स्थित तीरंदाजी स्टेडियम का निरीक्षण करते हुए

श्री कपिल सिब्बल, केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री नेताजी सुभाष प्लेस में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हुए

विषय–सूची

1. दिल्ली एवं दि.वि.प्रा.–एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	01
2. वर्ष की विशेषताएं	03
3. प्राधिकरण का प्रबन्ध तंत्र	05
4. कार्मिक विभाग	10
5. सतर्कता विभाग	11
6. विधि विभाग	13
7. प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग	17
8. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप	20
9. राष्ट्रमंडल खेल 2010	28
10. योजना एवं वास्तुकला	31
11. आवास	60
12. भूमि प्रबन्ध एवं भूमि निपटान विभाग	65
13. खेल गतिविधियां	68
14. उद्यान – राजधानी को हरा–भरा बनाना	74
15. कोटि आश्वासन कक्ष	75
16. वित्त एवं लेखा विंग	77

जसोला जिला केन्द्र में सांस्थानिक विकास

1. दिल्ली एवं दि.वि.प्रा. एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

काल स्मरणातीत है। दिल्ली क्षेत्र में अनेक साम्राज्यों का उत्थान हुआ और उसके बाद वे विस्मृति में लुप्त हो गए। लगभग सभी साम्राज्य अपने पीछे अनेक स्मारक छोड़ गए, जो उनके युग के वैभव और गौरव के साक्ष्य हैं। हालांकि पौराणिक ग्रन्थों में भी दिल्ली के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है, परन्तु इस नाम से नहीं। कई सहस्राब्दि पहले, जैसा कि भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लिखित है, यह पांडवों की राजधानी थी और अत्यंत भव्य एवं समृद्ध नगरी 'इन्द्रप्रस्थ' के नाम से प्रख्यात थी।

तथापि, ऐतिहासिक अभिलेखों और अन्य साक्ष्यों के अनुसार इस क्षेत्र के प्रारम्भिक प्रसिद्ध शासक तोमर राजपूत राजवंश के थे। उन्होंने 736 ईसवी में लाल कोट का शासन संभाला, जो अब कुतुब मीनार के समीप स्थित है। ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात का संकेत भी देते हैं कि अनंगपाल नामक एक अन्य शासक को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। अजमेर के चौहान राजपूत राजाओं ने 1180 ई. में तोमर शासकों से लाल कोट जीत लिया और चौहान राजा पृथ्वीराज–III के नाम पर इसे नया नाम "किला राय पिथौरा" दिया। उन्हें 1192 ई. में मोहम्मद गौरी की अफगान सेना ने पराजित किया था। दिल्ली 1206 ई. में दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी और कुतबुद्दीन ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान बने। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, जो तत्काल ही निर्विवाद रूप से वर्तमान दिल्ली के प्रतीक के रूप में स्वीकार्य हो गया।

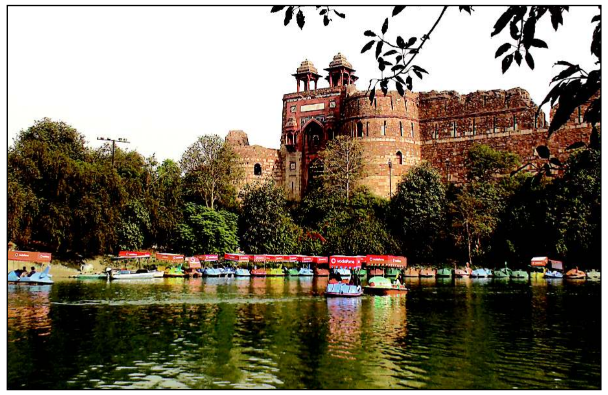

पुराने किले के पास झील का एक दृश्य

प्रायः यह कहा जाता है कि दिल्ली में हर दिशा में एक किलोमीटर की दूरी पर कोई न कोई प्राचीन स्मारक बना हुआ है। दिल्ली का भ्रमण करके इस सत्य को नकारा नहीं जा सकता। वास्तव में "किला राय पिथौरा" सहित दिल्ली "सात साम्राज्यों की राजधानी" रही है, जिनके कुछ अवशेषों को समग्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो आजकल शीशे की बनी इमारतों से घिरा है, में अभी भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और उसके आस–पास बने हुए सात भिन्न–भिन्न नगर काल–क्रमानुसार इस प्रकार हैं :–

हुमायूँ का मकबरा

- पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित किला राय पिथौरा
- अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सीरी फोर्ट
- गियासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित तुगलकाबाद
- मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित जहाँपनाह
- फिरोजशाह तुगलक द्वारा निर्मित कोटला फिरोजशाह
- हुमायूँ द्वारा निर्मित दीन पनाह
- शाहजहाँ द्वारा निर्मित शाहजहाँनाबाद

शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब के शासन काल के बाद मुगल साम्राज्य धीरे–धीरे कमज़ोर होता गया। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1857 में दिल्ली पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुरशाह ज़फ़र–II को रंगून निर्वासित कर दिया गया। सन् 1911 में दिल्ली का नाम पुनः प्रसिद्धि में आया, जब सामरिक महत्व के कारणों की वजह से ब्रिटिश शासनाधीन भारत की राजधानी कलकत्ते के स्थान पर दिल्ली को बनाया गया। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियन और हरबर्ट बेकर ने ब्रिटिश भारत की राजधानी की योजना बनाई। वायसराय का निवास स्थान (इस समय राष्ट्रपति भवन), किंग्सवे (इस समय राजपथ), सचिवालय, कनाट प्लेस आदि उनकी सौन्दर्यपरक नगर योजना के भाग थे।

युगों से दिल्ली विभिन्न शासकों के लिए वरीय रूप से शक्ति का केन्द्र रही है और इसने उत्तरी भारत में अपनी सामरिक महत्व की भौगोलिक स्थिति के कारण अपना ऐतिहासिक महत्व प्राप्त किया। इससे इसे उत्तर–पश्चिम भारत से गंगा के मैदानों तक पुराने व्यापार मार्गों में प्रभुत्व रखने में मदद मिली। इसकी अवस्थिति के कारण यह नगर प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात् विश्व के सबसे बड़े मानव–स्थानान्तरण को भी दिल्ली ने देखा। बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी दिल्ली में आए, जिससे 1951 तक दिल्ली की जनसंख्या 7 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गयी। पूरे नगर में बस्तियों के सैंकड़ों समूह अव्यवस्थित तरीके से बन गए। दिल्ली के स्मारक और उद्यान भी पाकिस्तान से भागकर आए दुःखी और बेसहारा लोगों के ट्रांजिट कैंपों में बदल गए। इस अव्यवस्थित स्थिति से आवास की भारी कमी हो गई जिसके परिणामस्वरूप कालोनियों के निर्माण में अन्धाधुन्ध वृद्धि हुई और

कुतुब परिसर स्थित अनोखा लौह स्तम्भ

बहुत सारी स्लम बस्तियां बन गई। इस अव्यवस्थित वृद्धि को रोकने और दिल्ली के सुव्यवस्थित विकास को नियोजित करने के लिए केन्द्र सरकार ने 1950 में श्री जी.डी. बिरला की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इस कमेटी ने दिल्ली में सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक 'एकल योजना और नियंत्रक प्राधिकरण' स्थापित करने की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप, दिल्ली (भवन परिचालन नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 को लागू करके दिल्ली विकास (अनन्तिम) प्राधिकरण का गठन किया गया। दिल्ली विकास प्राधिकरण की वर्तमान पहचान 27 दिसम्बर 1957 को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के द्वारा मिली।

दिल्ली की पहली मुख्य योजना सन् 1962 में 1982 के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई। 1990 में एक संशोधित योजना बनाई गई। इस बार यह योजना वर्ष 2001 के परिप्रेक्ष्य में थी। अब दि.वि.प्रा. ने नई सहस्राब्दि में दिल्ली मुख्य योजना–2021 के साथ अपने नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। दिल्ली मुख्य योजना–2021 ने दिल्ली को एक ग्लोबल महानगर और एक विश्व स्तर का नगर बनाने के प्रयास किए हैं, जहां सभी लोग एक बेहतर जीवन स्तर की ओर अग्रसर हों और अच्छे वातावरण में रहें। यह अच्छा भौतिक

अजमेरी गेट स्थित एंग्लो–अरेबिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल

और सामाजिक वातावरण प्राकृतिक संसाधनों तथा संबंधित पर्यावरण संबंधी आधारिक संरचना का अधिकतम परिनियोजन करने के साथ–साथ वातावरण को संरक्षित करने और 19 प्रतिशत हरित क्षेत्र के रखरखाव से सृजित होगा। इस योजना में खुले भू–दृश्यों का विकास एवं संरक्षण करना और प्रदूषण में यथेष्ट कमी करना शामिल है। दि.मु.यो.–2021 में मौजूदा भूमि नीति का सुधार, सार्वजनिक–निजी भागीदारी की सुविधा, पुराने जीर्ण–शीर्ण क्षेत्रों के नवीकरण को बढ़ावा देना और जन परिवहन पर आधारित नगर की पुनः संरचना करना शामिल है। सम्पूर्ण विकास के लिए, इस योजना में रिज और क्षेत्रीय पार्कों हेतु कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत का संरक्षण, यमुना नदी का सुधार, सामाजिक और सार्वजनिक समारोहों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ एकीकृत खेल परिसरों और बहुउद्देशीय मैदानों के सृजन पर जोर दिया गया है। संक्षेप में, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली को एक ऐतिहासिक नगर से भविष्य के नगर में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

दिल्ली मुख्य योजना–2021 में दिल्ली में सन् 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। तदनुसार, दि.वि.प्रा. न केवल दिल्ली की रूप सज्जा को निखार रहा है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों को आयोजित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष संरचना का वास्तविक विकास भी कर रहा है।

सुल्तानगढ़ी स्मारक – एक संरक्षण परियोजना
जिसका संरक्षण डी.यू.एच.एफ. द्वारा किया जा रहा है

2. वर्ष की विशेषताएं

2.1 वर्ष 2009–10 में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए जिनमें विभिन्न क्षेत्रीय योजनाएं, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित परियोजनाओं में भारी प्रगति और स्लम–बस्तियों आदि का स्व–स्थाने पुनर्वास शामिल है। क्षेत्रीय विकास योजनाएं उनके प्रतिपादन में सार्वजनिक भागीदारी को सुनिश्चित करके पूरी की जा चुकी हैं। इन योजनाओं को अधिसूचनार्थ अनुमोदन हेतु शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया। स्व–स्थाने पुनर्वास स्कीमों के अंतर्गत, फेज़–I में 21 स्लम बस्तियों को निर्धारित किया गया है ताकि उन बस्तियों में नागरिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके। वास्तुकारों का पैनल बनाया गया है और 12 स्थलों के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। पटेल नगर के निकट कठपुतली कॉलोनी के स्व–स्थाने विकास हेतु वर्क अवॉर्ड किया गया।

इस अवधि के दौरान यमुना खेल परिसर, सीरी फोर्ट खेल परिसर, साकेत खेल परिसर में राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित परियोजनाओं में गति आई और पर्याप्त प्रगति हासिल हुई।

कार्यकारिणी समिति की एक बैठक के अतिरिक्त, यूटीटीआईपीईसी शासी निकाय की 8 बैठकें आयोजित की गईं।

2.2 आवास

इस वित्त वर्ष के प्रारंभ में 15197 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा था। इनमें से 4280 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 1 अप्रैल, 2010 को 15857 आवासों का निर्माण चल रहा था। इनमें 747 म.आ.व., 3277 नि.आ.व.,

द्वारका स्थित समूह आवास

8302 ई. डब्ल्यू. एस. और 3531 उच्च आय वर्ग के आवास हैं। इसके अतिरिक्त, पहले से ही आवंटित किए गए फ्लैटों के मामले में 7535 परिवर्तन किए गए।

2.3 भूमि अधिग्रहण/विकास

आवासीय, व्यावसायिक, सांस्थानिक भूमि आदि की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दि.वि.प्रा. ने रोहिणी, जसोला, द्वारका, नरेला आदि में बड़े पैमाने पर भूमि विकास कार्यक्रम आरंभ किया है। वर्ष 2009–10 के दौरान, 73.23 एकड़ भूमि का वास्तविक कब्जा लिया गया।

2.4 भूमि का निपटान

i) आवासीय प्लॉट :– 2009–10 के दौरान, 465 आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए और प्रीमियम के रूप में 185.86 लाख रू. की राशि प्राप्त हुई।

ii) व्यावसायिक संपदा इकाइयाँ :– 2009–10 के दौरान निविदा के माध्यम से 54 व्यावसायिक सम्पदा इकाइयाँ 10.92 करोड़ रू. की बोली राशि में बेची गई।

2.5 हरित क्षेत्रों का विकास और रखरखाव

दिल्ली में हरित क्षेत्रों के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। ये हरित क्षेत्र नगर में वायुप्रद स्थल के रूप में कार्य करते हैं। दि.वि.प्रा. ने 4 क्षेत्रीय पार्कों, 111 जिला पार्कों, 25 नगर वनों, 605 मुख्य योजना हरित क्षेत्रों/जोनल हरित क्षेत्रों/ हरित पट्टियों, 255 समीपवर्ती पार्कों, 1872 समूह आवासीय हरित क्षेत्रों, 13 खेल परिसरों और एक मिनी खेल परिसर के रूप में लगभग 5050 हेक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर चलाए गए एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान में वृक्षों और झाड़ियों की लगभग 4.66 लाख छोटी–छोटी पौध लगाई गई। नए मैदानों (लॉन) के रूप में 142.55 एकड़ भूमि का विकास किया गया और 9 बाल उद्यानों/पार्कों का भी विकास किया गया है।

2.6 मुख्य योजना/क्षेत्रीय योजनाएं

विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों हेतु भवन विनियमों और बैंक्विट हॉल के विनियमों को अंतिम रूप दिया गया। विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों, असंगत

(नॉन–कन्फोर्मिंग)/ अनियोजित क्षेत्रों में औद्योगिक सघनता के समूहों, एम आर टी एस के साथ प्रभाव जोन, परिवहन कॉरिडोर, अनुपयोगी/न्यून सघनता वाले क्षेत्रों आदि के पुनर्विकास हेतु दिशा–निर्देशों को प्राधिकरण के दिनांक 17.02.2010 के निर्णय द्वारा आयुक्त, दिल्ली नगर निगम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया और उन्हें अनुमोदन के लिए माननीय उप राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया। 15 क्षेत्रीय विकास योजनाओं को पूरा कर लिया गया है और प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् इन्हें अनुमोदन के लिए शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। यह अनुमोदन दिनांक 08.03.2010 को प्रदान किया गया।

2.7 निर्माण गिराना

निर्माण गिराने के 278 कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 3432 अनधिकृत ढांचे हटाए गए और लगभग 138.84 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।

2.8 कोटि नियन्त्रण

अपनी चल रही विभिन्न परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, कोटि आश्वासन कक्ष ने 443 निरीक्षण किए हैं, 268 यादृच्छिक (रेंडम) नमूने एकत्र किए हैं और अपनी प्रयोगशाला में 8100 जांच की हैं।

कोटि आश्वासन कक्ष के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, बी आई एस ने दि.वि.प्रा. को आई एस/आईएसओ 9001:2000 के लिए "गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सीआरओ/क्यूएससी/एल 8002720" प्रदान किया है जो मार्च 2010 तक मान्य है।

2.9 प्रशिक्षण

तेजी से बदलती कार्य संस्कृति में विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से, कर्मचारियों को अद्यतन रखने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक हो गया है। दि.वि.प्रा. की प्रशिक्षण संस्था ने दि.वि.प्रा. में ही 72 कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 1226 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, 212 अधिकारियों/कर्मचारियों को बाहरी कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया।

2.10 उपभोक्ता संतुष्टि के प्रयास

वर्ष के दौरान विभिन्न लेन–देनों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में सूचना का अधिकतम प्रचार सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए और आवंटितियों को आसानी से सूचना उपलब्ध करायी गई। इस दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए :

(i) टेलीकाउसिलिंग सर्विस ने टेलिफोन नम्बर 39898911 पर आवंटितियों को विभिन्न लेन–देनों से संबंधित सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई।

(ii) दि.वि.प्रा. के विकास सदन एवं विकास मीनार कार्यालयों में टच स्क्रीन टेकनोलोजी वाले सूचना कियोस्क कार्य कर रहे हैं। ये कियोस्क वरीयता संख्याओं, योजनाओं, प्रक्रियाओं, नीतियों आदि के संबंध में और विभिन्न सौदों के प्रारूपों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करते हैं जिनको नाममात्र का शुल्क देकर इन कियोस्क से डाउनलोड भी किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटाबेस की सूचना भी इन कियोस्कों पर उपलब्ध है।

(iii) उपभोक्ताओं को अधिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य योजना सहित सभी नई परियोजनाओं/नीतियों पर जानकारी शामिल करके दि.वि.प्रा. की मौजूदा वेबसाइट को अद्यतन किया गया है। यह द्वि भाषी है। इस पर सार्वजनिक सूचनाएं और निविदा सूचनाएं भी उचित प्रकार से प्रदर्शित की जाती है।

(iv) सलाहकारों और सुविधा देने वाले स्टाफ को प्रशिक्षण देने और उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी करके परामर्श सेवाओं को भी सशक्त बनाया गया है।

2.11 सूचना अधिकार अधिनियम–2005

सूचना अधिकार अधिनियम–2005, 12 अक्तूबर 2005 से लागू हुआ। दि.वि.प्रा. ने 73 जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए हैं जिन्होंने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लिया है। सूचना अधिकार अधिनियम, जन सूचना अधिकारियों और अपीली प्राधिकारियों के संबंध में सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गई है। सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने से दिनांक 31.03.2010 तक सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 46370 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 45522 आवेदनों का निपटान कर दिया गया है और 848 प्रक्रियाधीन हैं।

2.12 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दिनांक 03.11.2009 से 07.11.2009 तक मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दि.वि.प्रा. के 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को दि.वि.प्रा. के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दो विभागों–आवास और कोटि आश्वासन कक्ष को पारदर्शिता लाने और वेबसाइट के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के प्रशंसनीय कार्य के लिए ट्रॉफी प्रदान की गई।

3. प्राधिकरण का प्रबन्ध तंत्र

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा–3 के अंतर्गत किया गया। यह एक निगमित निकाय है जिसके पास सम्पति को अधिग्रहण करने स्वामित्व रखने और उसके निपटान करने की शक्ति है। यह किसी पर मुकद्मा चला सकता है और इस पर कोई मुकद्मा चला सकता है। श्री तेजेन्द्र खन्ना, एक प्रसिद्ध प्रशासक, जिन्होंने उप राज्यपाल, दिल्ली और अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण का कार्यभार संभाला है, संगठन की विविध गतिविधियों में निदेश दे रहे हैं। वर्ष के दौरान प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार है :–

अध्यक्ष

श्री तेजेन्द्र खन्ना	01.04.09 से 31.03.10

उपाध्यक्ष

श्री अशोक कुमार	01.04.09 से 31.03.10

पूर्ण कालिक सदस्य

श्री नंद लाल, वित्त सदस्य	01.04.09 से 31.03.10
श्री बी.के. चुघ, अभियंता सदस्य	01.04.09 से 16.04.09
श्री ए.के. बजाज, अभियंता सदस्य	17.04.09 से 31.03.10

केन्द्र सरकार द्वारा नामित सदस्य

डॉ. एम.एम. कुट्टी संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	01.04.09 से 31.03.10
श्री नूर मोहम्मद सदस्य सचिव (रा.रा.क्षे. योजना बोर्ड)	01.04.09 से 31.03.10
श्री के.एस. मेहरा आयुक्त (दिल्ली नगर निगम)	01.04.09 से 31.03.10
श्री जे.बी. क्षीरसागर मुख्य योजनाकार (टीसीपीओ)	01.04.09 से 31.03.10

गैर सरकारी सदस्य

श्री सुभाष चौपड़ा (विधायक)	01.04.09 से 31.03.10
श्री नसीब सिंह (विधायक)	01.04.09 से 31.03.10
डॉ. हर्ष वर्धन (विधायक)	01.04.09 से 31.03.10
श्री राजेश गहलौत पार्षद (दिल्ली नगर निगम)	01.04.09 से 31.03.10
श्री सुदेश कुमार भसीन पार्षद (दिल्ली नगर निगम)	01.04.09 से 31.03.10

01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान प्राधिकरण की पाँच बैठकें हुई और उनमें कुल 110 मदों पर विचार किया गया।

3.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद

यह, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–5 के अंतर्गत गठित निकाय है। यह प्राधिकरण को मुख्य योजना की तैयारी करने और योजना और विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा इस अधिनियम के लागू करने के संबंध में उठने वाले मामलों जो प्राधिकरण इसे भेजता है पर सलाह देता है। वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार रहा।

अध्यक्ष

श्री तेजेन्द्र खन्ना	01.04.09 से 31.03.10

लोकसभा सदस्य

श्री जे.पी. अग्रवाल	16.12.09 से 31.03.10
श्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन	16.12.09 से 31.03.10

राज्य सभा

श्री जे. पी. अग्रवाल	01.04.09 से 15.12.09
डॉ. करन सिंह	16.12.09 से 31.03.10

उपाध्यक्ष

श्री अशोक कुमार	01.04.09 से 31.03.10

सदस्य

श्री संजीव नय्यर पार्षद (दिल्ली नगर निगम)	01.04.09 से 31.03.10
श्री संजय सुर्जन पार्षद (दिल्ली नगर निगम)	01.04.09 से 31.03.10
श्री रवि प्रकाश शर्मा पार्षद (दिल्ली नगर निगम)	01.04.09 से 31.03.10
श्री सतबीर शर्मा पार्षद (दिल्ली नगर निगम)	01.04.09 से 31.03.10
श्री जे.पी. गोयल सदस्य, दि.वि.प्रा.	
श्री चतर सिंह सदस्य, दि.वि.प्रा.	

श्री सुनील देव
सदस्य, दि.वि.प्रा.

अध्यक्ष, दि.प.नि.

अध्यक्ष, सी.ई.ए.

महानिदेशक (रक्षा सम्पदा), रक्षा मंत्रालय
अपर निदेशक (जन) (आर.डी.)

मुख्य योजनाकार (टी.सी.पी.ओ)

महाप्रबन्धक (विकास) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

नगर स्वास्थ्य अधिकारी (दि.न.नि.)

3.3 सूचना अधिकार कार्यान्वयन और समन्वय शाखा

भारत सरकार ने सरकार के कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी की भावना को सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, जून माह में एक अधिनियम बनाया जिसे "सूचना अधिकार अधिनियम, 2005" के नाम से जाना जाता है और जिसे 12 अक्तूबर 2005 से लागू किया गया है।

अधिनियम के महत्व को प्रस्तुत करते हुए, नए अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में अपेक्षित सूचना प्राप्त करना है। इससे दि.वि.प्रा. के कार्यकलापों में न केवल पारदर्शिता आएगी वरन् विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में शामिल प्रक्रियाओं के रहस्यों को समझने में भी मदद मिलेगी।

दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में आर.टी.आई. के लिए 14 पृथक काउंटर खोले हैं जहां शुल्क सहित फार्म/आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जाते हैं। दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकार भी नियुक्त किए हैं, जो जनता को आर.टी.आई. के संबंध में सहायता प्रदान करते हैं। आर.टी.आई. के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए एक फार्म तैयार किया गया है जो कि अनिवार्य नहीं है एवं निशुल्क है परन्तु दि.वि.प्रा. डाक द्वारा, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से सादे कागज पर भी आवेदन पत्र स्वीकार करता है।

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से संबंधित 73 पी.आई.ओ नियुक्त किए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पी.आई.ओ. जरूरी है क्योंकि दि.वि.प्रा. के कार्यालय दूर–दूर तक फैले हुए हैं। सभी पी.आई.ओ. को ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करायी गयी है, जिससे जनता पी.आई.ओ और अपील प्राधिकारियों से आसानी से सम्पर्क कर सकें।

अधिकारियों को आर.टी.आई. के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली उत्पादकता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाया गया है। पी. आई.ओ में जागरूकता लाने के लिए समय–समय पर अनुदेश जारी किए जाते हैं।

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर आर.टी.आई. के संबंध में पूरी जानकारी, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की सूची, आवेदन–पत्र और आर.टी.आई. के संबंध में अन्य विविध सूचना उपलब्ध है।

12 अक्तूबर 2005 से 31 मार्च 2010 तक दि.वि.प्रा. को अधिनियम के अंतर्गत 46,370 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 45,522 आवेदन पत्रों को निपटाया गया और 848 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है तथा ये आवेदन पत्र 30 दिनों से कम अवधि से लम्बित है। 112 आवेदन पत्र ऐसे हैं जो आवेदकों से दस्तावेज, भुगतान प्राप्त न होने और आवेदकों से स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के कारण 30 दिनों से अधिक अवधि से लम्बित हैं।

3.4 स्टाफ क्वार्टर आवंटन शाखा

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान इस शाखा में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों से स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए 650 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

इनमें से टाइप I, II, III, IV, V के 338 स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए गए। आवंटन का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	टाइप	परिवर्तन	नए	कुल
1.	टाइप I	13	40	53
2.	टाइप II	26	120	146
3.	टाइप III	45	68	113
4.	टाइप IV	02	18	20
5.	टाइप V एवं उच्च	–	06	06
		86	252	338

3.5 नजारत शाखा

नजारत शाखा का मुख्य कार्य कार्यालय के कार्यो को सुगमता से करने के लिए विभिन्न मदों जैसे : स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कार्यालय उपकरण अर्थात फोटोकॉपिंग मशीन, फैक्स मशीनों, सेल फोन, क्रॉकरी, केलकुलेटर्स, कम्प्यूटर आदि के लिए इंक कार्टरिज आदि उपलब्ध करना और उन्हें जारी करना है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह शाखा कार्यालय में अपेक्षित अन्य मदें अर्थात डेजर्ट कूलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर्स आदि उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। इनकी उपलब्धता यथासंभव रूप से सरकारी रूप से नियंत्रित स्टोर्स/राज्य एम्पोरियम अथवा डी.जी.एस. एंड डी. दरों पर की जाती है। यह शाखा विकास सदन और विकास मीनार में दि.वि.प्रा. कार्यालयों हेतु अपेक्षित कार्यालय स्थान के आवंटन का कार्य भी करती है।

यद्यपि यह शाखा जनता से कोई संपर्क नहीं रखती है, पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य हेतु यह डीडीए वेबसाइट पर दिया जा रहा है। जब कभी निवेदित भाव/निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं तब उसे वेबसाइट पर डाल दिया जाता है।

3.6 हिन्दी विभाग

सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु हिन्दी विभाग ने 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि में 29 निरीक्षण किए और दि.वि.प्रा. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 2 बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की गई। कर्मचारियों को हिन्दी–टिप्पण प्रारूपण प्रशिक्षण देने के लिए 5 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें 76 कर्मचारियों ने भाग लिया।

विकास सदन में चल रही हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण प्रतियोगिता का एक दृश्य

सितंबर, 2009 में "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास" का आयोजन किया गया। इस मास के दौरान हिन्दी निबंध, हिन्दी वाद–विवाद, हिन्दी टिप्पण–प्रारूपण और हिन्दी टंकण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कुल 109 कर्मचारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, दिनांक 26.02.2010 को एक सुलेख प्रतियोगिता भी आयोजित की गई जिसमें 92 कर्मचारियों/ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रतियोगिता में 8–8 कर्मचारियों/ अधिकारियों को पुरस्कार दिए गए। पुरस्कारों की कुल राशि 97000/– रूपये थी। "हिन्दी प्रयोग प्रोत्साहन मास" के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की गई जिसमें 28 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में लेखा परीक्षा रिपोर्ट (2007–2008 और 2008–2009), मंत्रालय से प्राप्त अनुवाद कार्य सी.ए.जी. पैरा, वार्षिक रिपोर्ट (2008–2009), सांस्थानिक शाखा से प्राप्त सूची का अनुवाद कार्य, कल्याण विभाग से प्राप्त पुस्तिका और समूह आवास शाखा से प्राप्त अनुवाद कार्य किया गया।

इसके अतिरिक्त समय–समय पर विभिन्न अनुभागों से प्राप्त फार्मों, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदाओं, विधान सभा, लोक सभा और राज्य सभा प्रश्नों, अधिसूचनाओं, विभिन्न विभागों से प्राप्त परिपत्रों, आर टी आई पत्रों इत्यादि का अनुवाद किया गया।

3.7 जन सम्पर्क विभाग

दि.वि.प्रा. के जन सम्पर्क विभाग को भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन की छवि बनाने से संबंधित कार्यकलापों को करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों में विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं, आदि सहित त्रैमासिक विभागीय पत्रिका, खेलकूद न्यूज लैटर, प्रचार साहित्य का प्रकाशन शामिल है। इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलनों/ प्रेस भ्रमणों आदि की व्यवस्था भी करता है। विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना, प्रति प्रत्युत्तर जमा करना, जैसे कुछ कार्य हैं जो इस विभाग को सौंपे गए हैं।

01.04.09 से 31.03.10 तक की गतिविधियाँ

1. 19 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में) जारी की गयी जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों तथा अयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया। इन प्रेस विज्ञप्तियों को प्रिंट के साथ–साथ दृश्य–श्रव्य मीडिया में भी कवर किया गया।
2. दूरदर्शन पर "डेटलाईन–दिल्ली" के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक कैप्सूल जुलाई 2006 से प्रत्येक पखवाड़े को दिखाया जा रहा है 01.04.09 से 31.03.10 के दौरान 24 कड़ियां दिखाई जा चुकी हैं।
3. अभियानों सहित विभिन्न सामाचार–पत्रों में 71 विज्ञापन (अंग्रेजी–हिन्दी) प्रकाशित किए गए।
4. विभिन्न समाचार–पत्रों में छपी 32 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और सम्पादकों को 16 पत्र (खण्डन) जारी किए गए।
5. स्वागत कक्ष पर कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति और प्रेषण काउन्टरों के द्वारा 1,86,961 पत्र प्राप्त हुए और 60,406 पत्र प्रेषित किए गए।
6. पुस्तकालय के लिए 955 नई पुस्तकें खरीदी गईं, दैनिक समाचार पत्रों में से दि.वि.प्रा. से सम्बन्धित 4,259 प्रेस कतरनें काटी गईं, 841 अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए गए।
7. दिल्ली विकास वार्ता के चार अंकों का संपादन और मुद्रण

किया गया। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2008–09 का संपादन और मुद्रण किया गया।

8. 'स्पोर्ट्स न्यूज लैटर' के 4 अंकों का सम्पादन किया गया और प्रकाशित किए गए तथा खेल विभाग, दि.वि.प्रा. द्वारा वितरित किए गए।

9. फोटो सेक्शन द्वारा 106 समारोहों को कवर किया गया। 4,100 फोटोग्राफ लिए गए और 2,403 फोटोग्राफ डेवलप/मुद्रित किए गए और प्रकाशन एवं रिकार्ड के लिए जारी किए गए।

10. टेलिफोन सं. 39898911 द्वारा दिनांक 01.04.09 से 31.03.10 तक की अवधि के दौरान टेली–काउन्सिलिंग के माध्यम से 11,665 काल सुनी गयी।

11. दि.वि.प्रा. की वर्ष 2010 की 2,300 डायरियाँ और वर्ष 2010 के 28,000 वाल कैलेन्डर मुद्रित किए गए।

उत्तरी रिज का एक दृश्य

3.8 जन शिकायत निवारण प्रणाली

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक 10 लाख से भी अधिक आवासीय इकाइयों, 640 से भी अधिक व्यावसायिक स्थानों, 22 औद्योगिक सम्पदाओं, लगभग 3600 सांस्थानिक प्लॉटों, 14 खेल परिसरों और विशाल हरित क्षेत्रों का विकास किया है/सुविधाओं की व्यवस्था की है। इतने भारी विकास के कारण एक बड़े पैमाने पर जन–प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और अत्यधिक लेन–देन होने के कारण बड़ी संख्या में जन–शिकायतें भी होती रहती हैं।

दि.वि.प्रा. निपटान में विलम्ब को कम करने, शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने और सुविधाजनक सूचना प्रदान करने के लिए नवीन उपाय अपनाकर एक उपभोक्ता–अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संगठित प्रयास करता रहा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में नियमित निगरानी, त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई, शक्तियों का प्रत्यावर्तन और विभिन्न तरीकों द्वारा सूचना का विकेन्द्रीकरण एवं प्रसारण शामिल है।

दि.वि.प्रा. जन शिकायत निवारण की एक 4 टियर–प्रणाली अपना रहा है जिसमें उपभोक्ता अपनी शिकायतों/ समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु किसी भी कार्यदिवस सोमवार और वीरवार को अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के बीच उप–निदेशकों, निदेशकों, आयुक्तों और प्रधान आयुक्तों से मुलाकात कर सकते हैं। उपाध्यक्ष भी जनता से प्रत्येक बुधवार को पहले कोई समय लिए बिना मिलते हैं और अन्य दिनों में पहले समय लेने पर मिलते हैं ताकि वरिष्ठ अधिकारी आगन्तुकों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहें।

"उप राज्यपाल के सुनवाई पद" के रूप में एक पंचम टियर (फिफ्थ टियर) भी सृजित किया गया है। अब जनता अपनी शिकायतों को उच्चतम स्तर पर रख सकती है। यह टियर वर्ष 2007 में जोड़ा गया है। यह प्रणाली 'नागरिक संबंध और शिकायत प्रबंधन प्रणाली' के नाम से जानी जाती है और यह माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली द्वारा 9 मई, 2007 को राज निवास में आरंभ की गई थी। यह प्रणाली एक "सहायता कक्ष" है जो जनता से दिल्ली के विभिन्न नगर निकायों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है। नागरिक अपनी शिकायतें एक नंबर 155355 पर कॉल करके दर्ज करा सकता है। दि.वि.प्रा. से संबंधित सभी शिकायतें विभागाध्यक्ष की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाती है। यह साइट सभी विभागाध्यक्षों द्वारा रोजाना खोली जाती हैं। इसके अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को तत्काल दूर किया जाता है। पंजीकरण के दिए गए टेलीफोन नंबर पर शिकायतकर्ता से संपर्क भी किया जाता है। इन शिकायतों का निपटान ऑन लाइन रिकॉर्ड किया जाता है और उप–राज्यपाल द्वारा मॉनीटर किया जाता है। संतोषजनक निवारक कार्रवाई किए जाने के बाद ही ये शिकायतें सूची से हटाई जाती है।

शिकायतों का निपटान :

1. **स्वागत काउन्टरों पर प्राप्त शिकायतें** : जनता द्वारा स्वागत काउन्टरों पर प्रस्तुत की गई शिकायतें कम्प्यूटरीकृत होती है और प्रत्येक शिकायत के लिए क्रम संख्या के साथ एक पावती दी जाती है। काउन्टरों पर प्रति दिन प्राप्त सभी शिकायतों की सूची संबंधित विभागाध्यक्षों को मॉनीटरिंग और त्वरित कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

2. **जन सुनवाई के दिनों में प्राप्त शिकायतें** : उप– निदेशकों, निदेशकों और आयुक्तों द्वारा जन सुनवाई प्रत्येक कार्यदिवस सोमवार और वीरवार को अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 5.30 बजे के मध्य की जाती है। सार्वजनिक सुनवाई में कोई शिकायतकर्ता व्यक्ति उसी समय समाधान हेतु विभागाध्यक्षों, संबंधित निदेशक और उपनिदेशक से मिल सकता है। संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा इन शिकायतों की नियमित जांच की जाती है।

3. उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त शिकायतें, संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजी जाती हैं और उपाध्यक्ष द्वारा मॉनीटर्ड की जाती है।

4. "उप राज्यपाल के सुनवाई पद" से प्राप्त शिकायतों को तत्काल निपटान हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है और हाल की स्थिति वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

5. शिकायतें जन शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत से भी प्राप्त होती है। ये शिकायतें दि.वि.प्रा. के जन शिकायत विभाग द्वारा तुरन्त निवारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दी जाती है।

   इन शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उनके तीव्र निपटान के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। उनके निपटान की मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च स्तर पर समय–समय पर नियमित समीक्षा की जाती है।

6. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दि.वि.प्रा. को भेजे जाने वाले शिकायतें निवारण हेतु उपाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं। उनके निवारण की समीक्षा समय–समय पर आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. और मंत्रालय द्वारा की जाती हैं।

इस प्रकार उपभोक्ता–संतुष्टि के लिए दि.वि.प्रा. ने एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई हुई है। उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि के लिए स्वागत कक्ष पर सलाहकारों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है। मार्ग दर्शन करने के लिए और फार्म भरने, प्रलेखन, परिकलन आदि संबंधी सहायता करने के लिए स्वागत कक्ष में 10 सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। सभी कार्यदिवसों को टेलीफोन नं. 39898911 पर एक विशेष परामर्श सेवा भी उपलब्ध कराई गई है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति कार्यप्रणाली, प्रलेखन, नई योजना आदि के बारे में टेलीफोन पर सभी जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये सेवाएं आम जनता के लिए वेबसाइट और विकास सदन एवं विकास मीनार स्थित टच स्क्रीन क्योस्क पर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त है।

2009–10 के दौरान प्राप्त की गई और निपटान की गई शिकायतों की स्थिति

विकास सदन स्थित सलाहकार अनुभाग का एक दृश्य

i) 01.04.2010 को 45 मामले लंबित थे और जन शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार से 25 नई शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 18 मामलों को निपटाया जा चुका है और 52 मामले विभागाध्यक्षों के यहां लंबित हैं।

ii) डी.ए.आर.पी.जी. से 65 मामले प्राप्त हुए और इनमें से 16 मामलों को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा निपटाया गया है तथा शेष 49 मामले उनके यहां लंबित हैं।

iii) शहरी विकास मंत्रालय से 119 जन शिकायतें प्राप्त हुई। उनमें से 45 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया और शेष 74 मामले उनके यहां लंबित हैं।

iv) निदेशक (जन शिकायत) के कार्यालय में और आगन्तुक पुस्तिका के माध्यम से क्रमशः 73 और 03 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 09 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया तथा शेष उनके यहां लंबित हैं।

v) उपराज्यपाल के सुनवाई पद के माध्यम से 165 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 86 का समाधान किया गया है/ प्रेषित किया गया है तथा शेष 79 लंबित हैं।

4. कार्मिक विभाग

दि.वि.प्रा. का कार्मिक विभाग प्राधिकरण के कर्मचारियों के सभी प्रकार के सेवा मामलों से संबंधित कार्य करता है। वर्ष 2009–2010 के दौरान निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां रहीं।

4.1 31.03.2010 को कर्मचारियों की संख्या

समूह	क	ख	ग	घ	वर्क चार्ज (नियमित)	कुल
	449	1357	4628	2009	9675	18118

4.2 की गई पदोन्नतियां

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	88	240	168	–	496

4.3 की गई भर्ती

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	09	09	–	–	18

4.4 ए.सी.पी. योजना/संशोधित ए.सी.पी. योजना

691 अधिकारियों/कर्मचारियों को ए.सी.पी. दी गई।

4.5 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

समूह	क	ख	ग	घ	कुल
	300	1326	4918	–	6544

4.6 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सेवा निवृत्ति/मृत्यु के निपटाए गए मामले

1.	सेवा निवृत्ति	593
2.	मृत्यु	164
3.	पी.ए.आई.पी.	09
4.	समूह बीमा योजना	179
5.	हितकारी निधि	08

आस्था कुंज

प्रसाद नगर स्थित झील का एक दृश्य

5. सतर्कता विभाग

5.1 सतर्कता विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के कार्यान्वयन और सेवा में सत्यनिष्ठा की निगरानी का कार्य करता है।

5.2 दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता आयुक्त के परामर्श से शिकायतों की प्राप्ति और कार्यवाही, गहन जांच और चार्जशीट तैयार करता है। दि.वि.प्रा. का सतर्कता विभाग जाँच रिपोर्ट का विश्लेषण भी करता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग द्वारा अपील्स, समीक्षा याचिका, निलम्बन और उसकी समीक्षा और नियमन का कार्य भी निपटाया जाता है।

(i) शुरू किए गए अनुशासनात्मक मामले

वर्ष	जारी किए गए आरोप पत्रों की संख्या	भारी दण्ड	मामूली दण्ड
2009–10 (01.04.09 से 31.03.10 तक)	56	50	6

(ii) निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

वर्ष	निपटाए गए मामलों की संख्या	लगाया गया दण्ड	दोष मुक्त किया गया
2009–10 (01.04.09 से 31.03.10 तक)	214	163	51

(iii) सामान्य शिकायतों की प्राप्ति एवं जांच

वर्ष	पहले की सामान्य शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	निपटाई गयी	शेष
2009–10 (01.04.09 से 31.03.10 तक)	1520	1211	648	2083

(iv) दर्ज की गई आरंभिक पूछ–ताछ और जांच

वर्ष	पहले की आरंभिक पूछ–ताछ	वर्ष के दौरान दर्ज	जांच की गई	शेष
2009–10 (01.04.09 से 31.03.10 तक)	498	29	34	493

5.3 01.04.09 से 31.03.10 तक की अवधि के दौरान अपील्स पुनर्विचार और निलम्बन मामलों के नियमन पर कार्रवाई करने के निरन्तर प्रयास किए गए। 29 मामलों में अपील्स आदेश पारित किए गए हैं और 8 मामलों में निलम्बन की अवधि को नियमित किया गया।

5.4 5 मामलों में 5 कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही करने के लिए अभियोजन की स्वीकृति दी गई।

5.5 11 कर्मचारियों को निलम्बनाधीन रखा गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.01.04 के अनुदेशों के अनुसार पुनरावलोकन समिति ने समूह क, ख, ग और घ श्रेणी के 77 निलम्बन मामलों पर पुनर्विचार किया। समीक्षा के परिणामस्वरूप 7 कर्मचारियों को बहाल किया गया और शेष की निलम्बन अवधि को बढ़ा दिया गया।

5.6 01.04.09 से 31.03.10 तक जांच में वाच एंड वार्ड के सभी मामले पूरे हो गए हैं और रिपोर्ट को शून्य माना जाए।

5.7 सतर्कता स्टाफ द्वारा नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। अवधि के दौरान 20 निरीक्षण किए गए।

5.8 01.04.09 से 31.03.10 की अवधि के दौरान सी.बी.आई और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दिल्ली पुलिस ने आई.पी.सी./क्रिमिनल पी.सी. के अंतर्गत 18 कर्मचारियों के विरूद्ध मामले दर्ज किए। सी.बी.आई./ए.सी.वी. के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा गया। दलालों के जोखिम को नियंत्रित करने के लिए दि.वि.प्रा. के अनुरोध पर ए.सी.बी. द्वारा निरीक्षण भी किए गए।

5.9 नरेला और बक्करवाला में टर्नकी प्रोजेक्ट की जांच के संबंध में सभी सी.ओ. के पैनल्टी आदेश जारी किए जा चुके

हैं, सिवाय प्रतिनियुक्ति पर आए श्री प्रभाष सिंह, अभियंता सदस्य (सेवा–निवृत्त) का मामला अधिशासी अभियंता (सतर्कता)–9, केन्द्रीय लोक कार्य विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा देखा जा रहा है ।

5.10 अधिक पारदर्शिता लाने के लिए निविदा दस्तावेज़ निविदा– आमंत्रण नोटिस, फ्लैटों/ प्लॉटों के आवंटन से संबंधित अपेक्षित सूचनाएं दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर दी गई हैं।

5.11 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान जो 03.11.09 से 07.11.09 तक मनाया गया था, निम्नलिखित कार्यकलाप आयोजित किए गए :–

(क) जागरूकता पैदा करने के लिए प्रमुख स्थानों पर बैनर्स, पोस्टर्स लगाए गए।

(ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह को प्रारम्भ करने के लिए दिनांक 03.11.09 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वित्त सदस्य दि.वि.प्रा. द्वारा दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।

(ग) 10 कर्मचारियों को दि.वि.प्रा. में समर्पित सेवाओं के लिए मोमेंटो और प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया।

(घ) कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा आई.एस.ओ. प्रमाणन 9001 प्राप्त करने हेतु वेबसाइट के माध्यम से पारदर्शिता लाने और लेवरेजिंग टैक्नोलॉजी के लिए दो विभागों अर्थात् आवासीय और कोटि आश्वासन कक्ष को उनके सराहनीय कार्य हेतु ट्राफी प्रदान की गई।

(ङ) उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा मोमेंटों और ट्राफियां प्रदान की गईं।

जसोला में दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित हरित क्षेत्र

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा में विकसित हरित क्षेत्र

6. विधि विभाग

6.1 मुख्य विधि सलाहकार, विधि विभाग के प्रमुख हैं। विभाग का प्रमुख का कार्य, समय–समय पर भेजे गए प्रशासनिक मामलों पर विचार करते समय नीति, नियमों, विनियमों और अधिनियमों पर सलाह देना है। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक विभाग को सहायता देने के लिए यह विभाग विभिन्न शाखाओं में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के विरूद्ध और उसके द्वारा दायर न्यायालय मामलों की संवीक्षा करता है। प्रशासनिक विभाग द्वारा उचित निर्णय लेने के लिए आदेश के कार्यान्वय, निर्णय पर अपील दर्ज़ करने से संबंधित मामलों की व्यापक जांच की जाती है। 2009–10 के दौरान लम्बित न्यायालय मामलों के विवरण निम्नलिखित हैं।

6.2 योजना विभाग से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.2009 तक लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	दिनांक 31.03.2010 तक लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	81	शून्य	शून्य	81
2.	उच्च न्यायालय	68	31	27	72
3.	जिला न्यायालय	579	शून्य	258	321

6.3 संस्थापना (वर्क चार्ज) से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.2009 तक लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	दिनांक 31.03.2010 तक लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	1	2	2	1
2.	उच्च न्यायालय/कैट	67	31	23	75
3.	जिला न्यायालय	56	25	13	68

6.4 अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.2009 तक लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	दिनांक 31.03.2010 तक लम्बित मामले
1.	उच्च न्यायालय	988	125	85	1028

6.5 भूमि प्रबंधन विभाग से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.2009 तक लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	दिनांक 31.03.2010 तक लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	519	42	119	442
2.	उच्च न्यायालय	2743	569	360	2952
3.	जिला न्यायालय	3786	698	699	3785

6.6 आवास विभाग से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.2009 तक लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	दिनांक 31.03.2010 तक लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	25	07	06	26
2.	उच्च न्यायालय	341	294	303	332
3.	एम.आर.टी.पी.	23	04	02	25
4.	टी.एच.सी.	676	85	111	650
5.	राज्य आयोग	110	16	42	84
6.	जिला फोरम	731	74	146	659
7.	राष्ट्रीय आयोग	93	03	11	85

6.7 भवन विभाग से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.2009 तक लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	दिनांक 31.03.2010 तक लम्बित मामले
1.	कैट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	उच्च न्यायालय	31	10	03	38
3.	जिला न्यायालय	25	07	02	30
4.	उच्चतम न्यायालय	04	01	शून्य	05

6.8 कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.2009 तक लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामले	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	दिनांक 31.03.2010 तक लम्बित मामले
1.	कैट	63	81	46	98
2.	उच्च न्यायालय	08	40	21	27
3.	जिला न्यायालय	04	08	05	07
4.	उच्चतम न्यायालय	05	01	04	02

6.9 भूमि निपटान विभाग से संबंधित न्यायालय मामले

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	दिनांक 01.04.09 तक लम्बित मामले	01.04.09 से 31.03.10 के दौरान प्राप्त नए मामले	01.04.09 से 31.03.10 तक निर्णीत मामले	31.03.10 को लम्बित मामले
1.	सर्वोच्च न्यायालय	108	11	02	117
2.	उच्च न्यायालय	3028	170	136	3062
3.	जिला न्यायालय	1063	65	85	1043
4.	राष्ट्रीय आयोग	10	04	02	12
5.	राज्य आयोग	21	03	02	22
6.	एम.आर.टी.पी.	14	–	01	13
7.	जिला फोरम	119	12	26	105
	कुल	4363	265	254	4374

प्रमुख महत्वपूर्ण मामलों का विवरण एवं निर्णय निम्नलिखित है :

6.9.1 विषय : एलपीए सं. 41/04 शीर्षक : मैसर्स चौपड़ा एंटरप्राइजेज बनाम दि.वि.प्रा.। निर्णय की तिथि 20.11.2009

याचिकाकर्ता ने, अधिग्रहण की गई जमीन पर चलाई जा रही औद्योगिक गतिविधियों की पुनःस्थापना हेतु लिए गए नीति निर्णय के आधार पर एक वैकल्पिक प्लॉट के लिए दावा किया था। रिट याचिका को विलम्ब और लैचिज के कारण रद्द कर दिया गया। एल.पी.ए. में याचिकाकर्ता ने मैसर्स एस.एस. प्लास्टिक से समानता का दावा किया था जिसे प्लॉटों का आवंटन किया गया था। यह तर्क दिया गया कि किसी एक पार्टी के संबंध में कानून के विरूद्ध की गई कार्रवाई का दूसरी पार्टी के द्वारा समानता के दावे का आधार नहीं होगा। जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाम सम्पूर्ण सिंह 1993 (3) एससीसी 494 के मामले पर रिलायंस को रखा गया। दूसरा कारण बताया गया कि उनके पास उत्पादन का वैद्य म्यूनिसिपल लाइसेंस नहीं था और एआईआर 1997 सुप्रीम कोर्ट 3263 डी.डी.ए. बनाम मैसर्स एंबीशन इंटरप्राइजेज में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार वैध उत्पादन लाइसेंस बहुत जरूरी है। तदनुसार, अपील को 5000/– रू. की लागत से खारिज कर दिया गया।

6.9.2 विषयः एफए 192/04 मैसर्स पी.एम.एस. इंटरप्राइजेज बनाम डी.डी.ए. और अन्य। निर्णय की तिथि : 12.11.2009

अपील, शिकायत संख्या सी–206/99 में दिनांक 14.04.2005 के राज्य आयोग के निर्णय के विरूद्ध की गई। याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.04.1984 को भीकाजी कामा प्लेस में एक व्यावसायिक फ्लैट के लिए आवेदन किया था और दि.वि.प्रा. की मांग के अनुसार 20000/– रू. जमा कराए थे। योजना के अनुसार, खरीददार को प्रीमियम की अदायगी पाँच समान किश्तों में करनी थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वे मांग एवं आवंटन पत्र का इंतजार करते रहे जो 02.03.89 तक भेजा नहीं गया। दि.वि.प्रा. ने अदायगी न होने के आधार पर फ्लैट के रद्दकरण की सूचना दी। इसके विपरीत दि.वि.प्रा. ने सूचित किया कि 22.07.85 को मांग एवं आवंटन पत्र रजिस्ट्री के द्वारा भेजा जा चुका है और इसकी सुपुर्दगी के बारे में कानून की पूर्वधारणा दि.वि.प्रा. के पक्ष में है।

यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर दि.वि.प्रा. अपने दिनांक 09.10.90 के पत्र के द्वारा 5000/– रू. के बहालीकरण शुल्क और एक मुश्त रूप में पाँच किश्तों के लिए 5,62,720.25 रू. के भुगतान पर आवंटन को बहाल करने के लिए सहमत हो गया है। तथापि, अपीलकर्ता ने केवल बहालीकरण प्रभार जमा कराए और किश्त की राशि जमा नहीं कराई। दि.वि.प्रा. की ओर से यह तर्क दिया गया कि सीमा के कारण शिकायत बाधित हुई क्योंकि कार्रवाई का कारण 19.10.1990 को प्रकट हुआ जब अपीलकर्ता द्वारा बहालीकरण प्रभार जमा कराया गया। शिकायत सांविधिक अवधि की सीमा के बाद वर्ष 1994 में दायर की गई, यह कानून की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। राष्ट्रीय आयोग दि.वि.प्रा. के निर्णय से सहमत हुआ और उसने अपील को खारिज कर दिया।

6.9.3 डब्ल्यू.पी.सी. – 11432/09 श्रीमती बिमला सहगल बनाम दि.वि.प्रा.। निर्णय की तिथि 04.09.2009

दि.वि.प्रा. ने याचिकाकर्ता को आवंटित फ्लैट सं. 363, पॉकेट 01, सैक्टर 29, रोहिणी के आवंटन को दिनांक 16.06.2009 के अपने आदेश के द्वारा रद्द कर दिया था क्योंकि याचिकाकर्ता को बी–48, ब्रदरहुड अपार्टमेंट एच.ब्लॉक, विकास पुरी पहले से ही आवंटित था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने सदस्यता सं. 23 दिनांक 15.11.85 के द्वारा फ्लैट सं. बी–48 ब्रदरहुड अपार्टमेंट सी.जी.एच.एस. लिमिटेड का अधिग्रहण किया जो दिनांक 29.01.2005 के जी.पी.ए. और एग्रीमेंट टू सेल के द्वारा अनिल कुमार को बेचा गया। यह प्लॉट जो रद्द किया गया है अगस्त 2004 में आवंटित हुआ था। याचिकाकर्ता ने जितेन्दर पाल भारद्वाज बनाम दि.वि.प्रा. पर अपनी आस्था दिखाई, हालाँकि दि.वि.प्रा. ने इस मामले के बचाव में यह कहा कि कथित मामले में फ्लैट 65 वर्ग मीटर से कम का था जबकि वर्तमान मामले में फ्लैट बड़ा है। इसके अतिरिक्त यह बहस हुई कि याचिकाकर्ता ने एक झूठा शपथ–पत्र दायर किया और दावा किया कि उन्होंने कोई आवासीय मकान/प्लॉट/फ्लैट किसी अन्य को अंतरित नहीं किया है। न्यायालय ने तदनुसार पाया कि दि.वि.प्रा. का निर्णय गलत नहीं हो सकता क्योंकि याचिकाकर्ता दूसरे फ्लैट के लिए हक़दार नहीं था।

6.9.4 डब्ल्यू.पी.सी. – 14453/05 रूपिन्दर ग्रेवाल बनाम वी.सी./डी.डी.ए.। निर्णय की तिथि 03.09.2009

याचिकाकर्ता ने यह दावा किया कि उसके पिता अजब सिंह के पास पश्चिम पाकिस्तान से निकाले जाने के बाद 1955 से अपर बेला रोड में 548 वर्ग गज़ भूमि व्यावसायिक उपयोग के रूप में थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पिता मोटर वर्कशॉप चलाते थे, हालाँकि, उसे तोड़ दिया गया था और उन्हें एक डेमोलेशन स्लिप सं. 25 दिनांक 17.06.62 दी गई थी। याचिकाकर्ता ने वैकल्पिक प्लॉट के आवंटन के संबंध में पक्षपात का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने दावा किया कि लोक अदालत ने दिनांक 21.10.2003 के आदेश द्वारा उनके मामले के संबंध में वैकल्पिक प्लॉट के आवंटन की सिफारिश की थी। दि.वि.प्रा. द्वारा यह कहा गया कि वैकल्पिक आवंटन योजना में शॉप्स एण्ड इसटेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत वैध म्यूनिसीपल लाइसेंस, सेल टैक्स और इनकम टैक्स, पंजीकरण की आवश्यकता होती है और याचिकाकर्ता के पास यह नहीं था। तद्नुसार याचिका को खारिज कर दिया गया।

6.9.5 डब्ल्यू.पी.सी. – 16572/06 रंजीत डोगरा बनाम डी.डी.ए., निर्णय की तिथि 19.01.2009

वर्ष 1992 में दि.वि.प्रा. द्वारा आरम्भ की गई योजना के अंतर्गत दुकान/कियोस्क/स्टॉल के आवंटन का दावा करते हुए रिट याचिका दायर की गई थी। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ता 50 प्रतिशत विकलांग है और आवंटन के लिए आवेदन किया है। हालाँकि, दि.वि.प्रा. ने उनसे किसी प्रकार की बात–चीत नहीं की और उन्होंने भी 2005 तक दि.वि.प्रा. से सम्पर्क नहीं किया। यह बहस भी हुई कि रिट याचिका को विलम्ब से बाधित किया। ड्रॉ का परिणाम न्यायालय के समक्ष रखा गया तथा याचिका खारिज कर दी गई।

6.9.6 डब्ल्यू.पी.सी. – 8982/08 हरजीत सिंह बनाम दि.वि.प्रा.। निर्णय की तिथि 01.05.2009

वर्तमान याचिका में याचिकादाता ने माध्यस्थम याचिका सं. 242/07 में दिनांक 18.07.08 के आदेश को चुनौती दी जिसके द्वारा माध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत दायर की गई याचिका रद्द कर दी गई थी। याचिकादाता के पिता को रेवाड़ी लाइन स्थित औद्योगिक प्लॉट सं. 213/5 के पट्टाधारिता अधिकार दिए गए थे। पट्टे की शर्त का उल्लंघन करने के कारण पट्टा रद्द कर दिया गया था। याचिकादाता ने माध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत याचिका दायर कर दी थी। रिट याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया था कि उल्लंघनों के संबंध में निर्णय की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, इसलिए यह माध्यस्थम खण्ड के क्षेत्र में नहीं आता था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि माध्यस्थम एवं समझौता अधिनियम, 1976 की धारा 16 हालांकि माध्यस्थम न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार निर्णय देने का अधिकार देती है, लेकिन यह न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय देने से रोक नहीं सकती। इस मामले में एस.बी.पी. एण्ड कम्पनी बनाम पटेल इंजी. लिमिटेड ए.आई.आर. 2006 उच्चतम न्यायालय 450 के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सहारा लिया गया था, जिसमें व्यवस्था की गई थी कि धारा 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र के मामले में न्यायालय का कार्य निर्णायक का होता है और केवल शासकीय नहीं होता है, इसलिए न्यायालय यह निर्धारित कर सकती है कि कोई विशेष विवाद स्वीकार किया जाने वाला मामला है या नहीं। अतः विद्वान सिंगल जज का यह निर्णय कि खण्ड VI अप्रतिबन्धित नहीं था, लेकिन केवल किसी विशेष प्रकार के विवाद पर प्रतिबन्ध लगाता है, जिसे माध्यस्थम को भेजे जाने की आवश्यकता हो बल्कि उस पर नहीं जिसे याचिकादाता उठाना चाहता है। अतः याचिकादाता द्वारा उठाया गया विवाद माध्यस्थम विवाद नहीं है, जिसके लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता हो। तद्नुसार याचिका रद्द कर दी गई।

6.9.7 आर.पी. नं. 445/08 दि.वि.प्रा. बनाम के.बी. चड्ढा। निर्णय की तिथि 16.11.2009

यह उपभोक्ता विवाद प्रतिवादी श्री के.बी.चड्ढा द्वारा उनके 160 वर्ग गज के प्लॉट सं. 312 मुखर्जी नगर, जो उनकी माताजी को बहुत पहले 1971 में आवंटित किया गया था, के साथ लगे हुए 75.53 वर्ग गज भूमि के टुकड़े के संबंध में उठाया गया था। इस 75.53 वर्ग गज भूमि पर अपना कब्जा रखते हुए शिकायतकर्ता ने दि.वि.प्रा. को उक्त भूमि के टुकड़े को नियमित करने के लिए कहा। दि.वि.प्रा. 24587.60 रूपये प्रति वर्ग गज की दर से परिकलित बाजार मूल्य वसूल करने की शर्त पर इसे नियमित करने के लिए सहमत हो गया, जिसे शिकायतकर्ता ने भुगतान के लिए बहुत अधिक पाया। उनके अनुसार इसी तरह के मामलों में दि.वि.प्रा. ने 514 रू. प्रति वर्ग गज अर्थात् पी.डी.आर. पर भूमि आवंटित की है। उन्होंने जिला फोरम में उपभोक्ता शिकायत दायर की। जिला फोरम ने शिकायत रद्द कर दी। शिकायतकर्ता ने राज्य आयोग में अपील दायर की और उप राज्यपाल, दिल्ली, अध्यक्ष दि.वि.प्रा. द्वारा तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री को लिखे गए पत्र का हवाला दिया। दि.वि.प्रा. ने मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध व्यक्त किया कि अपनी नीति के अनुसार दि.वि.प्रा. बाजार मूल्य वसूल करने का हकदार था, न कि पी.डी.आर. जैसा कि शिकायतकर्ता ने दावा किया है। राज्य आयोग ने जिला फोरम के आदेश को रद्द कर दिया और दि.वि.प्रा. को 514/– रू. प्रति वर्ग गज की दर से भूमि के अतिरिक्त टुकड़े का मूल्य वसूल करने तथा 2 सप्ताह के अन्दर अंतरण की औपचारिकताओं को पूरा करने और विक्रय विलेख निष्पादित करने का निदेश दिया।

राज्य आयोग के आदेश से प्रभावित होने के कारण दि.वि.प्रा. ने रिवीजन याचिका दायर करके राष्ट्रीय आयोग के पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मामले पर विचार करने का अनुरोध किया। दि.वि.प्रा. ने राज्य आयोग के आदेश पर इस आधार पर प्रहार किया कि उपभोक्ता फोरम को भूमि का मूल्य निर्धारित करने के मुद्दे पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, जैसा कि राज्य आयोग ने किया है और गुजरात आवास बोर्ड बनाम दतानिया अमृत लाल फूल चन्द एवं अन्य II (1993) सी.पी.जे. 351 तथा दि.वि.प्रा. बनाम पुष्पेन्द्र कुमार जैन के मामलों का हवाला दिया।

माननीय न्यायालय राष्ट्रीय आयोग ने निर्णय दिया कि उपभोक्ता फोरम दि.वि.प्रा. के ऐसे नीति विषयक निर्णय लेने में दखल देने के लिए समुचित फोरम नहीं है। चाहे दि.वि.प्रा. द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव किया गया हो, जैसाकि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है, फिर भी उपभोक्ता फोरम द्वारा उस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता। तदनुसार, राष्ट्रीय आयोग ने राज्य आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और शिकायत को अस्वीकार कर दिया।

अरावली जैव वैविध्य पार्क में घास के मैदान में बया पक्षी

7. प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग

7.1 प्रणाली विभाग

7.1.1 भूमि रिकार्ड स्वचलन

यह भूमि रिकार्ड स्वचलन के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) आधारित अनुप्रयोग है जो अधिग्रहीत भूमि पर सूचना देता है। यह बढ़े हुए मुआवजे की मॉनिटरिंग करने के साथ–साथ किसी भी दिए गए समय पर अधिग्रहीत भूमि के इस्तेमाल और उसकी स्थिति को मानीटर करने में सहायता करता है। 239 अधिग्रहित/अधिग्रहणाधीन गांवों में से 233 गांवों के संबंध में भूमि सूची तैयार कर ली गई है। इन 239 अधिग्रहीत गांवों में से 161 गांवों के संबंध में मासाबीस को भूमि रिकार्ड के साथ एकीकृत किया गया है। शेष गांवों की मासाबीस राजस्व कर्मचारियों द्वारा फील्ड बुक्स से तैयार करना प्रस्तावित है। परियोजना दि.वि.प्रा. में परिचालित है और एल.एम.आई.एस. रिकार्ड दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

7.1.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि सॉफ्टवेयर को भूमि निपटान विभाग में कार्यान्वित किया जा चुका है। इस सिस्टम का प्रयोग करके सभी आवंटन किए जाते हैं। भूमि सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के ड्रा के पश्चात् विभिन्न रिपोर्टों को बनाने का प्रावधान है। विभिन्न एम.आई.एस. रिपोर्ट भी तैयार की जाती है।

आवंटियों से प्राप्त प्राप्तियों की सही प्रविष्टि को सुनिश्चित करने और प्राप्तियों के तीव्र सत्यापन के लिए आवंटियों को दि.वि.प्रा. में राशि जमा कराने के लिए कम्प्यूटर जनित चालान दिए जाते हैं।

फ्री–होल्ड परिवर्तन मोड्यूल विभाग में कार्यान्वित हैं। इस मोड्यूल के द्वारा आवेदनों की प्रोसेसिंग और मॉनीटरिंग को सरलीकृत किया गया है और इस सिस्टम के द्वारा आवेदनों की मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गयी है।

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक की अवधि के दौरान 1889 सम्पत्तियों का आवंटन भूमि प्रणाली के माध्यम से किया गया।

7.1.3 आवास

"आवास" हाउसिंग मैनेजमेंट और एकाउटिंग पैकेज सुचारू रूप से कार्य कर रहा है तथा इस पैकेज के द्वारा विभिन्न कार्यकलापों जैसे पंजीकरण, आवंटन, रद्दकरण, नामान्तरण/अंतरण, पते में परिवर्तन, भुगतान की विधि में परिवर्तन और प्राप्तियों के लेखांकन के कार्य किए जा रहे हैं। सभी आवंटन इस प्रणाली द्वारा किये जाते हैं। मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता करने के लिए सभी लेखा जोनों में आवास की प्राप्तियों का ऑनलाईन सत्यापन चल रहा है। मांग एवं वसूली बही, गैर–वसूली प्रमाण–पत्र, विविध देनदार और चूककर्ता सूची के संबंध में कार्रवाई करने की व्यवस्था भी आनलाइन कर दी गई है।

1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि के दौरान लगभग 280 फ्लैट्स आवंटित किए गए और 5481 मांग–पत्र जारी किए गए।

7.1.4 फाइल ट्रैकिंग

डी.डी.ए. के सतर्कता विभाग में फाइल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर संचालित कर दिया गया है।

विकास सदन स्थित स्वागत कक्ष के प्राप्ति एवं प्रेषण काउन्टरों का आन्तरिक दृश्य

7.1.5 प्राप्ति एवं प्रेषण प्रणाली

स्वागत कक्ष में प्राप्ति एवं प्रेषण प्रणाली कार्य कर रही है। इस प्रणाली के माध्यम से अनेक प्रकार के अनुरोध प्राप्त किए जाते हैं और संबंधित विभाग को भेज दिए जाते हैं। प्राप्त किए गए अनुरोध को आगे मॉनीटर करने का प्रावधान है।

7.1.6 डीडीए वेबसाइट

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी) है और विभिन्न पहलुओं जैसे आवास,

भूमि, मुख्य योजना, खेलकूद, पर्यावरण आदि पर जानकारी उपलब्ध कराती है। जनहित की जानकारी जैसे दि.वि.प्रा. की विभिन्न कार्यविधियों, ड्रॉ, निविदा, नीलामी आदि के द्वारा प्लॉट और निर्मित इकाइयों (दोनों) जैसी सम्पत्तियों के आवंटन के परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध रहते हैं। सार्वजनिक सूचनाओं और निविदा सूचनाओं को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उचित तरीके से प्रदर्शित किया गया है।

सांसदों/विधायकों द्वारा उठाये गए मुद्दों और माननीय उप–राज्यपाल और उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए विचार हेतु वेबसाइट सुविधा उपलब्ध है। पंजीकरण विवरण/प्राथमिकता स्थिति/आवंटन स्थिति/ भुगतान विवरण देखने के लिए डाटा बेस के माध्यम से चौबीस घन्टे पूछताछ करने का प्रावधान है।

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों से ई–मेल के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है। और इन सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत मेल बॉक्स भी उपलब्ध कराए गए हैं।

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा बेस सूचना, दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर स्थापित सूचना क्योस्क पर भी उपलब्ध है।

7.1.7 बायोमैट्रिक टाइम अटेंडेंस सिस्टम

दि.वि.प्रा. कार्यालय, विकास सदन में बायोमैट्रिक टाइम अटेंडेंस सिस्टम लागू किया गया है।

7.1.8 वेतन नामावली प्रणाली

वेतन नामावली प्रणाली डी.डी.ए. के 16 आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में कार्यरत है और लगभग 18,500 कर्मचारियों का वेतन इस प्रणाली द्वारा बनाया जाता है सभी संबंधित रिपोर्टें जैसे–आयकर रिपोर्ट और जी.पी.एफ. रिपोर्ट इस माध्यम से तैयार की जाती है।

7.1.9 विधि मामले की मॉनीटरिंग प्रणाली

इस प्रणाली द्वारा विभिन्न अदालतों में दायर किए गए डी.डी.ए. के मुकदमों को मॉनीटरिंग करने की व्यवस्था है। इसमें वकीलों के भुगतान बिलों का रिकार्ड भी रखा जाता है।

7.1.10 ई–निविदा

दि.वि.प्रा. में इलैक्ट्रॉनिक निविदा आरंभ की गई है।
दि.वि.प्रा. वेबसाइट में 49 निविदाएं डाली गई हैं।

7.1.11 डी.डी.ए. पुस्तकालय की बार कोडिंग

डी.डी.ए के पुस्तकालय में सभी पुस्तकों की बार कोडिंग की गई हैं। पुस्तकें जारी करने, वापस लेने जैसे रिकार्ड रखने और उनके उत्तम प्रबन्ध और संचालन के लिए पुस्तकों के बार कोड निर्धारित किए गए हैं। इन सभी कार्यों को सॉफ्टवेयर लिबमैन द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

7.1.12 आई.टी.आधारभूत संरचनाएं

दि.वि.प्रा. के विभिन्न कार्यालयों में ऐसेसरी सहित 1056 से अधिक डेस्कटॉपस् लगाए गए हैं। विकास सदन मुख्यालय में ऑन–लाइन आवेदनों और इंटरनेट सुविधा के लिए अधिक से अधिक डेस्कटॉपस् सर्वर्स से जोड़े गए हैं। नई आवश्यकताओं के लिए समय–समय पर नई आधारभूत संरचनाएं बढ़ाई गई हैं। इस वर्ष ऐसेसरी सहित 134 डेस्कटॉप्स बढ़ाए गए हैं। सैन्ट्रलाइज़ड हैल्प डेस्क के साथ ए.एम.सी. की व्यवस्था की गई है। कार्य निष्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ डेस्कटाप्स को अपग्रेड किया गया है। डाटा स्थानान्तरण और इंटरनेट के लिए विकास सदन, विकास मीनार और सभी के.ले.ई.को लीजड्–लाइंस से जोड़ा गया है।

7.1.13 इंटरनेट एवं वेब सर्वर

विकास सदन और विकास मीनार में इंटरनेट लीज्ड लाइन बैंड विड्थ को बेहतर प्रदर्शन हेतु 4 एम.बी.पी.एस. तक बढ़ाया गया है।

7.1.14 बजट

वर्ष 2010–2011 के लिए डी.डी.ए. बजट का संकलन।

7.1.15 डी.डी.ए. के वार्षिक खाते

वार्षिक खाते हेतु नया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशिक्षण संस्थान ने दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यावसायिक ज्ञान को और अधिक निपुणता के साथ बढ़ाने की आवश्यकता की पहचान भी करता है। यह विभाग दिल्ली और देश के अन्य भागों में अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा आयोजित अनेक बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित भी करता है।

चालू वर्ष 2009–10 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थान ने दि.वि.प्रा. के सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कर्मचारियों को अन्य व्यावसायिक संस्थानों/ एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न कोर्सों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामित किया गया। आयोजित किए गए कार्यक्रमों और भाग लेने वालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	वर्ष	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1	प्रशिक्षण संस्थान, दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2009–10	72	1226
2	बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली से बाहर)	2009–10	20	212
3	विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2009–10	– शून्य –	– शून्य –

7.2.2 विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नि.श्रे.लि., उ.श्रे.लि. सहायकों, आशुलिपिकों और लेखा कार्मिकों आदि के लिए अनुकूलन पाठ्यक्रम शामिल हैं। सहायक, आशुलिपिक, उ.श्रे.लि., अनुभाग अधिकारी (उद्यान) और कनिष्ठ अभियंता श्रेणियों के लिए नये प्रशिक्षण मोड्यूल्स और अगले ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण विभाग ने उन उ.श्रे.लि. एवं सहायकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की है जो अपनी पदोन्नति होने पर तैनाती के अधीन थे, ताकि वे विभाग के हित में अपने तैनाती अधीन अवधि का उपयोग कर सकें ।

7.2.3 प्रशिक्षण संस्थान उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायक निदेशक (लिपिकीय) और वरिष्ठ आशुलिपिकों के पद हेतु विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने वाले निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों, सहायकों और आशुलिपिकों के लिए प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रमों के संचालन में कार्मिक विभाग की सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।

7.2.4 वर्ष 2009–10 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थान ने अपने वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त आर.टी.आई. मामलों में डील कर रहे कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को सूचना अधिकार पर विशेष कोर्स संचालित करने हेतु बल दिया गया है।

श्री ए.के. बजाज, अभियंता सदस्य प्रशिक्षण सत्र के दौरान कोटि आश्वासन कक्ष के अभियंताओं को संबोधित करते हुए

8. इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप

8.1 इंजीनियरिंग विंग के कार्यकलापों को मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों में वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(क) आवासीय भवनों का निर्माण।

(ख) व्यावसायिक केन्द्रों का विकास और निर्माण।

(ग) आवासीय, सांस्थानिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक और व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भूमि का विकास।

(घ) विशेष परियोजनाएं / खेलकूद परिसर।

(ङ) हरित क्षेत्रों जैसे मुख्य योजना हरित क्षेत्र, जिला पार्कों समीपवर्ती पार्कों, मनोरंजनात्मक केन्द्रों, खेल के मैदानों और बच्चों के पार्कों इत्यादि का विकास एवं रख–रखाव।

वर्ष 2009–2010 के दौरान दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग विंग की उपलब्धियां निम्नलिखित है :

8.2 आवासीय भवनों का निर्माण

8.2.1 दि.वि.प्रा. द्वारा 01.04.2009 को प्रगतिधीन मकानों, वर्ष 2009–10 के दौरान शुरू किए गए नए मकानों और 2009–2010 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा पूरे किए गए मकानों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	विवरण	एच.आई.जी.	एम.आई.जी.	एल.आई.जी.	ई.डब्ल्यू.एस. / जनता	कुल
1.	01.04.09 को प्रगतिधीन मकान	3819	771	7537	3070	15197
2.	2009–10 के दौरान शुरू किए जाने वाले नए मकानों का लक्ष्य	5618	1913	25	1840	10085
3.	2009–10 के दौरान शुरू किए गए नए मकान	शून्य	16	शून्य	5232	5248
4.	2009–10 के दौरान पूरे किए जाने वाले मकानों का लक्ष्य	5058	1907	24	1328	8997
5.	2009–10 के दौरान पूरे किए गए मकान	336	24	3920	शून्य	4280
6.	01.04.2010 को प्रगतिधीन आवास	3531	747	3277	8302	15857

8.3 व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

8.3.1 दिनांक 01.04.2009 को प्रगतिधीन विभिन्न शॉपिंग / व्यावसायिक परिसरों और वर्ष 2009–10 के दौरान शुरू और पूरे किए गए नए परिसरों की स्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	डी.सी.	सी.सी	एल.एस.सी.	सी.एस.सी	कुल
1.	01.04.2009 को प्रगतिधीन व्यावसायिक केन्द्र	3	3	1	1	8
2.	2009–10 के दौरान शुरू किए जाने वाले नये व्यावसायिक परिसर	4	14	9	13	40
3.	2009–10 तक शुरू किए गए नए व्यावसायिक परिसर	1	5	5	8	19
4.	2009–10 के दौरान पूरे किए जाने वाले व्यावसायिक केन्द्रों का लक्ष्य	6	10	5	6	27
5.	2009–10 के दौरान पूरे किए गए व्यावसायिक केन्द्र	4	1	1	2	8
6.	01.04.2010 को प्रगतिधीन व्यावसायिक केन्द्र	2	5	2	1	10

टिप्पणी : डी.सी. – जिला केन्द्र, सी.सी.– समाज सदन, एल.एस.सी. – स्थानीय बाजार, सी.एस.सी. – सुविधा बाजार।
इन सबके अतिरिक्त द्वारका में 11 समाज सदनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8.4 मुख्य भूमि विकास योजनाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना के अनुसार नगर सीमाओं का विस्तार करके नए उप–नगरों का विकास करके और शहरी विस्तारों के लिए भौतिक आधारिक संरचना जैसे सड़क, सीवरेज, नाले, जलापूर्ति, पावर लाईन और मनोरंजनात्मक सुविधाओं आदि की व्यवस्था करके लगातार विकास कार्यकलाप कर रहा है। ये शहरी विस्तार द्वारका, नरेला, धीरपुर, रोहिणी, वसन्त कुन्ज फेज–II, लोकनायक पुरम (बक्करवाला) हैं।

8.4.1 उक्त विस्तृत मुख्य विकास योजनाओं की प्रगति नीचे तालिका के रूप में दी गई है :

क. योजना में दी जाने वाली सेवा की कुल लम्बाई

ख. 31.03.2009 तक दी गई सेवाएं।

ग. 31.03.2010 तक दी गई सेवाएं।

वसंत कुंज स्थित आवास

योजनाओं के नाम	योजना का क्षेत्रफल हैक्टे. में		सड़कें कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाले कि.मी. में
द्वारका फेज - I	1862	क	101.35	59.30	79.925	150.00
		ख	101.35	59.30	79.925	153.10
		ग	-	-	-	
द्वारका फेज - II	2098/1194	क	79.48	57.762	59.82	111.80
		ख	57.26	37.70	56.00	52.30
		ग	-	-	-	-
नरेला	7282/ 450	क	90.90	33.00	33.00	79.00
		ख	74.26	32.00	28.00	60.00
		ग	-	-	-	-
धीरपुर	194.50	क	7.30	6.00	6.00	10.00
		ख	5.80	3.00	-	-
		ग	-	-	-	-
रोहिणी फेज - III	1000/ 700	क	168.00	26.60	55.00	83.00
		ख	168.00	26.60	55.00	83.00
		ग	-	-	-	-
रोहिणी फेज - IV एवं V	4000/ 788 + 100 हेक्टे. (हाल में अधिग्रहित)	क	52.84	20.358	57.35	115.77
		ख	34.19	16.06	54.05	36.89
		ग	-	-	-	-
लोकनायक पुरम	60	क	2.60	4.14	5.21	4.28
		ख	2.60	4.14	5.21	4.28
		ग	-	-	-	-

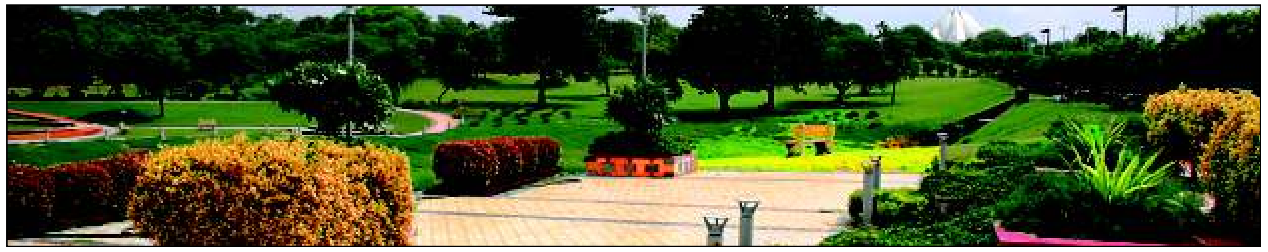

आस्था कुंज का विहंगम दृश्य

8.5 विशेष मुख्य परियोजनाएं / खेल परिसर

दि.वि.प्रा. ने विकास के भाग के रूप में और नगर स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं। दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2009–10 के दौरान निम्नलिखित विशेष/ मुख्य परियोजनाएं पूरी/ शुरू की हैं।

यमुना खेल परिसर में राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए निर्माणाधीन इन्डोर स्टेडियम

8.5.1 वर्ष 2009–10 के दौरान पूरी की गई विशेष मुख्य परियोजनाएं (मार्च, 2010 तक)

I) जसोला फेज–II में ज़िला केन्द्र (केवल सड़क कार्य)

8.5.2 विशेष मुख्य परियोजनाएं, जो चल रही हैं।

i. नरेला में एकीकृत भाड़ा परिसर।

ii. यमुना नदी तट का विकास (गोल्डन जुबली पार्क)

iii. सतपुला झील परिसर का विकास।

iv. स्थानीय बाजार एवं मदनगीर गांव के मध्य भूमि का विकास।

v. तुगलकाबाद मनोरंजनात्मक परिसर का विकास।

vi. नेहरू प्लेस, जिला केन्द्र के निकट आस्था कुंज का विकास।

vii. जिला केन्द्र, नेहरू प्लेस का उन्नयन।

viii. झरोदा माजरा एवं वजीराबाद में यमुना जैव वैविध्य पार्क का विकास।

ix. वसन्त विहार के उत्तर में अरावली जैव वैविध्य पार्क का विकास।

x. वसन्त कुन्ज फेज - II में सुल्तानगढ़ी मकबरा संरक्षण परिसर का विकास।

xi. शास्त्री पार्क में प्लॉट नं. 17 पर सभा केन्द्र।

xii. सी.बी.डी. शाहदरा में 46 हेक्टेयर भूमि का विकास।

xiii. जहांपनाहनगर वन के निकट चित्तरंजन पार्क में लघु खेल परिसर।

xiv. निगम बोध शमशान घाट का विकास एवं उन्नयन।

xv. महरौली में पुरातत्त्वीय पार्क का विकास।

xvi. मधुबन चौक में क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण।

xvii. अक्षरधाम मन्दिर के निकट राष्ट्रमंडल खेल गांव।

xviii. सिरी फोर्ट एवं यमुना खेल परिसरों में प्रतियोगिता केन्द्र।

xix. जीटी कर्नाल रोड से पश्चिमी यमुना नहर तक 100 मीटर मार्गाधिकार का निर्माण।

xx. सरिता विहार में फ्लाई ओवर के लिए थ्री क्लोवर लीव्स का निर्माण।

xxi. लाजपत नगर में नाले को ढकना।

xxii. डिफेंस कालोनी में नाले को ढकना।

द्वारका में चालू विशेष प्रमुख परियोजना

1. द्वारका एवं बक्करवाला को जोड़ने वाली एक्सप्रेस रोड का निर्माण।
2. रेलवे लाइन एवं दिल्ली कैंट से पालम की ओर जाने वाले सीतापुरी पालम नाले को ढकना।
3. कैंट रोड से होकर जाने वाली 45 मी. रोड का विकास।
4. द्वारका फ्लाईओवर के नीचे, पॉकेट 13 मंगलापुरी में भूमि का विकास।
5. हस्तसाल में सेनेटरी लैंड फिल (गड्ढा नं. 2) का विकास।
6. अशोधित जलापूर्ति हेतु, पाइप लाइन बिछाना।
7. जिला केन्द्र, हरि नगर के लिए 6.75 हैक्टे. भूमि का विकास

द्वारका स्थित मध्यम आय वर्ग के आवास

8. पी वी सी मार्केट ज्वालापुरी में सांस्थानिक क्षेत्र का विकास।
9. जिला केन्द्र, पश्चिम विहार का विकास।
10. पश्चिम विहार जी–17, डी–ब्लॉक में समाज सदन का विकास।
11. सैक्टर–20, द्वारका फेज–I में भारत बंदना पार्क का विकास।
12. पृथक पॉकेट 21–ए, नसीरपुर में 391 हेक्टे. भूमि का विकास।
13. द्वारका में जलाशयों का विकास।
14. बामनूह पोचनपुर गांव में जलाशयों का विकास।
15. डी.टी.सी. टर्मिनल नजफगढ़ बिजवासन गांव में जलाशयों का विकास।
16. सैयद नांगलोई के निकट नांगलोई का विकास।
17. जेल रोड एवं माया ऐंक्लेव के बीच में हरित क्षेत्र का विकास।

उत्तरी जोन में चालू विशेष प्रमुख परियोजना

1. जी.टी. करनाल रोड से पश्चिमी यमुना नहर तक 100 मी. मार्गाधिकार का निर्माण।

रोहिणी स्थित निम्न आय वर्ग के फ्लैट

2. नरेला में 80 मी. मार्गाधिकार सड़क का निर्माण।

   उपशीर्ष :– 7.5 मी. चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण।
3. नरेला में सैक्टर ए–1 से ए–4 तक 40 मी. मार्गाधिकार सड़क का निर्माण।
4. नरेला में सैक्टर ए–1 से ए–4 तक परिधीय जल आपूर्ति लाइनों को बिछाना।
5. नरेला उप नगर में एमपीआर का निर्माण

   उपशीर्ष :– 80 मी. / 60 मी. सड़क अलीपुर नरेला के लिए सेंट्रल वर्ज के दोनों ओर एक चौड़े कैरिज वे रास्ते का निर्माण। पश्चिमी यमुना नहर पर 5.05 कि.मी. 2.50 मी.।
6. नरेला उप नगर में एन एफ सी पर 40मी. / 30मी. मार्गाधिकार सड़क का निर्माण।
7. नरेला में सैक्टर जी–7 एवं जी–8 में 60 मी. मार्गाधिकार का निर्माण।
8. नरेला उप नगर में मुख्य योजना सड़क का निर्माण।

   उपशीर्ष :– नरेला उप नगर के सैक्टर जी–7 एवं जी–8 में 40 मी. मार्गाधिकार सड़क का निर्माण।
9. नरेला उप नगर, सैक्टर जी–7 एवं जी–8 में भूमि का विकास।

   उपशीर्ष : नरेला, सैक्टर जी–7 एवं जी–8 में आन्तरिक सड़क का निर्माण।
10. नरेला उप नगर में सैक्टर जी–7 एवं जी–8 भूमि का विकास।

    उपशीर्ष : नरेला के सैक्टर जी–7 एवं जी–8 में सीवर लाइन बिछाना।

8.6 उद्यान कार्यों का विकास / रख–रखाव

दि.वि.प्रा. ने हरित क्षेत्रों को विकसित करने पर जोर दिया है जो शहर के वायुप्रद क्षेत्र हैं। दि.वि.प्रा. श्रेष्ठ पार्कों या हरित क्षेत्रों की बेहतर प्रणाली का विकास करने का दावा कर सकता है। दि.वि.प्रा. ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत छोटे–बड़े लगभग 3800 पार्कों सहित इस शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टियों और समीपवर्ती हरित क्षेत्रों आदि के रूप में नदी एवं रिज और विकसित खुले स्थानों जैसी प्राकृतिक विशेषताओं को संरक्षित किया है।

दि.वि.प्रा. ने हरित पट्टियों, थीम पार्कों, शहरी वनों, स्मारकों के आस–पास हरित क्षेत्रों, जैव–वैविध्य पार्कों आदि के विकास को बढ़ावा दिया है, जो दि.वि.प्रा. की भू–दृश्यांकन इकाई द्वारा ही डिजाइन किए गए हैं।

स्वर्ण जयंती पार्क, रोहिणी स्थित सस्पेंशन ब्रिज का एक दृश्य

इसके अंतर्गत :

- मुख्य योजना में निर्धारित किए गए मानदंडों अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से संबंधित डिजाइन और नीतिगत निर्णय।
- दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी जिला पार्कों समीपवर्ती पार्कों, क्रीड़ा–क्षेत्रों, शिशु–पार्कों और आवासीय क्षेत्रों में अन्य छोटे–छोटे पार्कों की डिजाइन करना शामिल है।

वर्ष 2009–10 के दौरान चालू प्रमुख उद्यान–परियोजनाएं

i) आस्था कुंज

ii) यमुना जैव–वैविध्य पार्क (फेज–I एवं II)

iii) अरावली जैव–वैविध्य पार्क

iv) गोल्डन जुबली पार्क (यमुना नदी मुहाना विकास)

v) राष्ट्रमंडल खेल गांव के भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।

vi) अ.रा.ब.अ. क्रॉसिंग पर यमुना नदी मुहाने के साथ–साथ घाट का भू–दृश्यांकन विकास।

vii) राष्ट्रमंडल खेल – 2010 गैर आवासीय परिसर की भू–दृश्यांकन योजना।

viii) यमुना खेल परिसर – पुराने क्षेत्र एवं नए भवन (टेबल टेनिस वेन्यू) को फिर से सजाने संवारने हेतु भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।

ix) सीरी फोर्ट खेलकूद परिसर को सजाने संवारने हेतु भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।

x) वसंत कुंज में वृहद आवास (मेगा हाउसिंग) के लिए भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।

xi) कौरोनेशन पार्क के लिए भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।

xii) बारापुला जल निकासी बेसिन के भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।

xiii) वसंत विहार में वसंत उद्यान के उन्नयन हेतु भू–दृश्यांकन प्रस्ताव।

अप्रैल, 2009 से दिसम्बर 09 के दौरान तैयार की गई और अनुमोदित की गई अन्य स्कीमें :–

- बक्करवाला में सामुदायिक पार्क
- संजय झील हरित (संजय लेक ग्रीन), त्रिलोकपुरी का उन्नयन
- कालका जी विस्तार पॉकेट ए–10 में एन एच पी
- पश्चिम विनोद नगर में जलाशय ग्रीन
- द्वारका, सैक्टर–11 में सामुदायिक पार्क
- कोंडली घरौली में स्मृति वन की उन्नयन योजना
- बतरा अस्पताल के सामने संगम विहार में हरित क्षेत्र।

वर्ष 2009–10 के लिए नई पहल

- राष्ट्रमंडल खेल – 2010 से संबंधित कार्य।
- जैव–वैविध्य पार्कों हेतु निर्धारित किए गए नए क्षेत्र।
- जोन 'ओ' में हरित क्षेत्रों का विकास।
- तुगलकाबाद में हरे–भरे क्षेत्र।
- रोहिणी की हरित पट्टियाँ और अन्य हरित क्षेत्र।
- द्वारका, सैक्टर–11 में शोषित वर्ग के बच्चों के लिए मॉडल पार्क।

यमुना खेल परिसर स्थित तीरंदाजी हेतु स्थल

वर्ष 2009–10 के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

वर्ष	वृक्षारोपण (लाखों में)		नए लॉनों का विकास (एकड़ों में)		शिशु पार्कों का विकास (संख्या में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2009-10	4.89	4.66	242.28	142.55	20	9

राष्ट्रमंडल खेल–2010 हेतु वसंत कुंज स्थित निर्माणाधीन फ्लैट

8.7 नए महत्वपूर्ण क्षेत्र

8.7.1 राष्ट्रमंडल खेल

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमिका :–

क) खेल गांव का विकास :–

- 8,000 प्रतियोगियों के लिए आवासीय व्यवस्था
- प्रैक्टिस वेन्यूज –

  तरण ताल, कुश्ती, भारोत्तोलन और एथेलेटिक ट्रैक
- अस्थाई आवरण (टेम्परेरी ओवरले) –

  डाइनिंग हॉल, इंटरनेशनल जोन, विलेज ऑपरेशन एवं सपोर्ट एरिया (वी.ओ.एस.ए.) आदि।

वर्तमान स्थिति :

i. 8,000 प्रतिभागियों के लिए आवासीय व्यवस्था – कार्य चल रहा है।

ii. प्रैक्टिस वैन्यू – कार्य चल रहा है।

iii. डाइनिंग हॉल, इन्टरनेशनल जोन, कार्यालयों आदि के लिए टेम्परेरी ओवरले।

खेल गांव का कार्य मई, 2010 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है और इसे आयोजन समिति को 01.06.2010 को सौंप दिया जाएगा।

ख) प्रतिस्पर्धा स्थलों का विकास :–

- सीरीफोर्ट खेल परिसर –

  बैडमिंटन एवं स्क्वॉश
- यमुना खेल परिसर –

  टेबल टेनिस एवं तीरंदाजी (प्रारंभिक)

ग) प्रशिक्षण स्थलों की व्यवस्था :–

- सीरी फोर्ट खेल परिसर –

  बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस और जल–क्रीड़ा

  वर्तमान स्थिति – कार्य चल रहा है
- यमुना खेल परिसर –

  एक्वेटिक, विमेन रिदमिक जिमनास्टिक्स, लॉन–बाल्स, आर्चरी एवं हॉकी

  वर्तमान स्थिति – कार्य चल रहा है।
- साकेत खेल परिसर – बैडमिंटन

  वर्तमान स्थिति – कार्य चल रहा है।

इन कार्यों को मार्च 2010 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है और आयोजन समिति को 01.04.2010 को सौंपे जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रमंडल खेल–2010 हेतु सीरी फोर्ट खेल परिसर स्थित निर्माणाधीन बैडमिंटन स्टेडियम

8.7.2 आरम्भ किए जाने वाले ई.डब्ल्यू.एस. आवास

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (स्लम निवासियों) का स्तर सुधारने और उन्हें एक स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर दि.वि.प्रा. द्वारा एक (1) लाख ई. डब्ल्यू.एस. आवास बनाने का निर्णय लिया गया। 46,360 आवासीय इकाइयों के लिए स्थल निर्धारित कर लिए गए हैं और यह कार्य वर्ष 2009–10 में आरम्भ किए जाने की संभावना है।

8.7.3 फ्लाई ओवर

जनसंख्या में वृद्धि (स्थानीय एवं प्रवासी) होने और निजी वाहनों के साथ–साथ सार्वजनिक परिवहन के बढ़ने के कारण दिल्ली की सड़कों पर यातायात बहुत बढ़ गया है। इसी कारण दिल्ली में यातायात की समस्याओं को कम करने के लिए फ्लाई ओवरों के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. को विश्वासपूर्वक सौंपी गई थी। 31 मार्च, 2005 तक बारह फ्लाई ओवरों का काम पूरा किया जा चुका है।

वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आरम्भ किए जाने वाले सुधार कार्यों की स्थिति नीचे बताई गई है :–

क्र. सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग–2 एवं मार्ग सं. 13ए पर तीन क्लोवर लीफ स्लिप रोड, आर.यू.बी., पहुंच मार्ग	कार्य चल रहा है।
2.	कडकड़डूमा मोड़ स्थित मुख्य नाला नं.1 पर क्लोवर लीफ, विद्यमान पुल को चौड़ा करना	निविदाएं प्राप्त की गई हैं और यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. से अनुमति प्रतीक्षित।
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग–24 एवं नोएडा मोड़ स्लिप रोड, फुटपाथ, साइकिल मार्ग और अंडरपास	फेज–I का कार्य चल रहा है। फेज–II का कार्य राष्ट्रमंडल खेलों के बाद आरंभ किया जाना है।
4.	राष्ट्रमंडल खेल गांव तक प्रवेश एवं निकास मार्ग	कार्य चल रहा है।
5.	लाजपत नगर के निकट रेलवे क्रासिंग पर आर.यू.बी.	निविदाएं प्राप्त हो गई और प्रक्रियाधीन है।
6.	घरेलू एयरपोर्ट मार्ग के साथ–साथ द्वारका को जोड़ने वाले पहुँच मार्ग तक सर्कुलर रोड का सुधार	कार्य चल रहा है।
7.	80 मीटर चौड़े मार्ग पर भोरगढ़ के निकट रेलवे क्रासिंग पर आर.ओ.बी. (यू.ई.आर.–I)	परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए तीन प्रस्तावों को अंतिम निर्णय हेतु यूटीटीआईपीईसी को प्रस्तुत कर दिया गया है।
8.	100 मीटर चौड़े मार्ग पर होलम्बी कलां रेलवे क्रासिंग के निकट आर.ओ.बी. (यू.ई.आर–II)	परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए चार प्रस्तावों को अंतिम निर्णय लेने के लिए यूटीटीआईपीईसी को प्रस्तुत कर दिया गया।

8.7.3 (क) वर्ष 2010–11 के दौरान निर्मित किए जाने वाले फ्लाईओवर

क्रम सं.	अवस्थिति	वर्तमान स्थिति
1.	नोएडा मोड़ फ्लाईओवर पर एक स्लिप रोड, सम्पर्क सड़क, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और अन्डरपास सहित 3 अतिरिक्त क्लोवर लीफ का निर्माण	प्रमुख शहरी सड़कों पर यातायात के अबाध आवागमन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक दीर्घावधिक उपाय के रूप में, लोक निर्माण विभाग (पी डब्ल्यू डी) ने कुछ चुनिंदा जंक्शनों पर फ्लाईओवर और अन्डरपास का निर्माण करने का कार्य शुरू किया। तद्नुसार, वर्ष 2001–02 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा नोएडा मोड़ क्रासिंग पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। अब 3 स्लिप रोड्स का निर्माण और फेज–I की विद्यमान क्लोवर लीफ का री–मोल्डिंग का कार्य चल रहा है। शेष स्लिप रोड (एक) और तीन बकाया क्लोवर लीफ का कार्य, निर्माण के फेज–II के अंतर्गत, राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो जाने के बाद आरंभ किया जाएगा। माननीय उप राज्यपाल द्वारा यह निर्णय यूटीटीपीईसी की दिनांक 20.02.09 को आयोजित की गई अपनी बैठक के दौरान लिया गया।
2.	कड़कड़ी मोड़ (विकास मार्ग और रोड नं. 57 का चौराहा) पर क्लोवर लीव्स का निर्माण और प्रमुख नाले (ट्रंक ड्रेन) नं.–1 पर विद्यमान पुल को चौड़ा करना।	विकास मार्ग पर रोड नं. 57 के चौराहे को सिग्नल फ्री बनाने के लिए रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार की ओर से कार्य सौंप दिया गया है। इसका औचित्य प्रक्रियाधीन है और कार्य जून, 2010 में अवार्ड किए जाने की उम्मीद है।
3.	लाजपत नगर–1 में विद्यमान रेलवे लेवल क्रासिंग के नीचे आर.यू.बी. का निर्माण। उपशीर्ष : पम्प हाउस एवं सम्प वैल सहित प्रस्तावित आर.यू.बी. के पहुँच मार्ग का निर्माण।	उपर्युक्त कार्य लाजपत नगर–1 के निकट दक्षिण–पूर्व की ओर रेलवे क्रासिंग पर स्थित है। रेलवे क्रासिंग पर भीड़–भाड़ और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए आर.यू.बी. का निर्माण किया जाएगा। कार्य हेतु निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और अवार्ड हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

8.7.4 शहरी विस्तार रोड

क. शहरी विस्तार रोड सं. I का निर्माण

यह रोड नरेला एवं रोहिणी परियोजनाओं से होकर गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग–1 (जीटी करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग–10 (रोहतक रोड) से जोड़ेगा।

कुल लम्बाई - **28 किलोमीटर**

नरेला परियोजना - **11 किलोमीटर**

भूमि उपलब्ध है। तकनीकी समिति ने संरेखण और जी.टी. करनाल रोड से अलीपुर–नरेला रोड तक लगभग 3 कि.मी. लम्बे रोड और बवाना के समीप डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्मित लगभग 1.2 कि.मी. रोड को अनुमोदित किया है। इसके लिए सड़क विकास योजना अनुमोदित कर दी गई है।

रोहिणी परियोजना - **17 किलोमीटर**

अभी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। एम–क्षेत्रीय योजना अनुमोदित की गई, सर्वेक्षण अभी किया जाना है।

ख. 100 मीटर मार्गाधिकार शहरी विस्तार मार्ग सं. II का निर्माण

यह रोड नरेला, रोहिणी और द्वारका परियोजनाओं से गुजरेगा और राष्ट्रीय राजमार्ग–1 (जीटी–करनाल रोड), राष्ट्रीय राजमार्ग–10 (रोहतक रोड) और राष्ट्रीय राजमार्ग–8 (दिल्ली–गुड़गांव रोड) को जोड़ेगा। तकनीकी समिति ने रोड के सम्पूर्ण टुकड़े के संरेखण को अनुमोदित कर दिया है।

कुल लम्बाई - **46.0 किलोमीटर**

नरेला परियोजना - **7.0 किलोमीटर**

भूमि अधिग्रहित है। सड़क विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

रोहिणी परियोजना - **14.0 किलोमीटर**

बवाना गांव के निकट 1.4 किमी की पट्टी को छोड़कर भूमि अधिग्रहित कर ली गयी है। सड़क विकास योजना तैयार की जा रही है। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक अनुमान पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

द्वारका परियोजना - **25.0 किलोमीटर**

राष्ट्रीय राजमार्ग–8 से 3 कि.मी. लम्बी सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित है और 6.50 कि.मी. लम्बी सड़क दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित है। सड़क विकास योजना को अनुमोदित कर दिया गया है।

ग. शहरी विस्तार मार्ग सं. III का निर्माण

यह सड़क नरेला, रोहिणी से गुजरेगी और राष्ट्रीय राजमार्ग–1 (जीटी करनाल रोड) को राष्ट्रीय राजमार्ग–10 (रोहतक रोड) से जोड़ेगी।

कुल लम्बाई - **16.0 किलोमीटर**

नरेला परियोजना - **5.5 किलोमीटर**

भूमि अधिग्रहित की जानी है।

रोहिणी परियोजना - **10.5 किलोमीटर**

तकनीकी समिति से सड़क का संरेखण अनुमोदित है। सड़क को चौड़ा करने और उसमें सुधार करने का कार्य आरंभ किया जाना है। सिंगल लेन का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति की सहमति हेतु कार्य के प्रारम्भिक अनुमान तैयार किए गए।

8.7.5 शोधित सीवेज जल का प्रयोग

''उद्यान कार्यों के लिए शोधित सीवेज जल का प्रयोग'' को अति महत्व दिया जा रहा है। शोधित सीवेज जल का प्रयोग करने पर उपयोग किए जा रहे ट्यूबवैलों का प्रयोग बंद हो जाएगा। दि.वि.प्रा. ने शोधित सीवेज जल के प्रयोग की योजना पहले ही बना ली है।

8.7.6 बरसाती जल का संग्रहण

बरसाती जल का संग्रहण करना घट रहे जल स्तर को पुनः बढ़ाने की एक आसान और प्रभावी विधि है जिससे निकट भविष्य में विश्वसनीय जल स्रोत सुनिश्चित किया जा सकता है। बरसाती जल के संग्रहण की योजना विभिन्न परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही है, जो पूरी हो चुकी है/चल रही है/योजना चरण में है।

8.7.7 झुग्गी–झोंपड़ी समूहों का स्व–स्थाने विकास

दि.वि.प्रा. झुग्गी–झोंपड़ी समूहों का स्व–स्थाने विकास करने का कार्य शुरू करेगा इसलिए पहले चरण में पूरी दिल्ली में ऐसे 21 स्थलों का निर्धारण किया जा चुका है। स्लम एवं जे.जे. बस्तियों के विकास के लिए वास्तुकारों का पैनल तैयार कर लिया गया है और 12 स्थलों के परामर्शदाताओं की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। पटेल नगर के निकट कटपुतली कॉलोनी में स्व–स्थाने विकास कार्य अवॉर्ड कर दिया गया है।

8.8 बजट अनुमान

वर्ष 2009–10 के दौरान, सक्षम प्राधिकारी ने बीजीडीए में 630.05 करोड़ रु. और नजूल खाता–II में 1254.39 करोड़ रु. की राशि के प्रारंभिक बजट अनुमान अनुमोदित कर दिए हैं।

8.9 वित्तीय कार्यनिष्पादन

	2009–10 के लिए बजट अनुमान (करोड़ रू. में)	दिसम्बर, 09 तक व्यय (करोड़ रु. में)
कुल	4538.12*	3472.05

*** इसमें शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त फंड के 670.10 करोड़ रु. शामिल हैं।**

9. राष्ट्रमंडल खेल 2010

राष्ट्रमंडल खेल 2010 का कार्य नई दिल्ली को 2003 में सौंपा गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए विशेष रूप से गठित की गई मंत्री समूह की 4 जनवरी 2006 की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर दि.वि.प्रा. को राष्ट्रमंडल खेल 2010 से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का विकास करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(i) खेल गाँव का विकास

- 8,000 प्रतियोगियों के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार पर आवासीय व्यवस्था।
- अभ्यास स्थल – फिटनेस सेन्टर, तरण ताल, कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स ट्रैक।
- डाइनिंग हॉल, किचन, परिवहन मॉल, अंतर्राष्ट्रीय जोन और कार्यालय आदि हेतु अस्थायी ढाँचा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग–24 के चौराहे पर फ्लाईओवर।

(ii) प्रतिस्पर्धा स्थलों का विकास

- सीरी फोर्ट खेल परिसर – बैडमिंटन और स्क्वॉश
- यमुना खेल परिसर – टेबल टेनिस और तीरंदाजी

(iii) प्रशिक्षण स्थलों की व्यवस्था

- सीरी फोर्ट खेल परिसर – बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस, तैराकी
- यमुना खेल परिसर – तैराकी, हॉकी, महिला संगीतमय जिमनास्टिक्स, लॉन बॉल्स और तीरंदाजी।
- साकेत खेल परिसर – बैडमिंटन

खेल गाँव

खेल गाँव 59.28 हैक्टे. भूमि के प्लॉट पर अक्षरधाम मंदिर के निकटस्थ बनाया जा रहा है। खेल गाँव में निम्नलिखित शामिल है :

क) आवासीय जोन

8,000 एथलीट्स एवं अधिकारियों की व्यवस्था करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रणाली के आधार पर 11 हैक्टे. भूमि पर निर्मित किया गया। यहाँ पर 34 टॉवर हैं, जिनमें 2/3/4/5 बी एच के की रूप रचना वाले 1168 अपार्टमेंट्स हैं।

खेल गाँव स्थित मनोरंजनात्मक जोन

ख) अभ्यास स्थल

एथलीट्स/खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए, दि.वि.प्रा. ने निम्नलिखित सुविधाओं का विकास किया।

i) फ्लड लाइट्स वाले एथलेटिक्स स्टेडियम (400 मी., 8 लेन का कृत्रिम ट्रैक) में कवर्ड पेविलियन एवं थ्रो इवेन्ट्स के लिए अलग क्षेत्र को सम्मिलित किया।

ii) भारोत्तोलन एवं कुश्ती हेतु इंडोर हॉल।

iii) तरणताल (50 X 25 मी. बाल एवं लेजर पूल)

ग) अस्थायी संरचना

अन्तर्राष्ट्रीय जोन, रसोईघर, भोजन कक्ष, धार्मिक स्थल, ट्रांसपोर्ट मॉल, पॉलीक्लीनिक इत्यादि का किराया आधार पर अस्थायी निर्माण किया। इसका निर्माण टेंसिल फेब्रिक रूफ से किया गया जिसे 35,000 वर्ग मीटर के सफेद रंग के पीवीसी पॉलीस्टर से ढका गया और यह पूर्णतः वातानुकूलित था। सभी आगंतुकों, खिलाड़ियों, प्रतिनिधि मंडलों ने इसके कलात्मक रूप की प्रशंसा की।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधाएं भी विकसित की गई थी

i) हेलीपैड

ii) सीवेज एवं जल शोधन संयंत्र

iii) 9 फव्वारों से भूदृश्यांकन एवं एक विशाल जलाशय।

दि.वि.प्रा. ने सफलतापूर्वक विशाल खेल गाँव के विकास का कार्य पूर्ण किया जो बीजिंग, चीन में ओलम्पिक खेलों हेतु बनाए गए खेल गाँव से भी अधिक बड़ा है। आने वाले खिलाड़ियों, प्रतिनिधिमंडलों ने गाँव के डिजाइन एवं सुविधाओं की प्रशंसा की।

प्रतियोगिता स्थल

I सीरी फोर्ट खेल परिसर में बैडमिंटन एवं स्क्वॉश

- बैडमिंटन प्रतियोगिता स्थल जिसमें 3 अभ्यास कोर्ट्स, 5 मैच कोर्ट्स और 5,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है और स्क्वॉश के लिए 10 अभ्यास कोर्ट्स और एक शो कोर्ट एवं 4,200 दर्शकों के बैठने की क्षमता है।
- स्टेडियम का कुल क्षेत्रफल 1,09,700 वर्ग मीटर है जिसमें आयताकार भवन एवं मेहराब (आर्क) के मध्य स्थल में आरसीसी का ढांचा है। यह तीन भागों अर्थात् स्क्वॉश (सैक्टर–I), बैडमिंटन (सैक्टर–II) और मध्य स्थल में बंटा हुआ है।

II यमुना खेल परिसर में टेबल टेनिस

- टेबल टेनिस के प्रतियोगिता स्थल में 2 शो कोर्ट टेबल, 8 मैच कोर्ट टेबल और 10 वार्म अप प्रैक्टिस कोर्ट टेबल हैं और बैठने के लिए 4,297 सीटों की क्षमता है।
- स्टेडियम का क्षेत्र 26,000 वर्ग मीटर है। शो कोर्ट की छत जो ट्रसिस् से बनी है एवं प्रि–टेंशन बार से बंधी है, जिसको भारत में पहली बार सफलतापूर्वक बनाया गया है। हाइड्रोस्टेटिक टाइल्स जर्मनी से आयात की गई, रिट्रेक्टेबल सिटिंग आस्ट्रेलिया से आयात की गई, शो कोर्ट और मैच कोर्ट के लिए वर्ल्ड क्लास मैपल वुड फ्लोरिंग, पर्याप्त पार्किंग स्थल, विशिष्ट विकलांग एथलीटो के लिए पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाना, आंतरिक और बाहरी कार्य को पूरा करने हेतु यूरोप और आस्ट्रेलिया से आयातित आधुनिक निर्माण सामग्री का प्रयोग किया गया और विभिन्न हरित भवनों के लिए मानकों का पालन किया गया।
- यह परियोजना, शो कोर्ट के विलक्षण डिजाइन और कुशल मजदूरों, रचना–तंत्र (मेकनिज्म) की कमी के बावजूद सफलतापूर्वक पूरी की गई और इसके कला एवं डिजाइन के लिए उच्च पदाधिकारियों, खिलाड़ियों, आगंतुकों और तकनीकी अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की।

III यमुना खेल परिसर स्थित तीरंदाजी स्थल

- इस स्थल पर 40 लेन वाला खेल का मैदान है और 1500 लोगों के बैठने की क्षमता है। स्थल का कुल क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। इसमें टेंसिल फेबरिक से छत तैयार करना, ग्रेनाइट से फर्श का काम, सेरेमिक टाइल्स एवं कोटा स्टोन, एच.वी.ए.सी., आग का पता लगाने वाले एवं अग्नि शमन उपकरण हैं और एथलीट लॉन्ज, चेंजरूम, लॉकर, तकनीकी अधिकारी लॉन्ज,

खेल गाँव में अस्थायी संरचना

चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी, डॉपिंग कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स कैफेटेरिया, स्थल प्रबंध, स्टोर एवं दर्शक दीर्घा, व्यापारी एवं गेम्स फैमिली लॉन्ज तथा मीडिया सेंटर की सुविधाएँ हैं।

प्रशिक्षण स्थल

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी विद्यमान सुविधाओं में सुधार करके सीरी फोर्ट, यमुना एवं साकेत खेल परिसर में प्रशिक्षण स्थल भी विकसित किए हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

- सीरी फोर्ट खेल परिसर – बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस, स्वीमिंग।
- यमुना खेल परिसर – स्वीमिंग, हॉकी, महिला संगीतमय जिमनास्टिक, लॉन बॉल्स एवं तीरंदाजी।
- साकेत खेल परिसर – बैडमिंटन।

आने वाले एथलीट/खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सीरी फोर्ट खेल परिसर और यमुना खेल परिसर स्थित उक्त प्रशिक्षण स्थलों का सुधार कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–24 और बाँध रोड के चौराहे पर स्थित फ्लाईओवर

राष्ट्रीय राजमार्ग–24 की तरफ से खेल गाँव में सिग्नल मुक्त पहुँच मार्ग की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग–24 और बाँध रोड के चौराहे पर एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा खेल गाँव, प्रतियोगिता स्थलों और प्रशिक्षण स्थलों के निर्माण के किए गए बड़े कार्यों तथा दि.वि.प्रा. की टीम द्वारा किए गए कार्यों पर समग्र रूप से विचार करते हुए इसकी महान सराहना की जा सकती है क्योंकि यह सारा कार्य लगभग रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया गया था।

खेल गाँव स्थित अभ्यास हेतु एथलेटिक्स ट्रैक

10. योजना एवं वास्तुकला

9.1 योजना विभाग

9.1.1 दिल्ली मुख्य योजना – 2021

(क) दिल्ली मुख्य योजना – 2021 के अंतर्गत तैयार किए गए विनियमों/मार्ग निर्देशों का मसौदा

प्राधिकरण के दिनांक 17.02.2010 के निर्णय द्वारा आयुक्त (दि.न.नि.) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निम्नलिखित विनियमों/ मार्ग–निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें अनुमोदन हेतु माननीय उप राज्यपाल को प्रस्तुत किया गया।

- विशेष क्षेत्र, अनधिकृत नियमित कालोनियों और ग्रामीण आबादियों हेतु भवन निर्माण विनियम।
- बैंकट हॉल हेतु विनियम।
- विद्यमान नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास हेतु मार्ग निर्देश।
- असंगत क्षेत्रों/ अनियोजित क्षेत्रों में औद्योगिक केन्द्र समूहों के पुनर्विकास हेतु मार्ग–निर्देश।
- एम.आर.टी.एस. और मुख्य परिवहन कॉरिडोर के साथ लगे हुए प्रभाव जोन, उपयोगाधीन/कम घनत्व वाले क्षेत्रों, विशेष क्षेत्र, पुनर्वास कालोनियों, गांवों, अनधिकृत कालोनियों और झुग्गी–झोंपड़ी समूहों के पुनर्विकास हेतु मार्ग–निर्देश।

(ख) दिल्ली स्थित फार्म हाउसों के लिए नीति

तेजेन्द्र खन्ना और माथुर समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर आधारित संशोधित नीति का मसौदा तथा दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, स्टैक होल्डर्स और अन्य विभागों से प्राप्त विभिन्न सुझाव प्राधिकरण के विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

(ग) जोन–डी हेतु क्षेत्रीय विकास योजना

दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भूमि उपयोग परिवर्तन के निम्नलिखित मामलों पर कार्रवाई की गई और उन्हें निपटाया गया :–

- इन्द्रप्रस्थ एस्टेट स्थित 2180.05 वर्ग गज (1832.75 वर्ग मीटर) भूमि के भूमि उपयोग का 'सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं' से 'सरकारी कार्यालय' में परिवर्तन। शहरी विकास मंत्रालय ने एस.ओ. सं. 2471 (ई) दिनांक 29.09.2009 द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी की।
- अलीगंज (जोर बाग) स्थित 9000 वर्ग मीटर (7.2 हैक्टेयर भूमि से काटे गए) के प्लॉट के भूमि उपयोग को 'आवासीय' से 'सरकारी कार्यालय' में परिवर्तन हेतु प्राधिकरण में विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। शहरी विकास मंत्रालय ने एस.ओ.सं. 2632 (ई) दिनांक 20.10.2009 द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी की।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 पर आधारित जोन 'डी' की क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे पर शहरी विकास मंत्रालय के साथ विचार–विमर्श किया गया और विभिन्न संदर्भों पर योजना संबंधी सुझाव दिए गए।

(घ) मुख्य योजना अनुभाग द्वारा किये गए अन्य कार्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय विकास योजना संबंधी कार्यवाही करने के अतिरिक्त मुख्य योजना अनुभाग ने मुख्य योजना से संबंधित संशोधन/व्याख्या संबंधी निम्नलिखित महत्वपूर्ण तकनीकी कार्य भी किये :

- तकनीकी समिति की 9 (नौ) बैठकों का आयोजन किया।
- 9 (नौ) सार्वजनिक सूचनाएं जारी कीं।
- 10 (दस) राजपत्रित अधिसूचनाओं पर कार्यवाही की।
- प्राधिकरण की 5 बैठकों के लिए ए.टी.आर. तैयार करना, जिसमें योजना विभाग से संबंधित 35 मदें थीं।

श्री विजय रिस्बुड, परामर्शदाता एन.पी.आई.आई.सी.–दि.वि.प्रा. "दिल्ली–अतीत, वर्तमान एवं भविष्य" पर प्रजेंटेशन देते हुए

9.1.2 क्षेत्रीय विकास योजनाएं

विभिन्न योजना जोनों की 15 क्षेत्रीय विकास योजनाओं (ए, बी, सी, ई, एफ, जी, एच, जे, के–I, के–II, एल, एम, एन, ओ एवं पी–I) पूरी कर ली गई और प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद उन्हें अधिसूचना के लिए अनुमोदन हेतु शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया, जो दिनांक 08.03.2010 को प्रदान कर दिया गया।

9.1.3 एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना योजना एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (यू.टी.टी.आई.पी.ई. सी.)

(क) यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक दिनांक 01.04.09 से 31.03.10 तक (8 बैठकें)

- 14वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 24.04.2009
- 15वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 29.05.2009
- 16वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 24.07.2009
- 17वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 28.08.2009
- 18वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 30.09.2009
- 19वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 20.11.2009
- 20वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 15.01.2010
- 21वीं यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. शासी निकाय की बैठक : 19.02.2010

(ख) कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 01.04.09 से 31.03.10 तक (1 बैठक)

कार्यकारी समिति की चौथी बैठक : 27.04.2009

(ग) कार्य समूह (वर्किंग ग्रुप) की बैठकें, यू.टी.टी. आई.पी.ई.सी.

I–ए, I–बी, I–सी, II–ए, II–बी, III–सी, III–ए, III–बी, IV और V के कार्य समूह की बैठकें, यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. को प्रस्तुत की गई परियोजना की विस्तृत संवीक्षा करने और सुझाव देने के लिए आयोजित की गई।

(घ) दिनांक 01.04.09 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. की गतिविधियां

दिनांक 01.04.09 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी., दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं / स्कीम।

- यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. वेबसाइट का डिजाइन एवं उसका विकास कार्य।
- राष्ट्रमंडल खेल स्थल के रूप में यमुना खेल परिसर की संकल्पनात्मक योजना।
- राष्ट्रमंडल खेल स्थल के रूप में आर.के. खन्ना टेनिस स्टेडियम की परिवहन योजना ।
- राष्ट्रमंडल खेल स्थल के रूप में त्यागराज स्टेडियम की परिवहन योजना।
- राष्ट्रमंडल खेल स्थल के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैम्पस की परिवहन योजना।
- राष्ट्रमंडल खेल स्थल के रूप में सीरी फोर्ट खेल परिसर की परिवहन योजना।
- दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैम्पस की यातायात प्रबंध योजना।
- दिल्ली के प्रवेश द्वार।
- भैरों मार्ग पर स्ट्रीट स्केप डिजाइन।
- गणेश नगर से रा.रा.–24 तक पटपड़गंज रोड के सुधार हेतु प्रस्ताव।
- इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेहतर सम्पर्क के लिए रा.रा. 8 स्थित उत्तरी अंडर पास की संकल्पनात्मक योजना।
- मार्ग सं. 13ए को 13 के साथ जोड़ने के लिए सरिता विहार फ्लाईओवर पर तीन अतिरिक्त क्लोवर लीफ।
- तुगलकाबाद स्थित इनलैंड कनटेनर डिपो के आस–पास के क्षेत्र में भीड़ कम करने के लिए अंतरिम राहत।
- 62 सड़कों के सुधार के लिए यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. का अनुमोदित प्रस्ताव।
- शासी निकाय ने शाहजहाँनाबाद और नई दिल्ली क्षेत्र की स्ट्रीट स्केपिंग और रिट्रोफिटिंग की योजना को तुरन्त शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया।
- राष्ट्रमंडल खेल के मीडिया केन्द्र की दृष्टि से प्रगति मैदान स्थित भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन (आई.टी.पी.ओ.) परिसर की परिवहन योजना।
- डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज (राष्ट्रमंडल खेल स्थल) की परिवहन योजना।
- रोशनारा बाग स्थित रेलवे लेवल क्रासिंग पर रेल अंडर ब्रिज (आर.यू.बी.)।
- सराय काले खाँ स्थित अ.रा. बस अड्डे के पुनर्विकास के लिए यातायात एवं परिचालन योजना।
- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण हेतु यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. कुछ संशोधनों सहित सहमत हो गया है।
- इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित उत्तरी पहुंच मार्ग हेतु शासी निकाय ने फेज–I को अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इसे राष्ट्रमंडल खेलों से पूर्व सितम्बर, 2010 से पहले पूरा किया जाना है।
- मेट्रो स्टेशनों के लिए सम्पर्क मार्ग बढ़ाने और रिट्रोफिटिंग उपायों एवं स्ट्रीट स्केप डिजाइन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों के सृजन के लिए इन्द्रप्रस्थ परिसर (आई.टी.ओ.) हेतु प्रायोगिक परियोजना।
- राष्ट्रमंडल खेल गाँव परिसर के संबंध में परिवहन परिचालन योजना।

(ङ) 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि के दौरान यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी., दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित मार्ग–निर्देश

- पैदल पथ डिजाइन संबंधी मार्ग–निर्देश।
- दिल्ली की रोड मार्किंग हेतु मार्ग–निर्देश।
- दिल्ली की सड़कों के लिए क्रेश बैरियर, पैदलपथ रेलिंग और डिवाइडर हेतु मार्ग–निर्देश एवं डिजाइन विनिर्दिष्टियां।

(च) यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. वेबसाइट

यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. की वेबसाइट www.uttipec.nic.in दिनांक 15.02.2010 से कार्य कर रही है।

9.1.4 क्षेत्र योजना इकाई

9.1.4.1 क्षेत्र योजना इकाई–I

जोन–एफ, जी एवं एच की क्षेत्रीय विकास योजना को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस इकाई ने निम्नलिखित कार्य भी किये।

(क) योजना जोन एफ, जी एवं एच में भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों पर कार्रवाई की गई।

- हरकेश नगर स्थित समाज सदन : सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर कार्रवाई की गई और प्राधिकरण का अनुमोदन पाने के बाद यह मामला शहरी विकास मंत्रालय को विचार–विमर्श और अंतिम अनुमोदन हेतु भेज दिया गया।
- पश्चिम विहार क्षेत्र में जिला पार्क में मनोरंजनात्मक उपयोग में से काटे गए धार्मिक स्थल हेतु भूमि उपयोग का परिवर्तन।

(ख) ले–आउट प्लान में संशोधन, जिन्हें जांच समिति द्वारा निम्नानुसार किया गया है :

- शेख सराय में आवासीय खाली भूमि से धार्मिक उपयोग हेतु गुरूद्वारे के लिए भूमि।
- खोखा मार्किट को स्थायी निर्मित दुकानें उपलब्ध कराने के लिए लाजपत नगर स्थित पुनर्वास मंत्रालय की पॉकेट में संशोधन।
- महिपालपुर के लिए पहले से अनुमोदित योजना में संशोधन, जहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए अंडर पास हेतु भूमि उपलब्ध करवाई गई थी तथा बी.पी.आर.डी. को आवंटित साइट में संशोधन।
- पीतमपुरा के निकट बाहरी रिंग रोड पर कॉलेज, पीतमपुरा क्षेत्र में हैदरपुर नहर के निकट वृद्धाश्रम के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- शालीमारबाग, जनकपुरी, पश्चिम विहार, अशोक विहार में नर्सरी स्कूल स्थल में संशोधन।
- अशोक विहार, मधुबन चौक, पीतमपुरा में धार्मिक स्थल उपलब्ध कराने के लिए ले–आउट प्लान में संशोधन।
- रानी बाग, पश्चिम विहार में प्राइमरी स्कूल स्थल से समाज सदन में संशोधन।

(ग) अनधिकृत कालोनियां :

रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार और दि.वि.प्रा. के अनधिकृत कालोनी कक्ष को अनधिकृत कालोनियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई, जो जोन 'एफ', 'जी' एवं 'एच' में आती हैं।

(घ) न्यायालय मामले :

- महत्वपूर्ण न्यायालय मामला, जो इस अवधि के दौरान तीस हजारी न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में शुरू किया गया है, शीशमहल से संबंधित है, जिसके लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण को अतिरिक्त भूमि के आवंटन के लिए ले–आउट प्लान में संशोधन किया गया है।
- तेहखण्ड में आवासीय भूमि उपयोग से संबंधित मामला जो केनिथ बिल्डर्स बनाम दि.वि.प्रा. के नाम से प्रसिद्ध निजी विकासकर्ताओं द्वारा पी.पी. मोड़ पर विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि से संबंधित है।
- महिपालपुर डेयरी फार्म, गूजर डेयरी, युसूफ सराय समाज सदन, सर्व प्रिय विहार सोसायटी बनाम भारतसंघ से संबंधित न्यायालय मामले।
- पीरागढ़ी क्षेत्र में आई.आई.टी. सहकारी समूह आवास सोसायटी बनाम दि.वि.प्रा.।
- विकासपुरी के निकट बाहरी रिंग रोड की मार्गाधिकार सड़क, यह मामला बूटी राम बनाम अन्य, भारत संघ बनाम अन्य द्वारा दायर किया गया।

- स्थानीय बाजार पश्चिम विहार बनाम भारत संघ एवं अन्य से संबंधित न्यायालय मामला।

9.1.4.2 क्षेत्र योजना इकाई-II

जोन ए एवं बी की क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किये गए :–

जोन 'ए' एवं 'बी'

- जामा मस्जिद पुनर्विकास योजना (जोन ए) पर दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव की जाँच एवं कार्रवाई करना।
- नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास (जोन ए) पर उत्तरी रेलवे के प्रस्ताव की जाँच एवं कार्रवाई करना।
- नारायणा औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था का मूल्यांकन और नारायणा की वेयर हाउसिंग स्कीम के ले–आउट की समीक्षा।
- प्लॉट वाई–80 नारायणा वेयर हाउसिंग की सब डिवीजन योजना तैयार करना।
- ब्लॉक 8–ए, डब्ल्यू.ई.ए. करोलबाग में 25 वर्ग गज के प्लॉट का स्टैण्डर्ड डिजाइन तैयार करना।
- शाही ईदगाह में चौपाल के योजना संबंधी मुद्दे पर कार्रवाई करना।
- बी.एल.के. मेमोरियल अस्पताल के दिल्ली नगर निगम के प्रस्ताव की जाँच एवं कार्रवाई करना।
- झंडेवालान क्षेत्र में गैस गोदाम स्थल का ले–आउट प्लान तैयार करना।
- जोन ए एवं बी के संबंध में मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के लिए तैयारी हेतु क्षेत्रीय योजना के मसौदे पर लगातार कार्य करना।
- औद्योगिक इकाइयों द्वारा लौटाई गई भूमि से संबंधित आवासीय परियोजना के घनत्व संबंधी मानदण्डों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।
- नारायणा स्थित धार्मिक स्थल और आनन्द पर्वत औद्योगिक क्षेत्र स्थित सुविधा क्षेत्रों के लिए ले–आउट प्लान/ संशोधित प्लान तैयार करना।
- विभिन्न आन्तरिक विभागों के समन्वय से और माननीय न्यायालय के अनुसरण में औद्योगिक भूमि लौटाने के कार्य को जारी रखना। इस कार्य में विभिन्न औद्योगिक स्थलों हेतु सब डिवीजन प्लान तैयार करना और दि.वि.प्रा. को भूमि लौटाने का कार्यान्वयन शामिल है।

9.1.4.3 अनधिकृत कालोनियां और जोन 'जे' इकाई

जोन 'जे' के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किये गए :–

(क) योजना जोन–जे में निम्नलिखित भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों पर कार्रवाई की गई :–

- रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अन्तर्गत वसंतकुंज स्थित आई.एल.बी.एस. अस्पताल।
- मैदान गढ़ी स्थित साउथ एशियन विश्वविद्यालय।
- घिटोरनी गांव के निकट के.लो.नि.वि. की भूमि के लिए अनिर्धारित सरकारी भूमि उपयोग।

(ख) अनधिकृत कालोनियां

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु बने विनियम के अनुसार जोन–'जे' में आने वाली 152 अनधिकृत कालोनियों की संवीक्षा कर ली गई और क्षेत्रीय पार्क में आने वाली अनधिकृत कालोनियां सहित प्रमुख मुख्य योजना सड़क तथा क्षेत्रीय योजना सड़क में बाधा पहुँचाने वाली अनधिकृत कालोनियों की सूची तैयार कर ली गई। रिपोर्ट पहले ही रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी है। इसी तरह इस इकाई में प्राप्त सभी योजना जोनों की संवीक्षा रिपोर्ट रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को भेज दी गई।

(ग) जी.आई.एस./आई.एम.एस.

यह इकाई दिल्ली में 3–डी जी.आई.एस. स्थापित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय में हुई बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में दि.वि.प्रा. में जी.आई.एस. प्लेटफार्म की स्थापना के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य कर रही है। निगरानी एवं समन्वय का कार्य एस.ओ.आई. और डी.एस.एस.डी.आई परियोजना के साथ किया जा रहा है।

9.1.4.4 यमुना पार क्षेत्र

जोन–ई के लिए क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए गए :–

(क) क्षेत्र योजना जोन–ई में भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों पर की गई कार्रवाई

जोन 'बी' में 'आवासीय' से 'सरकारी कार्यालय' (जिला न्यायालय) में भूमि उपयोग के परिवर्तन को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

(ख) जांच समिति/तकनीकी समिति/यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. के विचार–विमर्श हेतु मामले

- सी.जी.एच.एस. विश्वास नगर के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र एवं आनन्द विहार अ.रा. बस अड्डे को मार्ग सं. 57 से जोड़ने वाली 24 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क का प्रस्ताव।
- कोंडली–धरौली के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- मंडावली फाजलपुर स्थित वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के लिए खाली भूमि का उपयोग।
- हसनपुर स्थित ले–आउट प्लान (स्थल सं. 20) में संशोधन।
- एकीकृत भाड़ा परिसर गाजीपुर (पॉकेट–सी) में दि.वि.प्रा. स्थल कार्यालय एवं स्टोर।
- एफ सी–26 दल्लूपुरा और मयूर विहार फेज–I स्थित सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र हेतु स्थल।
- गोकुलपुर और कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीकरण और ई.पी.आई.सी. केन्द्र हेतु स्थल का निर्धारण।

(ग) अनधिकृत कालोनियां

रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियमित करने के कार्यक्रम के अंतर्गत 1639 अनधिकृत कालोनियां हैं। जोन–'ई' में आने वाली कालोनियों की जांच की गई और मुख्य योजना, क्षेत्रीय योजना सड़कों तथा मुख्य आधारिक संरचना में बाधा पहुंचाने वाली कालोनियों को निर्धारित किया गया और उनकी सूची रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भेज दी गई।

9.1.4.5 यमुना नदी परियोजना

जोन–'ओ' की क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस यूनिट द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किये गए :–

(क) आवंटन के मामलों की जांच करना

- राष्ट्रमंडल खेल गांव के निकट राष्ट्रमंडल खेल–2010 के दौरान खाली बसों की पार्किंग के लिए दिल्ली परिवहन निगम को अस्थायी आधार पर वैकल्पिक भूमि के आवंटन के मामले की जांच की गई और बाद में उपाध्यक्ष/उपराज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया तथा इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को भेज दिया गया।
- नर्सरी के विकास के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए भूमि के आवंटन के मामले की जांच की गई और बाद में उपाध्यक्ष/ उप राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। इसकी सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को दे दी गई।
- राष्ट्रमंडल खेल गाँव के निकट राष्ट्रमंडल खेल–2010 के दौरान हैलीपेड के निर्माण के लिए पवनहंस हैलीकॉप्टर को अस्थायी आधार पर भूमि के आवंटन के मामले की जांच की गई और बाद में उपाध्यक्ष/उपराज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया तथा इसे आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों को प्रस्तुत कर दिया गया।
- विज्ञापन सं. एफ 20 (19) 96–एम.पी. दिनांक 01.05.08 के प्रत्युत्तर में नियमन हेतु यमुना नदी परियोजना इकाई में प्राप्त मामलों पर कार्रवाई की गई।
- दि.वि.प्रा. के इंजीनियरिंग, भूमि प्रबंध, भूमि निपटान, वास्तुकला विंग और भू–दृश्यांकन इकाई को योजना संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना।

(ख) अनधिकृत कालोनियाँ

जोन–'ओ' में आने वाली अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की गई। जोन–'ओ' और दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कालोनियों के निर्मित क्षेत्र की आगे की प्रतिशतता भी परिकलित की गई और यह आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक (यू.सी.) को प्रस्तुत की गई। मुख्य योजना प्रस्ताव, सड़क आदि में बाधा डालने वाली कालोनियों की सूची तैयार की गई और निदेशक (यू.सी.) को प्रस्तुत की गई।

9.1.5 परियोजनाएँ

9.1.5.1 द्वारका परियोजना

जोन के–I, के–II एवं एल की क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए गए :–

(क) भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों पर कार्रवाई की गई :

- जोन 'एल' में टिकरी गांव स्थित प्रस्तावित 1400 मेगावाट के विद्युत प्लांट हेतु भूमि उपयोग का परिवर्तन।
- द्वारका और लोक नायक पुरम में विभिन्न उपयोग जोनों में आवासीय उपयोग (हॉस्टल) हेतु अनुमति।
- सैक्टर–17, द्वारका में मैडिकल कॉलेज हेतु अस्पताल के प्लॉट उपयोग में संशोधन।
- सैक्टर–17, द्वारका में प्रस्तावित फैमिली कोर्ट हेतु ''सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं से सरकारी कार्यालय/ न्यायालय'' में भूमि उपयोग का परिवर्तन ।
- सैक्टर–9, द्वारका में इन्टेलिजैन्स ब्यूरो के प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु ''आवासीय'' से ''सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं'' में उपयोग में संशोधन।

(ख) तकनीकी समिति के विचार – विमर्श हेतु प्रस्ताव

- जोन 'एल' में गांव शिकारपुर और घुम्मन हेड़ा में 765 किलोवाट के विद्युत सब स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए योजना अनुमति।

- मुंडका 400/220 किलोवाट सब स्टेशन में कंझावला नजफगढ़ ट्रांसमिशन लाइन में से लूप इन लूप द्वारा प्रस्तावित 220 किलोवाट के डबल सर्किट ओवर हैड टावर लाइन हेतु रूट क्लियरेंस।
- सैक्टर–17, द्वारका में मैडिकल कॉलेज हेतु अस्पताल के प्लॉट के उपयोग में संशोधन।
- सैक्टर–17, द्वाराका में प्रस्तावित फैमिली कोर्ट हेतु ''सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं से सरकारी कार्यालय/ न्यायालय'' में भूमि उपयोग का परिवर्तन।
- सैक्टर–24, द्वारका परियोजना में इन्टेलिजैन्स ब्यूरो के प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र हेतु ''आवासीय'' से ''सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाओं'' में उपयोग में संशोधन।
- सैक्टर–24, द्वारका परियोजना में भूमि उपयोगों का पुनः समायोजन।

(ग) जांच समिति के विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव

- सैक्टर–3, द्वारका में विकलांगों के लिए स्कूल हेतु स्थल का सब डिवीजन।
- सैक्टर–11, द्वारका स्थित सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- सैक्टर–16 डी, द्वारका में सीवेज पम्पिंग स्टेशन–4 स्थल का सब डिवीजन।
- दि.न.नि. वार्ड कार्यालय : ट्रांजिट कैम्प पॉकेट–3, सैक्टर–16 (ए), द्वारका के ले–आउट प्लान में ओ.सी. एफ. पॉकेट का उपयोग।
- सैक्टर–20, स्टेज–I, द्वारका स्थित सर्विस सेंटर के समीप सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक प्लॉट का उपयोग।
- पॉकेट–बी, सैक्टर–16 बी, द्वारका स्थित आवास क्षेत्र सुविधा के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- सैक्टर–20, पार्ट–II, द्वारका स्थित सर्विस सेंटर के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- पॉकेट-I, लोकनायक पुरम (बक्कर वाला) स्थित आवास क्षेत्र सुविधा के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- प्लॉट–1 एवं 2, सैक्टर–23, (फेज–I), द्वारका स्थित आवास क्षेत्र सुविधा के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- पॉकेट–1 सैक्टर–13, द्वारका स्थित आवास क्षेत्र सुविधा के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- आवासीय पॉकेट–4 सैक्टर–23, द्वारका के वैकल्पिक प्लॉट के संशोधित ले–आउट प्लान में संशोधन।
- सैक्टर–6 स्थित प्राइमरी स्कूल स्थल के सब डिवीजन का प्रस्ताव।
- सैक्टर–13, द्वारका की आवासीय पॉकेट के नीलामी वाले प्लॉटों के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- पॉकेट–3 सैक्टर–9, द्वारका स्थित आवास क्षेत्र सुविधा के ले–आउट प्लान में संशोधन।
- सैक्टर–17 एवं 23, द्वारका में सी.एन.जी. हेतु अनुमोदित पैट्रोल पम्प स्थलों का उपयोग।
- गांव ककरोला, सैक्टर–16ए, द्वारका के निकट सुविधाओं हेतु सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक उपयोग वाले प्लॉट का उपयोग।
- सैक्टर–11, द्वारका स्थित सामाजिक – सांस्कृतिक केन्द्र के ले–आउट प्लान में संशोधन।

(घ) न्यायालय मामले

- सैक्टर–24 में डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के लिए प्रस्तावित अनअधिग्रहीत भूमि के संबंध में।
- पी.वी.सी. मार्किट, टीकरी कलां के निकट आवासीय उपयोग के लिए भूमि का अधिग्रहण।
- कानूनी मामलों के संबंध में भूमि निपटान और भूमि प्रबंध विंग को जानकारी उपलब्ध कराना।
- सैक्टर–27, 28 एवं 29 द्वारका में भूमि के अधिग्रहण के संबंध में।

(ङ) अन्य मुख्य परियोजनाएँ

- एकीकृत भाड़ा परिसर, द्वारका – परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव की संवीक्षा।
- सैक्टर–21 में एकीकृत महानगर यात्री टर्मिनल।
- सैक्टर–24 में प्रस्तावित दूसरा डिप्लोमेटिक एन्क्लेव।

9.1.5.2 रोहिणी जोन

जोन–एम एवं एन की क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए गए :–

(क) जोन–एम एवं एन की क्षेत्र योजना में भूमि उपयोग परिवर्तन के निम्नलिखित मामलों पर कार्रवाई की गई :–

- रोहिणी सैक्टर–36 में हैलीपोर्ट स्थल के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन की कार्रवाई की गई, इसे प्राधिकरण से अनुमोदित करवाया गया और हैलीपोर्ट स्थल का कब्जा नागर विमानन को दे दिया गया।
- स्व–स्थाने विकास हेतु दो पॉकेटों के भूमि उपयोग परिवर्तन को तकनीकी समिति से अनुमोदित कराया गया और प्राधिकरण की बैठक के लिए उस पर कार्रवाई की गई।

(ख) जांच समिति के विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव

- रोहिणी आवासीय पंजीकरण योजना–1981 के बैकलॉग को निपटाने के लिए रोहिणी फेज–IV एवं V में 17,000 आवासीय प्लॉटों के स्थान निर्धारण के लिए आवासीय प्लाटिड विकास योजना तैयार करने को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।
- रोहिणी फेज–IV एवं V में विभिन्न सी.एन.जी. स्थलों के निर्धारण को जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।
- जोनल स्तरीय सुविधाओं के विभिन्न सब डिवीजनल प्लान तैयार करना।

रोहिणी सेक्टर–18 में निम्न आय वर्ग के आवास

(ग) अनधिकृत कालोनियाँ

- जोन–एम की 177 अनधिकृत कालोनियों की योजनाओं की संवीक्षा की गई।
- जोन–एन की 45 अनधिकृत कालोनियों की योजनाओं की संवीक्षा की गई।

9.1.5.3 नरेला परियोजना

जोन पी–I, पी–II एवं सी की क्षेत्रीय विकास योजना के मसौदे को अंतिम रूप देने के अतिरिक्त इस इकाई द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किये गये :–

(क) जोन पी–I, पी–II एवं सी की क्षेत्र योजना में भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों पर कार्रवाई की गई।

(ख) जांच समिति के विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव

- जोन पी–I में सैक्टर ए–1 से ए–4 तक के लिए दिल्ली मुख्य योजना–2021 के अनुसार विभिन्न प्रकार के आवासों के श्रेणीबद्धकरण को जांच समिति द्वारा 282वीं बैठक में अगस्त, 09 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।
- जोन पी–I में एकीकृत भाड़ा परिसर नरेला में कैमिकल ट्रेडर्स को आवंटित किए गए 50 वर्ग मीटर के प्लॉटों के लिए स्टैण्डर्ड डिजाइन को जांच समिति द्वारा नवम्बर, 09 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया।
- जोन–सी में प्लॉट पॉकेट ए, बी, सी एवं डी के लिए और मजनूँ का टीला, तिमारपुर स्थित 'खाली ट्रक पार्किंग' के वास्तुकला संबंधी नियंत्रणों के मूल अनुमोदित प्लान को वापस बहाल करने से संबंधित कार्यावली मद जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- मजनूँ के टीले के निकट यमुना नदी पर प्रस्तावित सिग्नेचर ब्रिज से प्रभावित जोन–सी के 3 एल.पी.जी. गोदामों के लिए पुनः स्थल निर्धारित करने के लिए 'खाली ट्रक पार्किंग' के ले–आउट प्लान में संशोधन हेतु कार्यावली मद जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।
- क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए 11 किलोवाट सब स्टेशन स्थल के अनुमोदन के लिए मॉडल टाउन के उत्तर में सी–जोन के ले–आउट प्लान में संशोधन के लिए कार्यावली मद जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।

(ग) तकनीकी समिति के विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव

तकनीकी समिति की कई कार्यावली मदें तैयार की जाती हैं और समय–समय पर तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, जो जोन–पी–II के ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प स्थल से संबंधित होती हैं।

(घ) अनाधिकृत कालोनियों

जोन–पी–I एवं पी–II में आने वाली अनधिकृत कालोनियाँ जो वास्तविक रूप से बाधाएँ उत्पन्न कर रही हैं, सार्वजनिक अधिसूचनाओं के अनुसार प्रस्तुत कर दी गई।

अरावली जैव वैविध्य पार्क में नीम के पेड़ पर बैठा वर्टिडर फ्लाईकैचर

9.1.6 भवन अनुभाग

(क) दिनांक 01.04.09 से 31.03.10 तक की अवधि के दौरान जारी किए गए भवन परमिटों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	इकाई	संस्वीकृति	बी–1 परमिट	अनंतिम ओसी.	एन.ओ.सी / सी.सी	पुन:वैधीकरण
1.	आवासीय (रोहिणी)	1223	4	-	26	-
2.	रोहिणी को छोड़कर	971	48	-	73	-
2.	व्यावसायिक एवं औद्योगिक	378	7	-	49	-
4.	सांस्थानिक एवं ले–आउट	36	8	-	65/2	-
	कुल	**2608**	**67**	**-**	**215**	**-**

(ख) दिनांक 01.04.2009 से 31.03.10 तक प्राप्त राजस्व

नीलामी क्रेता / आवंटिती से भवन परमिट, संघटन शुल्क, ई.डब्ल्यू.एस. प्रभारों और परिधीय प्रभारों के रूप में 9,68,64,565 / – रुपये (केवल नौ करोड़ अड़सठ लाख चौंसठ हजार पाँच सौ पैंसठ रुपये) की राशि प्राप्त की गई।

(ग) राष्ट्रमंडल खेल–2010 से संबंधित होटल परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति का मासिक आधार पर मूल्यांकन और निगरानी, ताकि शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय द्वारा और अन्य स्तरों पर की जाने वाली नियमित निगरानी में सहायता की जा सके।

(घ) सूचना अधिकार अधिनियम : अक्तूबर, 05 से 31.3.10 तक कुल 1798 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 1732 मामले निपटा दिए गए। शेष मामले भी निर्धारित समय के अन्दर निपटाये जा रहे हैं।

9.2 आवास एवं शहरी परियोजना विंग (एच.यू.पी.डब्ल्यू.)

9.2.1 उत्तरी जोन

क्र. सं.	योजना	स्थिति
	आवासीय योजनाएँ	
1.	धीरपुर आवासीय योजना, फेज-I के लिए शहरी रूप योजना (फेज–I) के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 194.5 हेक्टेयर आवासीय विकास के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 98.01 हेक्टेयर। आवासीय उपयोग के लिए उपलब्ध सकल क्षेत्रफल–34.64 हेक्टेयर प्रस्ताव के अनुसार 1. आवासीय क्षेत्रफल – 19.54 हेक्टेयर 2. सांस्थानिक क्षेत्रफल – 3.87 हेक्टेयर 3. व्यावसायिक क्षेत्रफल – 0.78 हेक्टेयर 4. हरित क्षेत्रफल – 12.55 हेक्टेयर, प्रस्तावित आवासीय इकाइयों की संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 840 श्रेणी – II – 899 श्रेणी – III – 2454 प्रस्तावित आवासीय इकाइयों की कुल संख्या – 4193	पर्यावरण समिति का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है। ले–आउट अनुमोदन के लिए सी.एफ.ओ. को भेज दिया गया है। इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बताई गई सेवाओं को शामिल करने के बाद पृथक पॉकेटों का मामला सी.एफ.ओ. को भेजा जाना है और बाद में दि.न.क.आ. को प्रस्तुत किया जाना है।
2.	संजरपुर, धीरपुर, फेज–II में आवासीय योजना	विभाग में योजना, तैयार की जा रही है। डिजाइन कार्य प्रक्रिया में है, दि.ज.बो. की भूमि का पुनर्निर्धारण किया जाना है।
3.	धीरपुर फेज–II में 45 मीटर मार्गाधिकार वाली शाह आलम बांध रोड के साथ–साथ समाज सदन	योजना, विभाग में तैयार की जाएगी। डिजाइन का कार्य शुरू किया जा रहा है।

क्रम. सं.	योजना	स्थिति
4.	मोतिया खान में बहुमंजिले आवास योजना क्षेत्रफल–11.06 हेक्टेयर श्रेणी – III की प्रस्तावित 144 आ. इकाइयां प्रस्तावित एफ.ए.आर. 14194 वर्ग मीटर	स्थल पर कार्य प्रगति पर है, निष्पादन के लिए संशोधित ड्राइंगें जारी की। स्थल समन्वय।
5.	मुखर्जी नगर में बहुमंजिले आवास योजना का क्षेत्रफल – 2.83 हेक्टेयर श्रेणी – II – 112 श्रेणी – III – 224 कुल – 336 आ. ई. व्यावसायिक प्लॉट–7	स्थल पर निष्पादन के लिए अभियांत्रिक विभाग को ड्राइंगें जारी की गई। अभियंताओं से समन्वय। नियंत्रण ड्राइंगें तैयार की जानी हैं।
6.	जहांगीरपुरी, रामगढ़ कालोनी के पीछे खाली पॉकेटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास कुल क्षेत्रफल – 0.70 हेक्टेयर प्रस्तावित एफ.ए.आर. 8150.4 वर्ग मीटर प्रस्तावित हरित क्षेत्र 1811.2 वर्ग मीटर प्रस्तावित सघनता 411 आ.ई. / हेक्टेयर प्रस्तावित आ.ई. की संख्या – 288	जांच समिति द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया और निष्पादन के लिए अभियांत्रिक शाखा तथा संरचनात्मक शाखा को ड्राइंगें जारी की गई।
7.	कल्याण विहार विस्तार, म.आ.व. आवास अथवा रिक्त भूमि पर श्रेणी–II फ्लैट योजना का कुल क्षेत्रफल – 1.014 हेक्टेयर विद्यमान आ.ई. – 144 प्रस्तावित आ.ई. – 16 कुल आ.ई. – 160 विस्तार पॉकेट के लिए प्रस्तावित एफ.ए.आर.–1296 वर्ग मी.	जाँच समिति द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया। अभियांत्रिक शाखा को ड्राइंगें जारी की गई। समन्वय कार्य।
	व्यावसायिक परियोजनाएँ	
	जिला केन्द्र	
1.	खैबर पास स्थित जिला केन्द्र योजना का कुल क्षेत्रफल – 12.74 हेक्टेयर प्रस्तावित कुल निर्मित क्षेत्रफल – 170440 वर्ग मीटर	दि.न.क.आ. की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद संशोधित योजना अनुमोदन हेतु दि.न.क.आ. को प्रस्तुत कर दी गई।
2.	रोहतक रोड स्थित जिला केन्द्र योजना का कुल क्षेत्रफल 22.73 हेक्टेयर प्रस्तावित कुल निर्मित क्षेत्रफल–304580 वर्ग मीटर	जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया और दि.न.क.आ. को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
3.	वजीरपुर, नेताजी सुभाष प्लेस स्थित जिला केन्द्र	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति के लिए पेडस्ट्रल ड्राइंग (2) जांच समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई और वर्किंग ड्राइंग तैयार की गई तथा निर्माण हेतु जारी की गई।
4.	शालीमार बाग स्थित जिला केन्द्र योजना क्षेत्रफल 10.0 हेक्टेयर एफ.ए.आर. – 1,10,000 वर्ग मीटर	व्यावसायिक प्लॉट नं. V का मामला नीलामी हेतु भेजा जाना है। सुविधा प्लॉटों का मामला निपटान के लिए भेजा जाना है। आवासीय प्लॉट एवं ऑडीटोरियम प्लॉट–आंशिक ले–आउट प्लान संशोधित किया जाना है।
	सामुदायिक केन्द्र	
1.	गैर श्रेणीबद्ध नगर स्तर व्यावसायिक केन्द्र, धीरपुर फेज–I स्थित होटल प्लॉट स्थल हरित क्षेत्र 40% की दर से 4000 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. 225 की दर से 22500 वर्ग मीटर विकास नियंत्रण संशोधित दि.मु.यो. 2021 के मानकों के अनुसार लागू होंगे।	दिनांक 17.09.08 को होटल प्लॉट संबंधी मामला निदेशक (व्यावसायिक भूमि) को भेज दिया गया।
2.	समाज सदन ब्लाक ए, शालीमार बाग योजना क्षेत्रफल – 20026.24 वर्ग मीटर व्यावसायिक क्षेत्रफल – 14145.01 वर्ग मीटर सुविधा क्षेत्रफल – 5881.20 वर्ग मीटर	सुविधा क्षेत्र – आवंटन के लिए भेज दिया गया।
3.	समाज सदन, ब्लॉक–बी, शालीमार बाग योजना क्षेत्रफल–33870 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. – 33870 वर्ग मीटर	व्यावसायिक प्लॉटों, सेवा प्लॉटों का मामला नीलामी / आवंटन हेतु भेजा गया। मनोरंजनात्मक क्लब प्लॉट – आवंटन के लिए भेजा गया और आवंटित कर दिया गया।

क्रम सं.	योजना	स्थिति
4.	समाज सदन, पीतमपुरा, रोड सं. 43 अनुकम्पा बैंकट हॉल के पास योजना क्षेत्रफल – 13200 वर्ग मीटर होटल प्लॉटों के लिए – 3547 वर्ग मीटर व्यावसायिक उपयोग के लिए – 9653 वर्ग मीटर	2 होटल प्लॉट नीलाम किए गए। व्यावसायिक प्लॉट – नीलामी हेतु भेजा गया।
5.	समाज सदन, मोतिया खान योजना क्षेत्रफल – 25902.70 वर्ग मीटर एफ.ए.आर. 25902.70 वर्ग मीटर	अधिकांश प्लॉटों का निपटान किया गया। बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉट नियंत्रण स्थितियों को संशोधित किया गया और निपटान हेतु भेजा गया।
	विविध परियोजनाएँ	
1.	राष्ट्रमंडल खेल गाँव	जाँच समिति द्वारा संशोधित ले–आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया और दि.न.क.आ. को अनुमोदन हेतु भेज दिया गया।
2.	भलस्वा गोल्फ कोर्स क्लब	विभिन्न प्रकार के स्थाई ढांचे जैसे कि कैडीज हट, कियोस्क आदि के लिए ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई। क्लब भवन के लिए ड्राइंगें स्ट्रक्चरल विंग को भेज दी गई।
3.	क्रिकेट पेवेलियन आर.एस.के.पी. पीतमपुरा	ढांचे के अनुसार वर्किंग ड्राइंग अभियांत्रिक खण्ड को जारी की गई।
4.	सूरजमल स्टेडियम, नांगलोई के पास श्मशान भूमि	
5.	एम.डी.सी.एस.सी. अशोक विहार बहुव्यायामशाला + बैडमिन्टन हॉल।	नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
6.	निम्नलिखित में समाज सदन :– 1. सी.डी. ब्लॉक, शालीमार बाग 2. डी.ए. ब्लॉक, शालीमार बाग 3. अशोक विहार, फेज–III 4. तिकोना पार्क, शाही ईदगाह कुल क्षेत्रफल – 2000 वर्ग मी. प्रस्तावित एफ.ए.आर. – 982 वर्ग मी. 5. पीतमपुरा गांव के समीप समाज सदन 6. खाली ट्रक पार्किंग केन्द्र तिमारपुर (प्लॉट नं. 3) स्थित सुविधा क्षेत्र में सुविधाएँ	अनुमोदित डिजाइन अभियांत्रिक विंग को भेजा गया। अनुमोदित डिजाइन अभियांत्रिक विंग को भेजा गया। फेज–I के लिए वर्किंग ड्राइंगें अभियांत्रिक विंग को जारी की गई। जाँच समिति द्वारा योजना को अनुमोदित किया गया और स्ट्रक्चरल विवरण हेतु ड्राइंगें अभियांत्रिक विंग को जारी की गई। भूमि प्रबंध शाखा से स्थिति संबंधी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थल सर्वेक्षण / विकास नियंत्रण प्राप्त किए जाने हैं।
7.	स्थल समन्वय, पत्राचार और आर.टी.आई. के प्रश्नों के उत्तर देना।	

9.2.2 दक्षिणी जोन

क्र. सं.	योजना का नाम	परियोजना की स्थिति	टिप्पणी
क.	**आवास (इन हाऊस)**		
1.	जसोला, सैक्टर–9ए में स्व.वि.यो. के आवास : आ.ई. की संख्या 400, योजना का क्षेत्रफल 2.55 हेक्टेयर	विकास योजना सहित विस्तृत वर्किंग ड्राइंगें, अभियांत्रिक विभाग को निष्पादन के लिए जारी की गई। कार्य प्रगति पर है। 60% कार्य पूरा हो चुका है।	
2.	वसंत कुंज डी–4 में 112 उच्च आय वर्ग आ. इकाइयां	ले–आउट नक्शे को संशोधित कर दिया गया है और स्थल के एक भाग को क्लब के साथ डी.डी.ए. इन्स्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सिस के लिए निर्धारित कर शेष क्षेत्र को आवास के लिए छोड़ दिया गया है।	योजना विभाग द्वारा, क्षेत्रीय विकास योजना में भूमि उपयोग को आवासीय से पी.एस.पी. में परिवर्तन को शामिल करने के लिए तकनीकी समिति के अनुमोदन के लिए मामला प्रस्तुत किया।
3.	जसोला, सैक्टर – 10 बी में दो कमरे के विश्राम कक्ष, आ.ई. की कुल संख्या 330 योजना का क्षेत्रफल 1.01 हेक्टेयर	निर्माण कार्य की ड्राइंगें और विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को निष्पादन और लगभग समाप्त होने जा रहे निर्माण के लिए जारी की गई। विकास कार्य प्रगति पर है।	एस सी एम ने समाज सदन को अनुमोदित किया। अभियांत्रिक विभाग को ड्राइंगें जारी की गई।

क्र. स.	योजना का नाम	परियोजना की स्थिति	टिप्पणी
4.	लाडो सराय, गोल्फ कोर्स के सामने दो कमरे + विश्राम कक्ष कुल आ. ई. 220 योजना का क्षेत्रफल 0.95 हेक्टेयर	विस्तृत वर्किंग ड्राइंगें तैयार की गई।	भूमि उपयोग में परिवर्तन अभी किया जाना है।
5.	वसंत कुंज डी–6 के पूर्व में दो कमरे + विश्राम कक्ष आवासीय इकाइयों की सं. 860, योजना का क्षेत्रफल 3.3 हेक्टेयर	वर्किंग ड्राइंगें और विकास प्लान अभियांत्रिक विभाग को जारी किए गए। परियोजना निष्पादन के चरण में है तथा समाप्ति के समीप है।	इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ई.आई.ए. से अनुमति प्रगति पर है।
6.	मोलडबन्द में दो कमरे + विश्राम कक्ष आ. ई. की. सं. 690 योजना का क्षेत्रफल 2.5320 हेक्टेयर है।	विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई। ई.आई.ए. की टिप्पणियों और व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार ले–आउट नक्शे को संशोधित किया जा रहा है, इसके बाद प्रस्ताव को एस.सी.एम एवं तकनीकी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा और आगे ई.आई.ए. के विचार–विमर्श एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।	आई.ई. का डिजाइन और विस्तृत वास्तुकलात्मक ड्राइंगें वही रहेंगी।
7.	जसोला पॉकेट–12 में 140 नि.आ. वर्ग आवास	परियोजना का निर्माण कार्य समाप्ति की ओर है। बाहरी विकास कार्य प्रगति पर है।	अभियांत्रिक विभाग के साथ साइट समन्वय नियमित आधार पर लगातार किया जा रहा है।
ख.	**नए आवास**		
1.	9–बी, जसोला, 3 बेडरूम इकाई के साथ नौकर का कमरा, प्लॉट क्षेत्रफल 3.76 हेक्टेयर, आ. ई. की सं. 480	दि.न.क.आ. की टिप्पणियों के अनुसार, नक्शों / विवरणों को अग्नि शमन विभाग, रा.रा.क्षे., दि. सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मुख्य अभियंता, विद्युत (पूर्वी) को अग्रेषित कर दिया गया है।	सी.एफ.ओ. के अनुमोदन के बाद, इन अनुमोदित नक्शों को दि.न.क. आयोग द्वारा विचार–विमर्श और अनुमोदन हेतु अग्रेषित कर दिया जाएगा।
2..	160 स्व. वि. यो. श्रेणी II आवास, सैक्टर–बी, पॉकेट 2, वसंत कुंज	वर्किंग विस्तृत ड्राइंगें तथा विकास योजना अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई। परियोजना का निष्पादन किया जा रहा है।	
3.	वसंत कुंज बी–4 में नौकर के कमरे सहित तीन बेडरूम वाले बहुमंजिले स्टाफ फ्लेट और क्लब, भवन, 200 आ. ई.।	प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवास पॉकेट क्षेत्र को महर्षि दयानन्द कोआपरेटिव सोसायटी को आवंटित कर दिया गया, शेष क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में है। पॉकेट का ले–आउट एस.सी. एम. द्वारा अनुमोदित किया गया।	
ग.	**आवास (परामर्शदाता)**		
1.	वसंत कुंज, सुल्तानगढ़ी के पास अधिक आवास। कुल आ.इ. 852, उच्च आ. वर्ग 416, म.आ. वर्ग 311, नि.आ. वर्ग 125, प्लॉट क्षेत्रफल लगभग 6.15 हेक्टेयर	सक्षम प्राधिकारी द्वारा परामर्शदाता के साथ करार की अवधि नवम्बर 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है।	कोड आई.एस. 1893–2002 के अनुसार ढाँचे के डिजाइन में संशोधनों के अनुसार परामर्शदाता द्वारा संशोधित वास्तुकलात्मक ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं।
2.	मेगा हाउसिंग एवं रिज लाइन, सुल्तानगढ़ी वसंत कुंज के बीच अतिरिक्त 2 हेक्टेयर स्थल पर आवास, म. आ. वर्ग की 268 आ. ई., नि.आ. वर्ग 94 आ.इ.। साइट का क्षेत्रफल 32 हेक्टेयर	स्ट्रक्चरल आवश्यकताओं आई.एस. 1893–2002 के अनुसार संशोधित ड्राइंगें और परामर्शदाता द्वारा संशोधित वास्तुशिल्पीय ड्राइंगें तैयार करना।	आई.एस. 1893–2002 के अनुसार ढांचे के डिजाइन में संशोधन किए गए और अभियांत्रिक शाखा के पास जांच के लिए भेज दिए गए।
3.	वसंत कुंज, सैक्टर–डी, पॉकेट–6 के पीछे 2304 मेगा आवास	परामर्शदाता द्वारा आवास के लिए ड्राइंगें प्रस्तुत कर दी गई हैं तथा परियोजना प्रगति पर है।	अभियांत्रिक विभाग के साथ स्थल समन्वय।

क्र. स.	योजना का नाम	परियोजना की स्थिति	टिप्पणी
4.	तेहखंड में स्व स्थाने पुनर्वास योजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल।	एस.सी.एम. द्वारा ले–आउट प्लान अनुमोदित किए गए। विकासकर्ताओं ने अन्य नियंत्रक प्राधिकरणों से अनुमोदन के लिए प्लान प्रस्तुत किए दि.न.क.आ., पर्यावरण अनापत्ति।	तकनीकी विधि समस्याओं के कारण परियोजना रुकी हुई है।
5.	कालकाजी एक्सटेंशन में स्व स्थाने पुनर्वास परियोजना	एक इन हाउस अवधारणात्मक प्रस्ताव तैयार किया गया और उसे माननीय उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया गया। दिल्ली में इसी तरह की योजनाओं के लिए अनुमोदित प्राटोटाइप मॉडल उपयोग किया जा रहा है।	बायोमीट्रिक सर्वेक्षणों को करने के बाद परामर्शदाता द्वारा डी.पी.आर. तैयार की जा रही है।
(ग)	**व्यावसायिक**		
(i)	**जिला केन्द्र**		
1.	नेहरू प्लेस जिला केन्द्र फेज–II क्षेत्रफल 10.6 हेक्टेयर प्लॉटों की संख्या – 8	दि.न.क.आ. द्वारा नेहरू प्लेस चरण–II के लिए आंशिक अनुमोदन प्रदान किया गया नेहरू प्लेस फेज–II में दो बजट होटल प्लॉट और एक बहुस्तरीय पार्किंग एवं सामुदायिक प्लॉट।	दि.न.क.आ. की टिप्पणियों के अनुसार नेहरू प्लेस का यातायात परिवहन अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और परामर्शदाता की नियुक्ति का कार्य चल रहा है। इसके बाद नेहरू प्लेस चरण–II के शेष भाग के अनुमोदन को जारी कराने के लिए दि.न.क.आ. को यह यातायात अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा।
2.	नेहरू प्लेस फेज–I को बेहतर बनाना (अपग्रेडेशन)	कियोस्क साइनेज टावर, बी.ओ.टी. आधार पर संशोधित पार्किंग का कार्य चल रहा है।	इस संबंध में भवन स्वामियों द्वारा न्यायालयों में दर्ज केस चल रहा है।
3.	भीकाजी कामा प्लेस को बेहतर बनाना।	बहुस्तरीय पार्किंग एवं सांस्कृतिक और पुलिस स्टेशन के प्लॉटों को एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित किया गया।	एस.सी.एम. की टिप्पणियों के अनुसार प्लॉट में प्रस्तावित सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधि की उपयोग व्यवहार्यता को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।
4.	साकेत जिला केन्द्र कुल क्षेत्रफल – 21.4 हेक्टेयर प्लॉटों की सं. – 21	सभी प्लॉटों का निपटान कर दिया गया है। बी.एस.ई.एस. ने जिला केन्द्र में एक ग्रिड सब स्टेशन स्थल की मांग की है। जिला न्यायालय के समीप उनके द्वारा ग्रिड सब स्टेशन साकेत बनाया गया था और वह जिला केन्द्र की बिजली की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। वक्फ सम्पत्ति के साथ लगी रिक्त भूमि और नाले के ऊपर का क्षेत्र अधिक पार्किंग की मांग को पूरा करने के लिए पुनः डिजाइन किया गया है और शेष निर्मित क्षेत्र संशोधित दि.मु.यो. 2021 के अनुसार उपलब्ध है।	ई.एस.एस. ग्रिड सब स्टेशन अवस्थिति, नालों को ढ़कना पर एस.सी.एम. तथा सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लेने के लिए पुनः विचार किया जा रहा है।
5.	गैर–श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केन्द्र, जसोला (जिला केन्द्र) स्थल का क्षेत्रफल 18.2 हेक्टेयर प्लॉटों की सं. 14	सभी व्यावसायिक होटल और बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉटों की नीलामी कर दी गई है। केन्द्रीय चौक की विस्तृत विकास योजना को अभियांत्रिक विभाग के निष्पादन हेतु अग्रेषित कर दिया गया है।	
6.	शॉपिंग मॉल वसंत कुंज फेज–II क्षेत्रफल – 19.13 हेक्टेयर, प्लॉट की सं. – 14	पार्ट ले–आउट प्लान में संशोधन जिसमें क्राफ्ट परिसर और अन्य सुविधा प्लॉट दिए गए हैं।	एस.सी.एम. द्वारा पार्ट संशोधित ले–आउट को अनुमोदित कर दिया गया है।
(ii)	**समाज सदन**		
1.	समाज सदन अलकनन्दा, कालकाजी, क्षेत्रफल – 3.3 हेक्टेयर, प्लॉटों की सं. – 10	सभी प्लॉटों का निपटान कर दिया गया है। विवरण सहित विकास प्लान को निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी कर दिया गया है।	विकास कार्यों के लिए अभियांत्रिक विभाग से समन्वय।

क्र. स.	योजना का नाम	परियोजना की स्थिति	टिप्पणी
2.	समाज सदन, ओखला फेज–I	सभी प्लॉटों का निपटान कर दिया गया है। विवरण सहित विकास प्लान को निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी कर दिया गया है	विकास कार्यों के लिए अभियांत्रिक विभाग से समन्वय।
3.	समाज सदन, शेख सराय	बहुमंजिले कार्यालय होटल प्लॉट में परिवर्तित। एस.सी.एम. में अनुमोदन प्राप्त।	प्लॉट को निपटान के लिए भेजा।
4.	समाज सदन, ए–14 कालकाजी	यह स्थल स्व स्थाने पुनर्वास कालकाजी एक्स. से जुड़ा है और इसे रोक दिया गया है।	
घ	**विरासत योजनाएँ**		
1.	पुरातत्वीय पार्क, महरौली	सभी विरासत ढाँचों के लिए दस्तावेज़ी कार्यपूरा कर लिया गया है। गार्डन झरने के नवीकरण और हौज शमसी तालाब के पुनः स्थापन के लिए व्यापक संरक्षण योजना तैयार की जा रही है और ए.एस.आई. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रेषण कार्यवाही प्रक्रिया में है।	
2.	एंग्लो अरेबिक स्कूल, अजमेरी गेट का संरक्षण	डी.यू.एच.एफ. की 9वीं बैठक के निदेशों के अनुसार मुख्य ऐतिहासिक प्रांगण का निर्माण कार्य अधिकांश रूप से पूरा हो चुका है। आनुषंगिक स्कूल भवनों के प्रलेखन और दशा का विश्लेषण (जो ऐतिहासिक प्रांगण का भाग नहीं है) पूरा है।	विश्लेषण पर आधारित एक बार मरम्मत के प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है और अभि. विभाग द्वारा अनुमान तैयार कर लिए गए हैं, इसे माननीय उप राज्यपाल के अनुमोदन हेतु अग्रेषित कर दिया गया है।
3.	सुल्तानगढ़ी और इसके अहातों का एकीकृत संरक्षण / शहरी डिजाइन	सुल्तानगढ़ी में 5 स्मारकों के भू–दृश्यांकन पुनः स्थापन हेतु ए.एस.आई. से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। डी.यू.एच.एफ. की 9वीं बैठक के निर्णय के अनुसार दिल्ली चैपटर इन्टेक ने शेष जीर्ण अवशेषों में पुनः स्थापन का कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। इन्टेक, दिल्ली चैपटर ने ए.एस.आई. द्वारा पी.ई. की जांच के लिए प्रस्ताव प्रेषित कर दिया है। यह अभी प्रतीक्षित है।	
4.	प्रथम स्वतंत्रता युद्ध 1857 का स्मारक	राजघाट के समीप गाँधी दर्शन के साथ की रेखीय पट्टी को चुना गया है। एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है लेकिन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री शशि भूषण द्वारा एन.सी.ई. आर.टी. के सामने एक अतिरिक्त स्थल का भी प्रस्ताव दिया गया है। भूमि की सटीक अवस्थिति और उसका अपेक्षित क्षेत्रफल तथा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है।	
5.	हैरिटेज होटलों के रूप में हैरिटेज इमारतों का अनुकूल पुनः प्रयोग करने के लिए नीति दिशा–निर्देश	दिल्ली भवन उपविधि तथा दिल्ली मुख्य योजना 2021 के प्रावधानों की विस्तृत संवीक्षा और विश्लेषण किया गया और नीति स्तर दिशा निर्देश के लिए आधारिक ढांचा तैयार किया गया और विचार हेतु माननीय उप राज्यपाल को प्रेषित किया गया।	दिल्ली भवन उपविधि और मुख्य योजना 2021 में उपयोग परिसरों के परिवर्तन पर विचार किया गया।
6.	केथीडरल चर्च, नार्थ एवेन्यू को समाप्त न करके बनाए रखना।	विरासत भवन की एक प्रारम्भिक जाँच करवाई गई है।	वैचारिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

क्र. स.	योजना का नाम	परियोजना की स्थिति	टिप्पणी
ङ.	**खेल परियोजनाएँ**		
1.	खेल परिसर, जसोला	अतिरिक्त सुविधाएं– कवर्ड बैडमिन्टन कोर्ट, एयरोबिक हॉल और पेवेलियन ब्लॉक की व्यवस्था की गयी है तथा उसे जाँच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी कर दी गई हैं।	
2.	चितरंजन पार्क में लघु खेल परिसर	सुविधा ब्लॉक, रेस्टोरेंट और चेंज रूम तथा शौचालय सहित पेवेलियन की एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक शाखा को भेज दी गई।	रेस्टोरेंट प्लॉट को निपटान के लिए भेजा।
3.	राष्ट्रमंडल खेल–2010 हेतु सीरी फोर्ट खेल परिसर में बैडमिंटन और स्क्वॉश कोर्ट।	दि.न.क.आ. और ए.एस.आई की परामर्श समिति द्वारा बैडमिंटन स्टेडियम और स्क्वॉश कोर्ट के लिए वास्तु डिजाइन अनुमोदित किए गए। सीरी फोर्ट खेल परिसर में विद्यमान तरण–ताल, स्क्वॉश कोर्ट, टेनिस केन्द्र भवन, बैडमिंटन हॉल में अतिरिक्त ब्लॉक के ट्रेनिंग स्थलों के लिए वास्तु डिजाइन को एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।	कार्य प्रगति पर है।
4.	साकेत खेल क्लब में बैडमिन्टन हॉल को बेहतर बनाना	परामर्शदाता से ड्राइंगें प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य चल रहा है।	
5.	लाडो सराय में कुतुब गोल्फ कोर्स में सुविधा केन्द्र	ए.एस.आई. और अग्नि शमन सेवा दिल्ली से निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त हो गया है। परामर्श दाता द्वारा आर.एफ.क्यू. दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और अभियांत्रिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया गया है।	
च.	**विविध**		
1.	सेक्टर डी, पॉकेट 6, वसंत कुंज के पीछे 2304 मेगा हाउसिज़ में सुविधा बाज़ार	विस्तृत वास्तुकलात्मक डिजाइन योजना एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित। विस्तृत ड्राइंगें निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग विभाग को जारी कर दी है।	अभियांत्रिक विभाग के साथ समन्वय।
2.	डी–6 वसंत कुँज, के पूर्व में सुविधा बाज़ार और समाज सदन	एस.सी.एम.द्वारा सामुदायिक हॉल और सुविधा बाजार अनुमोदित। अभि. विभाग को निष्पादन हेतु विस्तृत ड्राइंगें जारी की गई।	अभि. विभाग के साथ समन्वय।
3.	स्थानीय बाजार, मदनगीर	एम.एस. प्लॉट निपटान के लिए भेजा	
4.	स्थानीय बाजार, बारापुला, निजामुद्दीन पूर्व	प्लॉट निपटान के लिए भेजा तथा अन्य विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिकी विभाग को भेजी।	
5.	अलकनंदा में समाज सदन, सी.सी.	निर्माण कार्य समाप्ति की ओर	अभियांत्रिक विभाग के साथ स्थल समन्वय।
6.	गाँव तेहखंड में समाज सदन	समाज सदन के लिए प्रस्ताव एस.सी.एम. में अनुमोदित हुआ था और विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को भेजी गई।	समाज सदन के आकार में वृद्धि के लिए समाज सदन की संशोधित डिजाइन की तैयारी चल रही है।
7.	सावित्री सिनेमा के समीप सी.आर. पार्क में वृद्धाश्रम	वास्तु डिजाइन प्रस्ताव को एस.सी.एम. के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया।	एन.जी.ओ. / एजेंसियों को वृद्धाश्रम हेतु भूमि आवंटित करने के लिए पद्धति तैयार करने हेतु मामला भूमि शाखा को प्रेषित।
8.	एम.ओ.आर. पॉकेट 104, कालकाजी में समाज सदन एवं रीडिंग रूम	एस.सी.एम. में समाज सदन अनुमोदित। विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।	
9.	एम.ओ.आर. पॉकेट 9, लाजपत नगर IV में समाज सदन एवं रीडिंग रूम	एस.सी.एम. में समाज सदन अनुमोदित। विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।	

क्र. स.	योजना का नाम	परियोजना की स्थिति	टिप्पणी
10.	समाज सदन, गांव किशनगढ़	भविष्य के उपयोग के लिए निर्धारित भूमि में से एक भाग लेकर समाज सदन के प्लॉट के क्षेत्र को बढ़ाने के साथ–साथ समाज सदन के आकार को बढ़ाने के संबंध में अनुमोदित समाज सदन का संशोधन।	समाज सदन का ले–आउट प्लान और डिज़ाइन एस.सी.एम. द्वारा अनुमोदित किया गया। यह ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।
11.	समाज सदन, पॉकेट के. एवं एल. शेख सराय	उप राज्यपाल को की गई शिकायत के अनुसार आर.डब्ल्यू.ए. ने एक समाज सदन की इच्छा व्यक्त की थी। अतः मौजूदा दि.वि.प्रा. उद्यान स्थल कार्यालय जो पॉकेट के एवं एल. आवासीय पार्क में है को जैसा है जहां के आधार पर समाज सदन के रूप में उपयोग करना प्रस्तावित है। कार्य कर रहे उद्यान कार्यालय को नेहरू प्लेस में रिक्त इंजी. स्थल कार्यालय पर स्थानान्तरित करना प्रस्तावित था।	आवंटन / निपटान निबंधनों के संबंध में नीतिस्तर निर्णय प्रतीक्षित है।
12.	गांव महिपालपुर में समाज सदन	एस.सी. में समाज सदन के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित किया। विस्तृत ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।	
13.	स्थानीय बाजार बदरपुर	जांच समिति द्वारा ले–आउट प्लान में संशोधन को अनुमोदित कर दिया गया और इसे आगे की कार्रवाई हेतु अभियांत्रिक और भूमि विभाग को जारी किया गया।	
14.	जमरूदपुर में एम.ओ.आर. की भूमि पर सामुदायिक हॉल	जाँच समिति में ले–आउट प्लान अनुमोदित कर दिया गया। ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी कर दी गई।	
15.	खोखा मार्किट लाजपत नगर में उपयोगिता प्लान	योजना विभाग द्वारा तैयार किया गया अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुसार खोखा मार्किट के लिए आवंटितियों को दी जाने वाली दुकानों के मानक डिज़ाइन तैयार किए जा रहे हैं।	मामले को जाँच समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
16.	सामुदायिक हॉल सफदरजंग एनक्लेव	सफदरजंग एनक्लेव में सामुदायिक हॉल के सामने पी.एस.पी. प्लॉट	सामुदायिक हॉल और बहुस्तरीय पार्किंग प्रस्तावित की गयी और जाँच समिति द्वारा मामले को अनुमोदित कर दिया गया। विस्तृत डिज़ाइन और ड्राइंगें अभियांत्रिक विभाग को जारी की गई।
17.	शांति स्पोर्टस क्लब से खाली कराई गई भूमि का उप विभाजन उपयोगिता प्लान	विद्यमान विकास सहित असरदार समाकलन के लिए पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण की शर्त पर एस.सी.एम. द्वारा एक अंतरिम ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया।	पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण अभियांत्रिक विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद, अंतिम ले–आउट प्लान तैयार किया जाएगा।
18.	अर्जुन नगर में सामुदायिक हॉल	एस.सी.एम. द्वारा सामुदायिक हॉल के विस्तृत डिजाइन और ले–आउट प्लान को अनुमोदित कर दिया गया है। अभियांत्रिक विभाग को निष्पादन के लिए ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं।	
19.	स्व वि.यो. आवासीय सेक्टर बी. पॉकेट–2 वसंत कुंज में सामुदायिक हॉल	एस.सी.एम. द्वारा मानक डिजाइन सहित ले–आउट प्लान अनुमोदित किया गया। अभियांत्रिक विभाग को ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं।	
20.	10 बी, पॉकेट–11, जसोला	अभियांत्रिक विभाग को सामुदायिक हॉल की विस्तृत ड्राइंगें और ले–आउट प्लान निष्पादन हेतु जारी कर दी गयी हैं। कार्य प्रगति पर है।	

9.2.3 पूर्वी जोन

क्र. सं.	परियोजना	भौतिक स्थिति	दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान प्रगति	टिप्पणी
क.	**व्यावसायिक परियोजनाएँ**			
क.1.	**उपज़िला केन्द्र**			
1.	सी.बी.डी. शाहदरा	फ्यूल स्टेशन, सिनेप्लेक्स, शॉपिंग मॉल सहित आंशिक रूप से निर्मित फेज–I। तीन होटल प्लॉट निर्माणाधीन	होटल प्लॉट सं. 1 के लिए नियंत्रण ड्राइंगों का नीलामी शर्तों के अनुसार संशोधन। एफ. ए. आर. पार्किंग, ऊँचाई, ग्राउन्ड कवरेज और प्रांगण के संबंध में दिनांक 26.02.2009 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार होटल प्लॉट सं. 1, 11 और 32 के लिए संशोधित नियंत्रण। अभियांत्रिक विभाग को परिसर के अंदर की गलियों और सड़कों का विवरण पुनः जारी किया गया।	
क.2.	**ज़िला केन्द्र**			
1.	शास्त्रीपार्क	निर्मित सुविधा केन्द्र प्लॉट जिला केन्द्र प्लॉट जैसे निर्माणाधीन होटल कन्वेन्शन सेन्टर आंशिक रूप से निर्मित	जाँच समिति के कार्यालय एवं फुटकर भवन को बदल कर होटल करने के निर्णय को संशोधित ले–आउट प्लान में शामिल किया गया और जिसे नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।	सुविधा प्लॉट को सामुदायिक हॉल के रूप में विकसित किया जाएगा।
2.	मयूर प्लेस	ई.एस.एस. फ्यूल स्टेशन, व्यावसायिक, विपणन सहित आंशिक निर्मित दो सर्विस अपार्टमेंट और दो होटल प्लॉट निर्माणाधीन हैं।	संशोधित प्लान जिसमें शाहदरा नाले को ढ़कना और लो.नि.वि. द्वारा प्रस्तावित फ्लाईओवर शामिल है को दि.न.क.आ. को सौंपा। कार्यालय एवं बहुस्तरीय पार्किंग प्लॉट को नीलामी के लिए भेजा। नाले को ढ़कने की सभी वास्तुकलात्मक ड्राइंगें अभियांत्रिकी विभाग को जारी की गई।	अभियांत्रिक विभाग के साथ निर्माण के दौरान स्थल समन्वय।
क.3.	**समाज सदन**			
1.	आनन्द विहार में समाज सदन	राष्ट्रमंडल खेलों के लिए होटल प्लॉट। निर्माण रोक दिया गया है।	समाज सदन के लिए विद्युत विभाग के परामर्श से डी.एफ.एस. अनुमोदन प्राप्त किया है। जन स्वास्थ्य सेवाओं के अनुमोदन के लिए अभियांत्रिक विभाग को संशोधित ले–आउट प्लान जिसमें व्यवहार्यता शामिल है जारी किया गया।	निर्माण के दौरान अभियांत्रिकी विभाग के साथ स्थल समन्वय।
2.	यमुना विहार	एम.टी.एन.एल. प्लॉट निर्मित तथा कार्य कर रहा है।	जाँच समिति द्वारा योजना अनुमोदित। पुलिस पोस्ट के आवंटन के संबंध में भूमि विभाग तथा पुलिस विभाग के साथ समन्वय।	दि.न.क.आ. को उनके रिकॉर्ड के लिए 264वीं जाँच समिति द्वारा यथा अनुमोदित संशोधित प्रस्ताव जारी किए गए।
3.	विवेक विहार	2 होटल प्लॉट निर्माणाधीन	जाँच समिति की 273वीं बैठक में सी.एन.जी. फ्यूल स्टेशन अनुमोदित। दिनांक 26.02.2009 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार संशोधित नियंत्रण जैसे एफ.ए.आर., पार्किंग, ऊँचाई, ग्राउन्ड कवरेज और होटलों के लिए प्रांगण (क,ख,ग,घ) सी.डब्ल्यू.जी. खेलों के दौरान अस्थायी पार्किंग, टेबल टेनिस, तीरंदाज़ी स्थल, एस.ई. / सी.सी.–II सी.डब्ल्यू.जी. को डिज़ाइन एवं ड्राइंगें जारी की।	यू.टी.टी.आई.पी.ई.सी. द्वारा अनुमोदित परिवहन रिपोर्ट के आधार पर डिजाइन किया गया पार्किंग प्रस्ताव, जाँच समिति में प्रस्तुत किया जाएगा।
4.	मण्डावली फाज़लपुर (समीप उत्सव ग्राउन्ड)	परामर्श परियोजना 3 होटल प्लॉट निर्माणाधीन	दिनांक 26.02.2009 की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार एफ.ए.आर., पार्किंग, ऊँचाई, तल कवरेज और प्रांगण जैसे संशोधित होटल नियंत्रण। परामर्शदाता मैसर्स सरद दास के पालन न करने के कारण स्थानीय निकायों से सेवाओं का अनुमोदन लेने के लिए अभियांत्रिक विभाग को ले–आउट प्लान जारी किए गए।	होटल प्लॉटों के बीच पार्टी लॉन के भूदृश्यांकन प्लान को अभियांत्रिक शाखा को जारी किया जाएगा।
5.	मण्डावली फाज़लपुर (इंजीनियर्स अपार्टमेंन्ट्स के समीप)	रिक्त भूमि, पेट्रोल पम्प चालू	अतिरिक्त स्थल के भूमि उपयोग की पुष्टि की शर्त पर दिनांक 2.5.08 की मद सं. 66.2008 के द्वारा 264वीं स्क्रीनिंग कमेटी में इंजीनियर्स अपार्टमेंट्स के समीप मण्डावली फाज़लपुर सी.जी.एच.एस. समाज सदन के ले–आउट प्लान में संशोधन अनुमोदित किए गए।	सांस्थानिक भूमि विभाग से भूमि उपयोग की स्थिति का पता लगाया जाएगा।

क्र. सं.	परियोजना	भौतिक स्थिति	दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान प्रगति	टिप्पणी
6.	प्रीत विहार	लगभग 80% भवन निर्मित हैं तथा चालू हैं।	40% तल कवरेज, 10% प्रांगण और 225 एफ.ए.आर. के साथ होटल के लिए प्लॉट सं. 33 को नीलामी हेतु व्यावसायिक भूमि को प्रेषित कर दिया गया।	
7.	कोण्डली घरौली	होटल परियोजना निर्माणाधीन	ले–आउट प्लान में होटल प्लॉट को शामिल किया गया। विद्युतीकरण हेतु ई.एस.एस. स्थल को निर्धारित किया गया और विद्युत विभाग को जारी किया गया।	
8.	एकीकृत भाड़ा परिसर (आई.एफ.सी) गाज़ीपुर, व्यापार एवं वाणिज्य केन्द्र	रिक्त (स्थल पर परिधीय सेवाएं उपलब्ध कराई गई)	जाँच समिति की 267वीं बैठक द्वारा अनुमोदित। दि.न.क.आ. को पुनः प्रस्तुत की गई। आयोग ने निदेशक टी.वाई.ए. से संबंधित प्रश्न पूछे।	योजना को दि.न.क.आ. के पास अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।
क.4.	**स्थानीय बाज़ार**			
1.	स्थानीय बाजार, सुख विहार		जाँच समिति की 267वीं बैठक में अनुमोदित। व्यावसायिक भूमि विभाग को नीलामी हेतु भेजा। योजना विभाग ने अपने ले–आउट प्लान को संशोधित किया और इस भूमि को समाज सदन के लिए निर्धारित किया, जिसे जाँच समिति ने अनुमोदित कर दिया।	समाज सदन के विस्तृत डिज़ाइन को जाँच समिति में प्रस्तुत किया जाएगा।
2.	स्थानीय बाजार, विश्वास नगर	रिक्त	272वीं जाँच समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित।	प्लॉट 1 को नीलामी हेतु भेजा जाएगा। प्लॉट सं. 2 इंजीनियरिंग विभाग को निर्माण हेतु।
3.	आई.एफ.सी. पॉकेट सी, गाजीपुर	रिक्त (स्थल पर परिधीय सेवाएँ उपलब्ध कराई गई)	263वीं जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित। नीलामी के लिए भेजी गई परन्तु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।	
4.	स्थानीय बाजार, गगन विहार		जाँच समिति द्वारा पहले से अनुमोदित। अभियांत्रिकी शाखा को पुनः जारी किया गया।	
5.	स्थानीय बाजार, मण्डावली फाज़लपुर		दि.मु.यो. 2021 के अनुसार प्लॉट सं. 2 में प्रांगण का प्रावधान।	दि.वि.प्रा. के प्लॉट के संबंध में विस्तृत वास्तुकलात्मक ड्राइंगें अभियात्रिक विभाग को जारी की जाएंगी।
6.	मिश्रित आवासीय सेक्टर कोण्डली घरौली में स्थानीय बाज़ार–1, 2		दि.मु.यो. 2021 के अनुसार भण्डारण के लिए तहखाने की व्यवस्था।	
7.	स्थानीय बाजार, चिल्ला दल्लूपुरा	रिक्त	समन्वय शाखा द्वारा ड्राइंगें अनुमोदित। अभियात्रिक विभाग को पी.ई. हेतु ड्राइंगें जारी।	अभि. विभाग को जारी।
8.	स्थानीय बाजार, यमुना विहार ब्लॉक बी.एवं सी.		वास्तुकलात्मक योजना 286वीं जाँच समिति में प्रस्तुत की गयी परन्तु आस्थागित।	जाँच समिति में पुनः प्रस्तुत की जाएगी।
9.	सूर्य निकेतन में सुविधा बाजार		वास्तुकलात्मक योजना 286वीं जाँच समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई परन्तु आस्थगित।	जाँच समिति को पुनः प्रस्तुत की जाएगी।
10.	गीता कालोनी में सुविधा बाजार		वास्तुकलात्मक योजना 286वीं जाँच समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई परन्तु आस्थागित।	जाँच समिति को पुनः प्रस्तुत की जाएगी।
11.	मयूर विहार फेज–II		266वीं जाँच समिति की बैठक द्वारा अनुमोदित।	
12.	आई.एफ.सी. गाज़ीपुर, पॉकेट–सी में कियोस्क	रिक्त स्थल	जाँच समिति द्वारा कियोस्क का विस्तृत डिजाइन अनुमोदित। भूमि शाखा को निपटान हेतु अग्रेषित।	

क्र. सं.	परियोजना	भौतिक स्थिति	दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान प्रगति	टिप्पणी
ख.	**रिहायशी आवास**			
1.	नोएडा से लगते हुए कोण्डली घरौली में ई. डब्ल्यू. एस. आवास, 1350 आ. ई.	आवास निर्माणाधीन, भौतिक प्रगति लगभग 60%	सभी वर्किंग ड्राइंग जो सीढ़ियों, शौचालय, दरवाज़े, और खिड़की से संबंधित हैं और विस्तृत इकाई प्लान अभियांत्रिक विभाग को जारी किए गए। समय–समय पर स्थल दौरे और स्थल पर निर्माण संबंधी मामलों को सुलझाना।	अभियांत्रिक विभाग को रोड क्रास सेक्शन, भूदृश्यांकन, गेट और नम्बरिंग प्लान सहित विकास योजना जारी की जानी है।
2.	डेरीफार्म से लगते हुए कोण्डली घरौली में ई. डब्ल्यू.एस. आवास 480 आ.ई.	आवास निर्माणाधीन, भौतिक प्रगति लगभग 65%	सभी वर्किंग ड्राइंग जो सीढ़ियों, शौचालय, दरवाज़े, और खिड़की से संबंधित हैं और विस्तृत इकाई प्लान अभियांत्रिक विभाग को जारी किए गए। समय–समय पर स्थल दौरे और स्थल पर निर्माण संबंधी मामलों को सुलझाना।	अभियांत्रिक विभाग को रोड क्रास सेक्शन, भूदृश्यांकन, गेट और नम्बरिंग प्लान सहित विकास योजना जारी की जानी है।
3.	कड़कड़डूमा में 200 बहुमंज़िले आवास (तीन शयन कक्ष एवं नौकर का कमरा) (आर्यनगर और जागृति सी.जी.एच.एस. के बीच की भूमि)	रिक्त भूमि	जाँच समिति द्वारा परियोजना स्कीम अनुमोदित। सी.एफ.ओ. को प्रस्तुत की गई और विद्युत विभाग से परामर्श करके उनकी टिप्पणियों का अनुपालन किया जा रहा है।	सी.एफ.ओ. के अनुमोदन के बाद योजना को दि.न.क.आ. को प्रस्तुत किया जाएगा।
4.	कड़कड़डूमा में शेष 5 पॉकेटों में बहुमंजिले आवास (आर्यनगर और जागृति सी.जी.एच.एस. के बीच की भूमि)	रिक्त भूमि	तीन शयन कक्ष अपार्टमेंट योजना को तैयार करने के लिए अभियांत्रिक विभाग विस्तृत पॉकेट आयाम उपलब्ध कराएगा।	
5.	चिल्ला गाँव विस्तार (गाजीपुर नाले के साथ–साथ) के पीछे सामुदायिक हॉल सहित 200 ई.डब्ल्यू. एस. आवास		विभिन्न समूहों हेतु विस्तृत वर्किंग ड्राइंगें तैयार कराई गई।	अभियांत्रिक विभाग को सी. एच. के डिज़ाइन के साथ अंतिम एल.ओ.पी.जारी किया जाएगा।
6.	कड़कड़डूमा में भूमि रहित मजदूरों हेतु आवास	रिक्त स्थल	सर्वेक्षण विभाग द्वारा भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया। योजना तैयार की जा रही है।	वास्तुकलात्मक योजना जाँच समिति को प्रस्तुत की जाएगी।
7.	नि.आ.व./म.आ.व. (220–200) समूह आवास, मयूर विहार, पॉकेट–V पार्ट ले–आउट प्लान में	योजना पहले से निर्मित केवल 20 इकाइयों के ए ब्लाक को छोड़कर।	सर्वेक्षण विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण और नपाई का कार्य करवाया गया। अन्तिम पार्ट प्लान तैयार किया जा रहा है।	अभियांत्रिक विभाग को निर्माण हेतु पार्ट प्लान जारी कर दिया जाएगा।
ग.	**सामुदायिक हॉल**			
1.	आनन्द विहार में सामुदायिक हॉल		जाँच समिति द्वारा योजना अनुमोदित। अभियांत्रिकी को निर्माण हेतु ले–आउट प्लान जारी किया गया।	
2.	विश्वास नगर में सामुदायिक हॉल		सामुदायिक हॉल का प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।	परियोजना को एस.सी.एम. के लिए प्रस्तुत करना है।
3.	चिल्ला में सामुदायिक हॉल		सामुदायिक हॉल का प्रस्ताव वैचारिक स्तर पर है।	परियोजना को अभियांत्रिकी विभाग को अग्रेषित किया जाएगा।
4.	गाँव दल्लूपुरा में सेवा केन्द्र 11 में सामुदायिक हॉल और सुविधा केन्द्र			परियोजना को एस.सी.एम. में प्रस्तुत करना है।
5.	गाँव कोण्डली में सामुदायिक हॉल	निर्माणाधीन	जाँच समिति द्वारा योजना अनुमोदित। निष्पादन हेतु अभियांत्रिक विभाग को अग्रेषित।	अभियांत्रिकी विभाग के साथ स्थल समन्वय।

क्र. सं.	परियोजना	भौतिक स्थिति	दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 के दौरान प्रगति	टिप्पणी
घ.	**खेल**			
1.	चिल्ला खेल परिसर में मिनी पेवेलियन		खेल शाखा को विचार–विमर्श और अनुमोदन हेतु वास्तुकलात्मक प्रस्ताव अग्रेषित। परियोजना राष्ट्रमंडल खेल–2010 तक पूरी हो जाएगी।	
2.	राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए यमुना खेल परिसर में टेबल टेनिस स्थल	भवन निर्माणाधीन	नगर कला आयोग द्वारा विस्तृत डिज़ाइन अनुमोदन दिया जाना है। स्थल के बाहर के व्यापक संचालन प्लान के संबंध की शर्त पर दिनांक 09.09.2009 की दि.न.क. आ. की बैठक के दौरान परियोजना को अनुमोदित किया गया। प्रधान आयुक्त/रा.म.खे. की अध्यक्षता में स्थल समन्वय में वास्तुकलात्मक मामले सुलझाए गए।	आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन किया जाएगा और अंतिम अनुमोदन माँगा जाएगा।
3.	राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए यमुना खेल परिसर में आरम्भिक तीरंदाज़ी स्थल	भवन निर्माणाधीन	पत्र सं. 22 (14)09/डी.यू.ए.सी./ दिनांक 27.11.2009 के द्वारा टिप्पणियों के साथ अनुमोदित। परामर्शदाता मैसर्स आरकीटेक्चरल ब्यूरो के साथ टिप्पणियों का अनुपालन किया जा रहा है। प्रधान आयुक्त/ रा.म.खे. की अध्यक्षता में स्थल समन्वय में वास्तुकलात्मक मामले सुलझाए गए।	दि.न.क.आ. से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
4.	राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए सीरी फोर्ट परिसर में बैडमिंटन और स्क्वॉश स्थल	भवन निर्माणाधीन	दि.न.क.आ. से विस्तृत डिज़ाइन का अनुमोदन लिया जा रहा है और सीरी फोर्ट की दीवार में दबाव क्षेत्र में वेन्ट शाफ्ट से संबंधित उनकी टिप्पणियाँ और इसी संबंध में पुरातत्व विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने का कार्य एस.ई./ सी.सी.–11 रा.म.खे. के द्वारा किया जा रहा है। प्रधान आयुक्त/ रा.म.खे. की अध्यक्षता में स्थल समन्वय बैठक के दौरान वास्तुकलात्मक मामले सुलझाए गए।	मैसर्स पी.टी. एम.जे.वी. से परामर्श करते हुए आयोग की टिप्पणियों का अनुपालन किया जा रहा है और दि.न.क.आ. से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
5.	राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए सीरी फोर्ट, यमुना खेल परिसर में प्रशिक्षण स्थलों को सुसज्जित करने हेतु वास्तुकलात्मक डिज़ाइन	नवीकरण का कार्य प्रगति पर है	प्रधान आयुक्त/ रा.म.खे. की अध्यक्षता में स्थल समन्वय की बैठक जिसमें परामर्शदाता आर्कीटेक्ट मैसर्स आर्कीटेक्ट ब्यूरो उपस्थित थे वास्तुकलात्मक मामले सुलझाए गए।	परियोजना का अनुपालन और स्थल समन्वय।

श्री तेजेन्द्र खन्ना, उप राज्यपाल, दिल्ली कुतुब गोल्फ कोर्स में 'उप राज्यपाल कप गोल्फ टूर्नामेंट–2010' के दौरान गोल्फ खेलते हुए

9.2.4 रोहिणी और नरेला जोन

	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति / टिप्पणी
(क)	आवासीय	
(1)	सेक्टर–4 रोहिणी में 512 ई. डब्ल्यू.एस आवास	अभियांत्रिकी शाखा से फीडबैक और व्यवहार्यता के लिए लगभग सभी ड्राइंगें जारी ।
(2)	सेक्टर–29, रोहिणी में एम.एस. आवास	योजना / परियोजना निर्माणाधीन।
(3)	नरेला में खेल परिसर	योजना में संशोधन किया गया और अनुमोदन हेतु निदेशक, खेल को भेजी गई।
(4)	नये दि.न.नि. स्कूल, सेक्टर–19, ब्लॉक सी. में झु. झों. समूह के पुनर्वास के लिए स्व स्थाने विकास	वैचारिक ड्राइंगों की संवीक्षा।
(5)	सेक्टर–26 में झु.झो. समूह के पुनर्वास हेतु स्व स्थाने विकास	मैसर्स सुरेश गोयल एण्ड एसोसिएट्स को टिप्पणियाँ प्रेषित की गई।
(6)	ए–9, नरेला में 483 एम.एस. आवास	अग्नि शमन अनापत्ति को छोड़कर सभी अनुमोदन उपलब्ध। विस्तृत वर्किंग ड्राइंग के संबंध में मामूली विवरण लंबित।
(7)	नरेला (सिरसपुर) में ई.डब्ल्यू.एस. आवास	कुछ वर्किंग ड्राइंग को छोड़कर कुछ भी लंबित नहीं।
(ख)	व्यावसायिक	
(1)	सेक्टर–11 रोहिणी में सुविधा बाजार	जाँच समिति की बैठक द्वारा योजना अनुमोदित, वर्किंग ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं।
(2)	सेक्टर–3, रोहिणी में स्थानीय बाजार सं. 7	.... वही ....
(3)	सेक्टर–16, रोहिणी में 4 समाज सदन (सी.सी)	.... वही ....
(4)	सेक्टर–23, रोहिणी में सुविधा बाज़ार	.... वही ....
(5)	सेक्टर–11, रोहिणी में सुविधा बाज़ार सं. 4	.... वही ....
(6)	सेक्टर–11, रोहिणी में सुविधा बाजार सं. 6	.... वही ....
(7)	सेक्टर–11, रोहिणी में सुविधा बाज़ार सं. 7	.... वही ....
(8)	सेक्टर–3, रोहिणी में स्थानीय बाज़ार सं. 4 सी	.... वही ....
(9)	सेक्टर–16, रोहिणी में सामुदायिक केन्द्र	अग्नि शमन अनापत्ति प्राप्त होनी है, सभी प्लॉटों की नियंत्रण ड्राइंगें निपटान के लिए तैयार हैं।
(10)	सेक्टर–10, नरेला में सामुदायिक केन्द्र	अभियांत्रिकी शाखा से उच्च ताप लाइन के संबंध में व्यवहार्यता प्राप्त होनी है।
(11)	रोहिणी में दो (ट्विन) ज़िला केन्द्र	विकास के स्तर पर।
(12)	मंगलम प्लेस में ज़िला केन्द्र	परियोजना विकास कार्य के पूरे होने के स्तर पर है।
(13)	सेक्टर–15 सामुदायिक केन्द्र	अग्नि शमन अनापत्ति को छोड़कर सभी अनुमोदन प्राप्त। स्कीम दि.मु.यो. 2021 के अनुसार संशोधित की जाएगी।
(14)	सेक्टर–7 सामुदायिक केन्द्र	.... वही ....
(15)	सेक्टर–25, रोहिणी में सामुदायिक केन्द्र	डिज़ाइन के स्तर पर।
(16)	सेक्टर–6 सामुदायिक केन्द्र	पुनः डिजाइन के स्तर पर।
(ग)	विविध कार्य	
(1)	सेक्टर–22 एवं 23 के बीच पी.एस.पी. क्षेत्र 2 में सामुदायिक हॉल	डिज़ाइन के स्तर पर।
(2)	सेक्टर–26, रोहिणी में कब्रिस्तान में शवदाह	.... वही ....
मार्च–2010 तक आरंभ की जाने वाली परियोजनाएं		
1.	सुविधा बाज़ार सं. 6 पॉकेट–11	
2.	सुविधा बाज़ार सं. 7 पॉकेट–11	
3.	सेक्टर–25, रोहिणी में सामुदायिक केन्द्र	
4.	सेक्टर–4, रोहिणी में ई.डब्ल्यू.एस.	

9.2.5 द्वारका एवं पश्चिमी जोन

क) आवासीय परियोजनाएं

1. बक्करवाला में दो शयन कक्ष वाले बहुमंजिला आवास (आवासीय इकाइयों की संख्या 240)
   - दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित
   - मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनुमोदित
   - ई.आई.ए. द्वारा अनुमोदित
   - निविदा आमंत्रण सूचना के लिए ड्राइंगें जारी की गई।
2. द्वारका सैक्टर 16–बी, पॉकेट–2 में दो शयन कक्ष (बेडरूम) वाले बहुमंजिला आवास **(आवासीय इकाइयों की संख्याः 346)**
   - जांच समिति द्वारा अनुमोदित
   - दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित
   - मुख्य अग्निशमन अधिकारी को भेज दी गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी से प्रथम टिप्पणियाँ प्राप्त हो चुकी है।
   - मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के लिए विद्युत शाखा को ड्राइंगें / सॉफ्ट कॉपी जारी कर दी गई है।
   - सर्विस इनपुट के लिए अभियांत्रिकी शाखा को ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं।
   - क्लॅस्टर प्लान / यूनिट प्लान की कार्यशील ड्राइंगों का संरचनात्मक इनपुटों से समाधान किया जा रहा है।
   - विस्तृत कार्यशील ड्रांइगें बनाई जा रही हैं।
3. द्वारका सैक्टर–14 में तीन शयन कक्ष (बेडरूम) वाले बहुमंजिला आवास **(आवासीय इकाइयों की संख्याः 208)**
   - योजना जांच समिति से अनुमोदित
   - अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर कला आयोग को भेज दी गई है।
   - सर्विस इनपुट के लिए ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी कर दी गई हैं।
   - मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ड्राइंगें / सॉफ्ट कॉपी जारी कर दी गई है।
4. द्वारका, सैक्टर–19, फेज–II में तीन शयन कक्ष (बेडरूम) वाले बहुमंजिला अपार्टमेंट **(आवासीय इकाइयों की संख्या 1240)** :
   - जाँच समिति द्वारा अनुमोदित
   - दिल्ली नगर कला आयोग को भेज दी गई हैं।
   - मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट कॉपी / ड्राइंगें विद्युत शाखा को जारी कर दी गई हैं।
   - सर्विस इनपुट के लिए ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी कर दी गई हैं।
5. द्वारका पॉकेट–3, सैक्टर 19–बी के समीप दो शयन कक्ष (बेडरूम) वाले बहुमंजिला आवास **(352 आवासीय इकाइयाँ)** :
   - दिल्ली नगर कला आयोग द्वारा अनुमोदित
   - मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट कॉपी / ड्राइंगें विद्युत शाखा को जारी कर दी गई हैं।
   - सर्विस इनपुट के लिए ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी कर दी गई हैं।

ख) व्यावसायिक

1. **द्वारका नगर केन्द्र / जिला केन्द्र**
   - सरस हाट के लिए एक प्लॉट और दि.न.नि. कार्यालय के लिए एक प्लॉट के लिए ओ.भू.शाखा को भेज दिया गया है।
2. **द्वारका नगर केन्द्र में सैक्टर 12 से सैक्टर 14 तक, मेट्रो स्टेशन**
   - सभी स्टेशनों पर पुनरावृति (रीपीटिंग) के लिए मेट्रो कॉरिडोर के भू–दृश्यांकन डिजाइन प्रस्ताव के रूप में मॉडल प्लान को विकसित किया जा रहा है।
   - यातायात सलाहकार के साथ यातायात संचालन का समन्वय किया जा रहा है।
3. **पश्चिम विहार, जिला केन्द्र में होटल प्लॉट**
   - होटल प्लॉट के नक्शे (फुट प्रिंट) को पुन डिजाइन किया गया है और जांच समिति की बैठक में अनुमोदित करवा लिया गया है।

द्वारका में व्यावसायिक विकास

ग) समाज सदन

(i) पश्चिम विहार, क्यू–ब्लॉक में समाज सदन
   - विकास योजना तैयार की जा रही है।

(ii) द्वारका, सैक्टर–17 में समाज सदन

- दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित किए जाने वाले भाग की कार्यशील ड्राइंगें तैयार की जा रही हैं।

घ) सुविधा बाजार

(i) पश्चिम विहार ए–3 में सुविधा बाजार

- डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

(ii) द्वारका सैक्टर 18–बी में सुविधा बाजार

- कार्यशील ड्राइंगे जारी कर दी गई हैं।

(iii) द्वारका सैक्टर–19, फेज–II में सुविधा बाजार–IV एवं V

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार की जा रही हैं।

ङ) समाज सदन

(i) द्वारका सैक्टर–2, में समाज सदन/पुस्तकालय

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं।

(ii) द्वारका सैक्टर–19, फेज–II में समाज सदन/पुस्तकालय

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं।

(iii) नसीर पुर पॉकेट–5 में समाज सदन

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं।

(iv) नसीर पुर, पॉकेट–4 में समाज सदन

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं और जारी कर दी गई हैं।

(v) द्वारका सैक्टर–13, फेज–I एच ए एफ पॉकेट में समाज सदन

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं।

(vi) द्वारका सैक्टर–11 में समाज सदन

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं और जारी कर दी गई हैं।

(vii) पश्चिम विहार जी एच–10 में समाज सदन

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर दी गई हैं।

(viii) पश्चिम विहार ब्लॉक ए–3 में समाज सदन

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं और जारी कर दी गई हैं।

(ix) द्वारका में अलग–थलग पॉकेट–13

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं और जारी कर दी गई हैं।

(x) द्वारका सैक्टर–17 एच ए एफ पॉकेट–3 में समाज सदन

- प्रारंभिक अनुमान के उद्देश्य हेतु ड्राइंगें जारी कर दी गई हैं।

(xi) द्वारका सैक्टर–7, पालम गांव में समाज सदन

- जाँच समिति की बैठक में अनुमोदित
- कार्यशील ड्राइंगे तैयार की जा रही हैं।

(xii) द्वारका सैक्टर 9, एच ए एफ पॉकेट–3 में समाज सदन

- जांच समिति में अनुमोदित।
- कार्यशील ड्राइंगे तैयार की जा रही हैं।

च) विशेष परियोजनाएं

1. भारत वंदना प्रांगण

- जांच समिति के इनपुट्स को शामिल किया गया है।
- विचार करने एवं विकास नियंत्रण मानकों को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी समिति के समक्ष रखा गया है।

2. धोबी घाट

- कार्यशील ड्राइंगें अभियांत्रिकी शाखा को जारी कर दी गई है।

3. विकास मीनार एनेक्सी एम एस बिल्डिंग

- ड्रिजाइनिंग प्रक्रिया के अधीन।

4. द्वारका में दि.वि.प्रा. स्कूल की चार दीवारी

- कार्यशील ड्राइंगे तैयार कर ली गई हैं और जारी कर दी गई हैं।

छ) खेल परिसर

i. द्वारका सैक्टर 17 में खेल केन्द्र

- ड्रिजाइन जांच समिति से अनुमोदित हो गया है।
- टिप्पणियों के लिए खेल शाखा को भेज दिया गया है।

ii. प्रताप नगर लघु खेल परिसर

- चार दीवारी एवं तरणताल के चारों ओर चार दीवारी, रंग योजना, चिह्न योजना के डिजाइन।

iii. द्वारका में सभी खेल परिसरों के लिए मानक चारदीवारी डिजाइन

iv. द्वारका सैक्टर–8 में खेल परिसर

- डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

v. द्वारका सैक्टर–19 में खेल परिसर

- डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

vi. द्वारका में गोल्फ कोर्स

- आरएफपी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए इनपुट
- सलाहकार के साथ समन्वय के लिए दल का भाग।

ज) ईंधन केन्द्र (फ्यूल स्टेशन)

i. द्वारका सैक्टर–14

- ईंधन केन्द्र के लिए चिह्नित स्थल
- जांच समिति की बैठक में अनुमोदित एवं संभाव्यता के लिए भेज दिया गया है।

ii. द्वारका सैक्टर–12

- ईंधन केन्द्र के लिए चिह्नित स्थल
- जांच समिति से अनुमोदित एवं संभाव्यता के लिए भेज दिया गया है।

iii. पश्चिम विहार डी–ब्लॉक में समाज सदन

- ईंधन केन्द्र के लिए चिह्नित स्थल
- जांच समिति से अनुमोदित एवं संभाव्यता के लिए भेज दिया गया है।

9.3 भूदृश्य एवं पर्यावरण योजना इकाई

9.3.1 भारत की राजधानी, दिल्ली देश के सबसे हरे–भरे महानगरों में से एक है। दि.वि.प्रा. जो भारत में सबसे पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, न केवल शहर का निर्माण करता है, बल्कि दिल्ली के नागरिकों के लिए गुणवत्ता पूर्ण जीवन भी सुनिश्चत करता है, जिसमें सतत् विकास, उन्नयन तथा शहर के हरे–भरे एवं वायुप्रद क्षेत्रों के रख–रखाव पर जोर दिया जाता है। दि.वि.प्रा. ने नदी और रिज जैसी प्राकृतिक विशेषताओं वाले स्थलों का भी संरक्षण किया है और क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टियों तथा समीपवर्ती हरे–भरे क्षेत्रों के रूप में खुले स्वच्छ वायुप्रद स्थानों का विकास किया है। इस तरह यह अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लगभग 3800 छोटे एवं बड़े पार्कों से इस शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करता है।

9.3.2 अपने इस प्रयास में दि.वि.प्रा. हरित पट्टियों के विकास, शहरी वनों, स्मारकों के आसपास हरित क्षेत्रों, जैव वैविध्य पार्कों आदि के विकास को बढ़ावा देता रहा है। इनकी डिजाइन दि.वि.प्रा. के भू–दृश्य यूनिट द्वारा ही तैयार की जा रही है। इसमें निम्नलिखित शामिल है :–

- मुख्य योजना में निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से सम्बन्धित नीति निर्धारण करना और डिजाइन करना।
- दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी जिला पार्कों का डिजाइन और समीपवर्ती पार्कों, खेल के मैदानों, शिशु पार्कों तथा आवासीय क्षेत्रों में लघु पार्कों का भी डिजाइन तैयार करना।
- स्वस्थ पर्यावरण बनाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए दि.वि.प्रा. के हरित क्षेत्रों में खेल सुविधाएं प्रस्तावित हैं।
- भू–दृश्य यूनिट द्वारा विशेष परियोजनाएं जैसे जैव–वैविध्य पार्क, गोल्फ कोर्स, सैनीटरी लैंडफिल स्थलों (इन्द्रप्रस्थ पार्क) का सुधार, नदी तट विकास, आस्था कुंज और तुगलकाबाद जैसी विरासत परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं। विभिन्न हरित क्षेत्रों की योजना में जलागम विकास, बरसाती पानी संग्रहण और संरक्षण तथा भू–जल रिचार्जिंग की अवधारणा को भी अपनाया गया है।

9.3.3 अप्रैल–2009 से मार्च 2010 के दौरान भूदृश्यांकन इकाई द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाएं

01. स्वर्ण जयन्ती पार्क (यमुना नदी तट का विकास)

फेज–I : इस स्कीम के अन्तर्गत 83 हेक्टेयर क्षेत्र, जो यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र के पीछे पुराने रेलवे पुल और आई.टी.ओ. के बीच स्थित है, को प्रथम चरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। भूदृश्यांकन योजना में एम्फी थियेटर, आगन्तुक प्लाजा, सूचना केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, भोजनालय, बच्चों के लिए खेल के मैदान, रख–रखाव किए गए हरित क्षेत्र, पैदल मार्ग, साइकिल मार्ग आदि, जो सक्रिय जोन का भाग हैं, जैसे कार्यकलापों सहित सक्रिय एवं शांत मनोरंजनात्मक जोन शामिल हैं। शांत जोन में कई जलाशय और स्थल के बीच में बने हुए पैदल पथ तथा टेढ़े–मेढ़े साइकिल मार्ग शामिल हैं। शांत क्षेत्र का डिजाइन सक्रिय क्षेत्र के कार्यक्रम आयोजन की तुलना में शांत वातावरण तैयार करने के लिए बनाया गया है। सक्रिय क्षेत्र में विद्यमान नाले पर जलाशय बनाया गया है। नए पी.डब्ल्यू.डी. रिंग रोड बाइपास को जगह देने के लिए प्रस्ताव में बदलाव शामिल किए गए हैं।

फेज–II : यह पुश्ता परियोजना का अगला चरण है। दि.वि.प्रा. के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अब इस परियोजना को स्वर्ण जयन्ती पार्क का नाम दिया गया है। फेज–I की विशेषताओं के प्रकार के अतिरिक्त द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्र अर्थात् बांध द्वारा बना लूप 100 वर्ष तक बाढ़ के खतरे से सुरक्षित होगा। अतः इसे इंटरप्रिटेशन सेंटर, जल जीवशाला, शिल्प बाजार आदि जैसे अन्य स्थायी डिजाइन के लिए आरक्षित रखा गया है। स्थल से होकर बहने वाले असंसाधित नालों को साफ किया जाएगा और इसे स्थल के अन्दर बड़े सभा क्षेत्रों के साथ जलाशय के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

यह समग्र परियोजना नदी के मुहाने जो पल्ला से प्रारंभ होकर ओखला बैराज तक है, का भाग हो गयी है जिसमें ओ जोन क्षेत्रों को उच्च जैववैविध्य क्षेत्र, पारस्परिक जैववैविध्य जोनों, और सार्वजनिक मनोरंजन में विभाजित किया है।

02 आई.एस.बी.टी. रिंगरोड के समीप कुदसिया घाट के लिए भूदृश्यांकन प्रस्ताव

इस स्थल के दो अलग भागों ; अतिक्रमण से मुक्त कराए गए पॉकेट और दि.वि.प्रा. पार्क जो पहले घड़ीवाला पार्क के रूप में जाना जाता था, को मौजूदा चार दीवारी और दीवार

के दोनों ओर के रास्ते को हटाकर मिलाया गया है। इस स्थल के अग्रभाग पर फ्लाई ओवर होने से, जिसका कुछ भाग इस स्थल के ऊपर से होकर निकलता है, के कारण विनिर्दिष्ट औपचारिक ओवरले जिसमें विशिष्ट विशेषताओं को दर्शाया गया है, द्वारा पूरा किया जाता है। पार्क से नदी तक पहुँचने के लिए नदी की ओर सीधे जाने वाली सीढ़ियों की व्यवस्था की गई है। इनको कुदसिया घाट पर नदी तक आम लोगों के सुगमता पूर्वक पहुँचने के लिए ड़िजाइन किया गया है। प्रवेश द्वार आंशिक रूप से फ्लाई ओवर लूप के नीचे अवस्थित है जिसमें कि खतरनाक मोड़ को आसान बनाया गया है। प्रस्तावित आम के पेड़ों से एक फलोधान के रूप में औपचारिक पौधारोपण किया गया है। वर्तमान में अवस्थित रास्ते के स्थान पर, फलोधान में से होकर निकलने वाला ईंटो का बना हुआ रास्ता सार्वजनिक रास्ता होगा। पूर्वी सीमा के समीप स्थित हरित चारबाग क्षेत्र को मैदान, शरणस्थल (शेल्टर) और वृक्षारोपण क्षेत्र के रूप में ड़िजाइन किया गया है। यह केन्द्र विभिन्न कार्यों के लिए नदी की ओर जाता है। इस स्थल को विशिष्ट बनाने के लिए आवधिक प्रतीक के रूप में शेल्टर एवं विशेषताओं को लिया गया है।

03 यमुना नदी मुहाना विकास, जोन ओ के लिए प्रस्तावित आधारिक योजना

नदी के शहरी ढाँचे के विकास में एकीकरण के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता का दृष्टिकोण अपनाया गया है। नदी घाटी के प्राकृतिक विरासत के साथ–साथ स्थानीय एवं शहरी स्तर पर क्षणिक आवश्यकताओं जैसे विभिन्न प्रकार के विशाल स्तर पर शहरी हरित क्षेत्रों के साथ मनोरंजनात्मक सुविधाओं के संरक्षण के लिए जैववैविध्य जोन में विकसित करने हेतु भूमि की प्राकृतिक संभावनाओं पर उचित विचार किया गया।

<u>विस्तृत शहरी डिजाइन और भूदृश्यांकन दिशा–निर्देश जिनका पालन किया गया वे हैं</u> : डिजाइन किए गए जैववैविध्य जोनो द्वारा प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे दलदल एवं वन और वन्य जीवों के विशेष विकास के संरक्षण नगर स्तरीय मनोरंजनात्मक सुविधाओं के साथ–साथ विकसित किए जाने वाले नगर स्तरीय हरित क्षेत्रों के विभिन्न समूह, आस–पास के क्षेत्र पर प्रभाव में सुधार के लिए कुछ मौजूदा सुविधाओं का नवीकरण/सुधार, सीमित क्षेत्र में प्रस्तावित की जाने वाली जैविक खेती/कृषि।

दिल्ली मुख्य योजना 2021 की सिफारिशों के अनुसार यमुना नदी के तटों पर कुल 9700 हेक्टेयर क्षेत्रफल जिसमें यमुना नदी दिल्ली के संघीय क्षेत्र से होकर बहती है अर्थात जिसे दि.मु.यो ने ओ जोन के रूप में निर्दिष्ट किया है, को जैववैविध्य पार्क के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस दिये हुए जोन जिसे मौजूदा सेतुओं के बीच बांटा गया है, का उच्च जैव वैविध्य क्षमताओं का मौजूदा पॉकेट के लिए विश्लेषण किया गया है। उक्त क्षमताओं का पता लगाने के पश्चात् भूमि को मुख्य जैववैविध्य क्षेत्र, बफर जोन और अन्तर्वर्ती जोन के रूप में रखा गया है।

(क) यह मुख्य जैववैविध्य क्षेत्र उस शांत भूमि का वास्तविक पॉकेट होगा, जिसे जैव वैविध्य को ध्यान में रखकर विकसित किया जाएगा। ये ऐसे केंद्र होंगे जहाँ पर जैववैविध्य विशेषज्ञ विभिन्न विविधताएँ उत्पन्न करने में सहायता करेंगे और पौधों और पशुओं की संख्या पर आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। इन मध्य केन्द्रों में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए जनता निरीक्षण करेगी। जैववैविध्य विशेष इस जोन के अंदर ही प्राकृतिक पारिस्थितिकी के उत्तम प्रभाव के लिए इन क्षेत्रों की तकनीकी रूप से योजना बनाएगें।

(ख) बफर जोन क्षेत्रों को "निम्न" जैव वैविध्य उर्वर परत के रूप में डिजाइन किया जाएगा जहाँ पर जनता एवं प्रकृति के बीच अन्तः क्रिया कम से कम नियंत्रित होगी और इस प्रकार दी गई सुविधाएं तदनुसार मेल खाएंगी। यह वह स्थान होगा जहाँ जैव वैविध्य विशेषज्ञों के पौधों और पशुओं पर कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा। फिर भी संकेतकों द्वारा इन हरित क्षेत्रों के उपयोग की सामान्य नीति को नियंत्रित किया जाएगा।

(ग) यह अन्तर्वती जोन अंतिम एवं आकर्षक जैववैविध्य पार्क होगें जो दिल्ली की जनता को आकृष्ट करेंगे। इनमें प्रमुखतः जीवंत मनोरंजनात्मक सुविधाए होंगी जो अप्रत्यक्ष मनोरंजन के साथ–साथ चलेंगे। इनमें खुले स्थान की सुविधाएं जैसे खेल के मैदान, थीम पार्क होंगे जिनको सार्वजनिक खुले क्षेत्र जिसकी शहर को बहुत आवश्यकता होती है, माना जाएगा।

(घ) इन सभी तीनों जोनों को जोड़ना एक हरित संयोजन तंत्र होगा जो जाल की तरह एक–दूसरे में से होकर निकलेंगे। (i) यह सभी जैववैविध्य पॉकेटों को जोड़ने में महत्वपूर्ण कारक होगा, इस प्रकार जैव विविधता को बनाए रखेंगे। यह जैव विविध क्षेत्रों की सही स्थिति के लिए महत्वपूर्ण कारक होंगे।

इस संयोजन से दो मूलभूत उद्देश्य पूरे होंगे। इस हरित कड़ी में मानव अन्तः क्रिया जैसे पार्किंग, विभिन्न जैववैविध्य जोनों के प्रवेश द्वार, सूचना केन्द्र और अन्य सुविधाओं जैसी आवश्यक सुविधाएं होगी।

(ङ) इस विकास का प्रमुख घटक नदी तट पर बना पैदल पथ होगा। यह सार्वजनिक दृष्टिकोण से संपूर्ण परियोजना का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि लोग पैदल पथ से होकर नदी तक पहुंचेंगे, उसे देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। यह पैदल पथ यदि संभव हुआ तो नदी हेतु शहर की प्रदर्शन मंजूषा (शोकेस) के रूप में माना जाएगा, जो स्वच्छ होगा और यह नदी जो एक समय से सीवर बन गई है, इसके स्थान पर अपनी मूल भव्य महत्ता को पुनः प्राप्त करेगी।

04 राष्ट्रमंडल खेल गांव – आवासीय परिसर का भूदृश्यांकन प्रस्ताव

भूदृश्यांकन वास्तुविद– पैरीडियन एसिस प्रा. लि.

कार्यकारी भूदृश्यांकन वास्तुविद – इंटैग्रल डिजाइन

राष्ट्रमंडल खेल गांव स्थल विभिन्न देशों से आने वाले प्रतिभागियों को आवास प्रदान करने के लिए है और इसमें राष्ट्रमंडल खेल संघ की अपेक्षाओं से अधिक भूदृश्यांकन किया जाना प्रास्तावित है। यह ध्यान में रखते हुए कि यह स्थल बहुत विशाल है और इस स्थल पर अनेक निर्माण गतिविधियाँ जैसे आवासीय, क्लब एरिया, पूल एरिया होंगी, इसलिए वास्तविक स्थल पर वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। पूरे स्थल पर छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए दस खेलने के स्थान (टॉट–लॉट) स्थित हैं। स्थल पर दो बड़े खेल के मैदान, फुटपाथ के साथ–साथ एक नम क्रीड़ा क्षेत्र है जिसके साथ पैरीमीटर ड्राइव है जो एक मीटर लूप बनाता है और जिसका उपयोग जॉगर्स करेंगे। इसका लक्ष्य परिधि के साथ–साथ और परिसर के अन्दर हरित क्षेत्र के समान विस्तार करना है। क्यारियां और जमीन पर लगी घास सभी क्षेत्र के स्थानीय पौधे हैं। क्षेत्र के वातावरण को सुधारने के लिए स्थल के 10–20% क्षेत्र पर वृक्ष लगाए जाएंगे। भूदृश्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं : मिश्रित पौधों के विकास को बढ़ावा, क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण, पर्यावरण के प्रति पौधों का अनुकूलन, पौधों द्वारा मृदा संरक्षण की विशेषता।

05 राष्ट्रमंडल खेल गांव 2010 – गैर आवासीय परिसर का भूदृश्यांकन

सलाहकार/सहायक सदस्यः डेरिल जैकसन पीटी वाई लि. ऑस्ट्रेलिया

स्थानीय सहायक सदस्यः मैसर्स सुरेश गोयल एण्ड एसोशिएट्स

राष्ट्रमंडल खेल के साथ गैर आवासीय सुविधाओं के विकास का प्रमुख उद्देश्य दिल्ली में होंने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए विश्वस्तरीय खेल गांव बनाने और दिल्ली के निवासियों के लिए उच्च श्रेणी का खेल परिवेश बनाना है। पूरे स्थल को आवासीय, अन्तर्राष्ट्रीय/परिवहन मॉल, स्वागत कक्ष, प्रशिक्षण केन्द्र और पार्किंग में विभाजित किया गया है। रंगभूमि के साथ विशाल स्वागत कक्ष, घने

राष्ट्रमंडल खेल गाँव में चल रहे निर्माण–कार्य का एक दृश्य

वृक्षों से आच्छादित मुख्य मार्ग, आवसीय क्षेत्र को खेल स्थल से जोड़ता है। संपूर्ण परिवेश, निष्क्रिय जलवायु डिजाइन और प्रबंधन सहित पर्यावरण के अनुकूल डिजाइन को शामिल करेगा। थ्रोबॉल एरिया के समीप एक विशाल जलाशय परिसर के जल को एकत्रित करेगा और इस प्राकृतिक रूप में विकसित किया जाएगा। स्थल का कुल क्षेत्रफल 52.5 हेक्टेयर है एवं इस परियोजना की अनुमानित लागत 10.63 करोड़ रूपए है।

06 राष्ट्रमंडल खेल 2010–प्रवेश द्वार एवं फ्लाई ओवरों की भूदृश्यांकन योजना

आर्किटेक्ट प्रदीप सचदेवा डिजाइन एसोशिएटस

भूदृश्यांकन सलाहकार–गीता वाही दुआ।

स्थल की स्थिति अक्षरधाम मंदिर एवं राष्ट्रमंडल खेल गांव के समीप का क्षेत्र है। औपचारिक डिजाइन लेआउट, प्रमुख स्थान से लिया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की दक्षिण दिशा में समीपस्थ प्रस्तावित फ्लाई ओवर से दिखाई देता है। यह संपूर्ण अवधारणा एक भारतीय उद्यान (विशेषरूप से उपयोग की पौधों की सामग्री फलोद्यान, फूल वाले वृक्षों के समूह औषधीय एवं जड़ी बूटियों के उद्यान इत्यादि) के साहित्यिक संदर्भ से लिया गया है। इसे बिलकुल चौकोर रूप में संदर्भ के तौर पर लिया जा रहा है। रैखिक स्थल को प्रवेश चौक पैदल पथ, बाल क्रीड़ाक्षेत्र, अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यह मुख्य अवधारणा जीवन की तीन अवस्थाओं बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था पर पार्क विकसित करने पर आधारित है। बाल्यावस्था को दर्शाने वाले जोन में खेल के मैदान, भूलभुलैया, फूल और पर्णपाती वृक्ष एवं झाड़ियां हैं। युवावस्था जोन में उत्पादकता और प्रचुरता एवं प्रस्तावित रंगों, पब्लिक आर्ट, फलों के वृक्ष लगाना, मौसमी एवं पर्णपाती वृक्षारोपण का प्रतीक है, जबकि वृद्धावस्था के प्रतीक वाले जोन में मनन केंद्र, औषधीय एवं जड़ी–बूटी के

बगीचे, सदाबहार वृक्ष हैं। मध्य क्षेत्र में एक बोधि वृक्ष के साथ संपूर्ण बनावट को विकसित किया जाएगा।

दूसरे स्थल को पहले स्थल के साथ मिलाना प्रस्तावित है। दक्षिण की ओर अवस्थित हरित पट्टी में कई विकसित पेड़ हैं जिनको स्थल की लम्बाई के साथ–साथ लगाया गया है। इसे नदी के पास घास, सदाबहार झाड़ियां लगाकर हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित है जिससे कि राष्ट्रीय राजमार्ग से पार्क का दृश्य विघटित न लगे। मुख्य राजमार्ग से पार्क तक पहुंचने के लिए पुल बनाए गए हैं।

मुख्य राजमार्ग और राष्ट्रमंडल गांव की प्रवेश सड़क के चौराहे पर स्थित इस द्वीप में साइन बोर्ड लगाने प्रस्तावित हैं। फ्लाई ओवर के नीचे द्वीप के दोनों ओर छाया में पनपने वाले पौधों को जाली के रूप में लगाना प्रस्तावित है।

इस डिजाइन में निम्न लागत की सामग्री जैसे मिट्टी का पैदल पथ, ईंटों का बना रास्ता, पहले से लगे पत्थर टाइल्स इत्यादि होंगे जो सस्ते हैं और जिनको रखरखाव की कम आवश्यकता होती है। लगाए जाने वाले रंग बिरंगे पौधे स्थानीय प्रजातियों के ही होंगे जो यहां खूब बढेंगे।

07 यमुना खेल परिसर – पुराने क्षेत्र को पुनः चमकाना

भूदृश्यांकन सलाहकार – मैसर्स आर्किटेक्ट ब्यूरो

खेल परिसर का दर्शक प्रवेश चौक, भूदृश्यांकन, रोशनी, गलियों में सज्जा सामग्री कलात्मक कार्य और प्रतीक चिह्नों सहित खुले क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र के रूप में विकास किया जा रहा है। स्थल एवं भवन की स्थायी सेवाओं (जलापूर्ति, निकास, विद्युत, परिवहन) के लिए आवश्यकता अनुसार आधारिक सेवाओं को विकसित किया जा रहा है। पूरे स्थल पर हल्का भूदृश्यांकन, प्रतीक चिह्न, विद्युत एवं गलियों में सज्जा सामग्री, खेल स्थल विकसित किए जा रहे हैं। दर्शक के समीप क्षेत्र में सुरक्षा घेरा, सुरक्षा चैक पॉइंट बनाए जा रहे हैं और तीरंदाजी योग्यता स्थलों में अधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश, ड्राइंगों के अनुसार कपड़े बदलने का स्थान, पाकशाला से होकर मुख्य रास्ते तक रोशनी, भूदृश्यांकन चौक का रूप, नदी के बहाव से प्रेरित है।

दीवारों, गेटवेज, भवनों, सीढ़ियों को भू–दृश्यांकन के रूप में बनाने के लिए खडंजों को ढलान के रूप में बनाया गया है। एक नया प्रवेश द्वार नए टेबल टेनिस स्टेडियम को जोड़ता है, जो कि संपूर्ण स्थल व्यय के अंदर ही समाहित है। कुल खुला क्षेत्र, 86632.6 वर्ग मीटर है एवं परियोजना की लागत 8.6 करोड़ रूपये है।

08 यमुना खेल परिसर – नई बिल्डिंग (टेबल टेनिस वेन्यू) का भू–दृश्यांकन प्रस्ताव

परियोजना हेतु पी टी ए द्वारा तैयार की गई भू–दृश्यांकन अवधारणा योजनाओं की समीक्षा, वृद्धि एवं विकास करने के उद्देश्य से सितम्बर 2008 में पेडल थोर्प, आर्किटेक्ट्स् द्वारा इण्डे लैण्डस्केप आर्किटेक्टस् के सहयोग से फोर्मियम लैण्डस्केप आर्किटेक्टस् को नियुक्त किया गया था।

प्रस्तावित नया यमुना स्टेडियम 230X140मी. आयताकार भूमि का प्लॉट है जो यमुना खेल परिसर उत्तर पश्चिम हिस्सा में विद्यमान संपर्क सड़कों से घिरा हुआ है। नए स्टेडियम में प्रवेश उत्तर–पश्चिम की तरफ है जो कि इसके मुख्य स्थल संपर्क गेटों की तरफ है जहाँ पर रोड नं. 71 ए समाप्त होती है। दि.वि.प्रा. द्वारा नियुक्त किए गए अन्य परामर्शदाता, ए टी के एस भू–दृश्यांकन वास्तुकारों के साथ वास्तुकार ब्यूरों ने संपूर्ण स्थल का उन्नयन करने हेतु एक मुख्य योजना तैयार की है।

09 सीरी फोर्ट खेल परिसर – पुराने क्षेत्र के उन्नयन हेतु भूदृश्यांकन प्रस्ताव

सीरी फोर्ट खेल परिसर राष्ट्रमंडल खेलों के स्थलों में से एक है और इसमें 10 टेनिस कोर्ट, एक तरणताल, गोल्फकोर्स, एक जिमनेजियम, एरोबिक सेन्टर, जॉगिंग ट्रेक, बैडमिंटन एवं स्क्वॉश कोर्ट, बास्केट बॉल एवं क्रिकेट का मैदान इत्यादि है। मौजूदा भवनों में नए प्रवेश द्वार बनाकर, रोशनी की व्यवस्था इत्यादि करके वातावरण एवं परिचालन में सुधार के लिए होने वाले राष्ट्रमंडल खेल–2010 हेतु, इस खेल परिसर का उन्नयन किया जा रहा है। संपूर्ण खुला क्षेत्र लगभग 11.95 एकड़ है। अपनी सुविधाओं और परिवेश के लिए पहले से ही प्रशंसित इस परिसर को खेल के सर्वश्रेष्ठ सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह खेल परिसर राष्ट्रमंडल खेल–2010 हेतु बैडमिंटन, लॉन टेनिस और तरणताल के लिए अभ्यास स्थलों में से एक है।

10 सीरी फोर्ट खेल परिसर – नए क्षेत्र हेतु भूदृश्यांकन प्रस्ताव

नए सीरी फोर्ट स्टेडियम का क्षेत्रफल लगभग 12.3 हेक्टेयर है और यह सीरी फोर्ट खेल परिसर के उत्तर पूर्व की ओर है। परियोजना के लिए पीटीए द्वारा विकसित की गई भूदृश्यांकन योजना की समीक्षा, विस्तार और विकास के लिए पैडल थोर्प आर्किटेक्ट्स ने आई एन डी ई लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स के सहयोग से फोर्मियम लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स को काम में लगाया। स्थल पर लगभग 370X370 मी. असामान्य भूमि है। सीरी फोर्ट दीवार के टूटे हिस्से जो मिट्टी में दब गए है एवं जिन पर घास उग गई है, सीरी फोर्ट रोड के सामने साथ–साथ चलती है और चारदीवारी से 20–30 मीटर पीछे है।

स्थल पर मौजूदा पेड़–पौधों के लिए संपूर्ण स्थल का निरीक्षण एवं समीक्षा की गई है। सीरी फोर्ट रोड से स्थल की ओर पेड़ों की घनी पंक्ति जिसके मध्य में हरित क्षेत्र है, आती है। यह स्थान ऐतिहासिक सीरी फोर्ट अवशेषों जो इस स्थान से जमीन के ऊपर दिखाई नहीं देते हैं, के विभेद को कम करेंगे। स्थल से 50 मीटर अंदर एक गेटवे कन्ट्रोल पॉइंट स्थित होगा जो वाहनों को कुछ समय के लिए व्यस्त सीरी फोर्ट रोड पर रूकने की जगह देगा। सडक के पश्चिम की ओर साथ–साथ चलने वाले पैदल पथ पर लगी घने वृक्षों की पंक्तियाँ जिसे रंग बिरंगी झाड़ियाँ अलग करेंगी, स्टेडियम के उत्तर दिशा में कोर्ट भवन में प्रवेश के रास्ते को जोड़ेगी। प्राकृतिक सीरी फोर्ट वॉल और स्टेडियम के भीड़ वाले स्थान को वनस्थल के रूप में माना जाएगा। मौजूदा सभी पेड़ों को सुरक्षित रखा जाएगा।

स्टेडियम के चारों ओर दर्शकों की भीड़, एथलीटों और अधिकारियों के लिए एक बनाया हुआ संगम स्थल होगा। भवन के चारों ओर लोगों के पहुंचने और आपातकाल में वाहनों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त स्थान रखते हुए रास्ते की सीमा और चौड़ाई न्यूनतम रखी गई है।

अंतिम खेल परिचालन को अच्छी तरह से बनाया गया है। नक्शों में प्रस्तावित पदयात्री बाधाएं, सुरक्षा घेरा लेआउट, प्रस्तावित 'ग्रीन वॉल एलिमेंट्स' के लिए स्थान एवं विवरण और सदाबहार रंग–बिरंगे पौधों के साथ चल पदत्तल दर्शाते हैं।

स्थल पर तीन ऐतिहासिक पत्थरों के बने कुओं के अवशेष हैं। इनमें से प्रत्येक सुरक्षित रखा जाएगा और ऊपरी हिस्से का पुनः निर्माण किया जाएगा। जहाँ संभव हो वहाँ बरसाती जल को भूमिगत जल स्त्रोतों को पुनः भरने के लिए कुओं की ओर मोड़ा जाएगा।

राष्ट्रमंडल खेल–2010 के दौरान इस खेल परिसर का बैडमिंटन और स्क्वॉश प्रतियोगिताओं के लिए उपयोग किया जाएगा।

11 वसंत कुंज में मेगा हाउसिंग (विशाल आवासों) हेतु भूदृश्यांकन परियोजना

मेगा हाउसिंग के लिए भूदृश्यांकन योजना मौजूदा मुख्य योजना और स्थल पर बनाए गए ब्लॉकों की स्थिति के आधार पर तैयार की गई थी। स्थल पर उत्पन्न बाधाओं से आगे बढ़ते हुए, वर्तमान आवश्यकताओं, अग्निशमन उपकरण इत्यादि शामिल किए गए और प्रत्येक समूह और सामान्य क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए लेआउट डिजाइन किया गया है।

वास्तुविद् सुमित घोष ने वसंत कुंज में विशाल आवासों को डिजाइन किया और श्री घोष ने भूदृश्यांकन डिजाइन के लिए वास्तुविद् सतीश खन्ना का सहयोग किया। स्थल का कुल क्षेत्रफल लगभग 23.65 हेक्टेयर है जिसमें आवासीय

वसन्त कुंज में मध्यम आय वर्ग के फ्लैट

समूह के चार पॉकेट हैं। मध्य हरित क्षेत्र के चारों ओर जी+3 भवनों का समूह है और परिधि में जी+8 भवन स्थित हैं। खुले स्थान में निम्न शामिल हैं :–

क्लस्टर जोन : इसमें मध्य हरित क्षेत्र शामिल है जिसके चारों ओर कम ऊँचाई के ब्लॉक बनाए गए हैं। जी+3 और जी+8 के बीच का स्थान भी इसी जोन में आता है। यह स्थान आस–पास के परिवेश का निर्माण करता है।

कम्यूनिटी जोन : यह आवासीय ब्लॉकों के बीच चौराहा है। इस जोन में दो आवासीय पॉकेट मिलती है। यह एक विशाल सामुदायिक हरित क्षेत्र है।

बफर जोन : बफर जोन परिधि और मुख्य परिचालन तंत्र के साथ का क्षेत्र हैं। इस जोन में पार्किंग, सेवाओं और आवासीय इकाइयों के लिए बफर स्थान शामिल है।

इन आवासों का राष्ट्रमंडल खेल–2010 में आने वाले आगंतुकों/मेहमानों के लिए उपयोग किया जाएगा।

12 कोरोनेशन पार्क हेतु भूदृश्यांकन प्रस्ताव

यह 52 एकड़ का हरित क्षेत्र पहले के.लो.नि. वि. के अंतर्गत था और अब इसे माननीय उपराज्यपाल के निदेशों के अनुसार दि.वि.प्रा. को सुपुर्द कर दिया गया है। अब इस परियोजना के लिए इनटेक को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। 1911 के कोरोनेशन दरबार वाले स्थल पर एक स्मारक बनाया गया था और स्वतंत्रता के पश्चात् पूरे देश से ब्रिटिश काल की प्रतिमाओं को लाने के और इनको इस खुले स्थान पर प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई थी। तथापि प्रतिमाओं के लिए अनेक आधार स्तम्भ बनाए गए और केवल पांच प्रतिमाएं और दो अर्द्ध प्रतिमाएं ही लायी गईं। प्रतिमाओं की सीमित संख्या के

कारण, उचित सुविधाओं की कमी, लगातार पानी के जमा होने से, आस–पास अनुचित विकास से एवं सीमित रखरखाव के कारण, पार्क ने कभी भी अधिक आगंतुकों को आकर्षित नहीं किया है। स्मारक के साथ कोरोनेशन पार्क दिल्ली में पर्यटकों विशेषकर विदेशी आगंतुकों के आकर्षण का केन्द्र हो सकता है। इसके लिए अनेक स्तरों पर कई कदम उठाने की आवश्यकता है।

त्रिलोकपुरी में संजय झील का एक दृश्य

भूदृश्यांकन : आगंतुकों को दरबार की भव्यता के बारे में बताने के लिए 1911 में जिस स्थान पर दरबार लगा था, उसका सावधानी पूर्वक भूदृश्यांकन करने की आवश्यकता है। ऐसा मूल रंगभूमि और विविध फूलों जिनकों वास्तव में लगाया जाना था, को चित्रित करके ऐसा किया जा सकता है। यह प्रस्तावित है कि मौजूदा शुष्क भूदृश्यांकन को भारतीय राजकुमारों के कैम्प स्थलों के लिए स्थानों के समानुपातिक विभाजन के साथ वास्तविक दरबार के घटे हुए रूप को प्रस्तुत करने के लिए परिवर्तन करना होगा। प्रत्येक कैम्प स्थल को स्टोन प्लींथ द्वारा निरूपित किया जाएगा जिसको विविध नए उपयोग के लिए काम में लिया जा सकता है।

संरक्षण : कोरोनेशन स्मारक एवं प्रतिमाएं जो पार्क में लगी हुई हैं, को तत्काल संरक्षण, सुरक्षा एवं रखरखाव की आवश्कता है। यह उनके दीर्घावधि और आगंतुकों के सम्मुख उचित निरूपण के लिए आवश्यक है। इन विरासतीय तत्वों का अहानिकारक वैज्ञानिक निरीक्षण करना प्रस्तावित है और भावी कार्यों में मार्गदर्शन के लिए उचित संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

व्याख्या केन्द्र : व्याख्या केन्द्र पुरातात्विक छायाचित्रों और दरबार के रिकॉर्डों के माध्यम से भव्यता की कहानी बताएगा। छायाचित्र बड़े एवं शक्तिशाली जैसे भारतीय राजकुमारों के पहने गए वस्त्रों, दरबार के ले आउट, राजाओं द्वारा पढ़े गए भाषण को प्रदर्शित करेंगे।

13 बारापुला नाला बेसिन का भूदृश्यांकन विकास

दि.वि.प्रा. बारापुला नाला परियोजना के भूदृश्यांकन विकास का कार्य शुरू कर रहा है। इस संपूर्ण स्थल की लंबाई लगभग 12.5 कि.मी. है और पहले चरण में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम से सराय काले खाँ के समीप रिंगरोड तक का 4.6 कि.मी. का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और इस नाले की चौड़ाई 70 मीटर से लेकर 110 मीटर तक अलग–अलग है। विभिन्न बंद नाले बारापुला में इसके संगमस्थल पर आकर मिलते हैं। एक उन्नत गलियारे का निर्माण किया जा रहा है जिससे एथलीटों को राष्ट्रमंड़ल खेल गांव से रिंग रोड होकर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम तक ले जाया जाएगा। रिंग रोड की ओर शुरूआती क्लोवर लीफ और जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के पीछे सिल्वर ओक पार्क को संपूर्ण योजना के पूरक के रूप में डिजाइन किया जा रहा है। फ्लड जोन का निर्माण करके नाले को पारिस्थितिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह अत्यधिक सक्रिय मानसून की स्थिति में पानी की अत्यधिक आवक को नियंत्रित करेगा।

14 निर्धारित स्थलों पर जलाशयों का विकास

दि.वि.प्रा. ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत दिल्ली में पारिस्थितिकीय एवं धारणीय तरीके से अनेक जलाशयों के पुनरूद्धार, रखरखाव एवं सुधार का कार्य शुरू किया है। भूदृश्यांकन इकाई ने लगभग 30 जलाशयों के विकास के लिए भूदृश्यांकन योजना तैयार की है और उसे विकास के लिए अनुमोदित किया है।

15 रोहिणी सैक्टर–1 (नेताजी सुभाष पार्क अवन्तिका) में जिला पार्क का पुनर्विकास

इसके प्रवेश द्वार एवं विशाल प्रवेश चौक (प्लाजा) पर ध्यान देते हुए मुख्य प्रवेश द्वार पर विशेष बल दिया गया है। दो भव्य प्रवेश द्वार शहर की सुन्दरता में चार चांद लगाते हुए चौक में प्रवेश का गौरव बढ़ाएंगे। चौक को तीन भागों में बांटा गया है जो आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। मुख्य द्वार के सामने फोक्स–बिन्दु बनाने के लिए मूर्ति रखी गई है। सामुदायिक सत्संग के लिए बैठने के स्थान को इस प्रकार से अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका सत्संग के अलावा भी दूसरे अवसरों पर उपयोग किया जा सके। खाली/सुनसान पड़े क्षेत्रों को आकर्षक भूदृश्यांकन तत्वों से बाल–क्रीड़ा क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया है। विशाल खुले हरित क्षेत्र को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए अनेक सामान्य रूपरेखाएं बनाई गई हैं। इस क्षेत्र का सामाजिक कार्यक्रम के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। पार्किंग द्वार के पास ही बी ओ टी शौचालय बनाया गया है। दक्षिण पूर्व दिशा में पार्क के सुव्यवस्थित ग्रिड पैटर्न को जैसा है, वैसा ही रखा गया है। 0.7 हेक्टेयर का एक प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल है, रिकॉर्ड के अनुसार जिस पर अतिक्रमण था। इसको इस तरह से चिन्हित किया गया है कि स्थल की घुमावदार आकृति के कारण इसका कुछ भाग व्यर्थ हो रहा है। प्रस्तावित है कि यह समारोह स्थल एक नियमित आकृति में डिजाइन किया जाए जिससे एक स्वच्छ समारोह स्थल का सृजन हो और पार्क में एक व्यर्थ स्थान समाप्त हो जाए।

9.3.4 प्रारंभ की गई अन्य भूदृश्यांकन योजनाएं

01. आस्था कुंज
02. यमुना जैव वैविध्य पार्क (फेज I एवं II)
03. अरावली जैव वैविध्य पार्क
04. सीरी फोर्ट सभा भवन, के सामने पार्किंग क्षेत्र की भूदृश्यांकन योजना, खेल स्थान के चारों ओर स्ट्रीट स्केपिंग एवं दिल्ली की सड़कों का सौंदर्यीकरण।
05. बीएचईएल के सामने पार्किंग क्षेत्र की भूदृश्यांकन योजना, खेल स्थान के चारों ओर स्ट्रीट स्केपिंग एवं दिल्ली की सड़कों का सौंदर्यीकरण।
06. लाजपत नगर नाला के प्रस्तावित ढकाव पर हरित क्षेत्र की भूदृश्यांकन योजना
07. वसंत विहार में वसंत उद्यान के विकास हेतु भूदृश्यांकन प्रस्ताव
08. संजय झील हरित क्षेत्र, त्रिलोकपुरी का विकास
09. विभिन्न स्थलों पर बीओटीआधार पर जनसुविधाओं की व्यवस्था
10. कालकाजी एक्सटेंशन पॉकेट ए–10 में एनएचपी में संशोधन
11. तुगलकाबाद फेज–I में हरित क्षेत्र के नक्शे में संशोधन
12. द्वारका सैक्टर–11 में सामुदायिक पार्क की भूदृश्यांकन योजना
13. कोंडली घरोली, मयूर विहार फेज–III दिल्ली में स्मृति वन की विकास योजना
14. बत्रा अस्पताल के सामने संगम विहार में हरित क्षेत्र की भू–दृश्यांकन योजना
15. जनकपुरी, ब्लॉक सी–3ए के समीप हरित क्षेत्र हेतु भूदृश्यांकन योजना
16. वसंत कुंज डी–6 में हरित क्षेत्र हेतु भूदृश्यांकन योजना
17. राष्ट्रमंडल खेल के लिए हरित क्षेत्रों एवं सड़कों के साथ–साथ शहर का सौन्दर्यीकरण
18. रोहिणी के अन्य हरित क्षेत्रों एवं हरित पट्टियों का भूदृश्यांकन
19. जैव–वैविध्य पार्कों के लिए चिन्हित नए क्षेत्र एवं स्थल
20. तुगलकाबाद में हरित क्षेत्रों का भूदृश्यांकन
21. जसोला, पॉकेट 10बी में हरित क्षेत्र की भूदृश्यांकन योजना

9.3.5 शुरू की गई अन्य गतिविधियाँ

दि.वि.प्रा. भूदृश्यांकन इकाई से प्राप्त इनपुट के आधार पर दिल्ली बायोडायवरसिटी फाउंडेशन पर एक त्रैमासिक समाचार पत्रक (न्यूजलैटर) प्रकाशित करता है। इसके संपादकीय समूह में निदेशक (भूदृश्यांकन) भी हैं।

निदेशक (भूदृश्यांकन) बायोडायवरसिटी फाउंडेशन के सदस्य सचिव एवं जैववैविध्य कार्यकारी समिति के सदस्य, राष्ट्रमंडल खेल गांव समिति के सदस्य, दि.वि.प्रा. की केलेंडर समिति के सदस्य, फिल्म डाटा लाइन, दिल्ली के प्रसारण सदस्य एवं पार्क अंगीकरण योजना के भी सदस्य हैं।

विविध परियोजनाओं जैसेः बायोडायवरसिटी फाउंडेशन एवं ओजोन ग्रीन क्षेत्रों के लिए पावर पॉइंट पर प्रस्तुतिकरण तैयार की गई थी।

उपनिदेशक I एवं II राष्ट्रमंडल खेल गांव एवं स्थानों के लिए कोर समूह के सदस्य होने के साथ–साथ शहरी गांवों के नियोजन, पार्क अंगीकरण योजना में भी सहयोगी हैं।

माननीय उपराज्यपाल दिल्ली की अध्यक्षता में यमुना विकास पर माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के लिए निदेशक (भूदृश्यांकन) एवं उपनिदेशक–II (भूदृश्यांकन) भी तकनीकी सलाहकार समूह की बैठकों में भाग ले रहे हैं।

11. आवास

10.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आवास संबंधी कार्यकलापों का शुभारंभ सन् 1967–68 में किया और समय–समय पर फ्लैटों की विभिन्न श्रेणियों के लिए योजनाओं (स्कीमों) की घोषणा की। पहली पंजीकरण योजना सन् 1969 में शुरू की गई थी। उसके बाद आज तक 42 और योजनाएं शुरू की गई। अभी तक शुरू की गई 43 योजनाओं में से केवल 2 योजनाएं अभी तक चल रही हैं। दि.वि.प्रा. ने 31.03.2010 तक विभिन्न योजनाओं के 3,76,494 फ्लैटों का आवंटन किया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

योजना का नाम	किए गए आवंटन
सामान्य आवास योजना	65,590
न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना-1979	1,69,432
स्व वित्त योजना/विजय वीर आवास योजना	53,938
अम्बेडकर आवास योजना-1989	17,918
विस्तारणीय आवास योजना 1995-96/एन.एच.एस/श्रमिक आवास योजना आदि	22,352
जनता आवास पंजीकरण योजना-1996/पंजाब एवं कश्मीर प्रवासी/मोतिया खान	21,632
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी/जम्मू एण्ड कश्मीर प्रवासी (आर.पी.एस)	1,015
विविध	440
उच्च आय वर्ग (एच.आई.जी)	3,337
सरकारी संगठन	4,670
जसोला जनता टेनामेंट्स-2003	2,252
टी.बी.आर.एच.एस. (एम.आई.जी.) 2004	2,356
त्यौहार आवास योजना-2004 (एचआईजी-1287 + एमआईजी-862 + ईएचएस-357)	2,506
न्यू आवास योजना 2006 (एचआईजी--1504 + एमआईजी 2018 + ईएचएस 296)	3,818
डीडीए आवास योजना-2008	5,238
कुल	**3,76,494**

10.2 आवासीय योजनाओं की नवीनतम स्थिति इस प्रकार हैं :–

10.2.1 न्यू पैटर्न पंजीकरण योजना–1979

म. आ. व. नि. आ. व और जनता श्रेणी के फ्लैटों के आवंटन हेतु वर्ष 1979 में एन.पी.आर.एस. 1979 योजना आरम्भ की गई थी। यह योजना अखिल भारतीय स्तर की थी। इस योजना के अन्तर्गत आवंटित किए गए फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है:–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	47,521	46,319	शून्य
नि.आ.व	67,502	68,825	शून्य
जनता	56,249	54,288	शून्य
कुल	**1,71,272**	**1,69,432**	**शून्य**

*पंजीकरण एवं आवंटन/ बैक लॉग में अंतर रद्दकरण/फ्लैट वापस करने या दूसरी योजनाओं में परिवर्तन कराने के कारण है।

10.2.2 अम्बेडकर आवास योजना–1989

यह योजना एन.पी.आर.एस.–79 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पंजीकृत व्यक्तियों की 25 प्रतिशत की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत म.आ.व, नि.आ.व. एवं जनता फ्लैटों के आवंटन हेतु 20,000 व्यक्ति पंजीकृत किए गए थे। आवंटन का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या	आवंटित फ्लैटों की संख्या	बकाया संख्या
म.आ.व.	7,000	5,902	शून्य
नि.आ.व	10,000	9,028	शून्य
जनता	3,000	2,988	शून्य
कुल	**20,000**	**17,918**	**शून्य**

इस योजना में निम्नलिखित आरक्षण किए गए :–

1. 1% शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए।
2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए।
3. 1% युद्ध में शहीद हुए वीरों की विधवाओं के लिए।

10.2.3 जनता आवास पंजीकरण योजना–1996

यह योजना सन् 1996 में समाज के कमजोर वर्गों के 20,000 व्यक्तियों को चरणबद्ध रूप से जनता फ्लैटों के आवंटन हेतु पंजीकृत करने के लिए आरम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित आरक्षण किए गए :–

1. 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए
2. 1% भूतपूर्व सैनिकों के लिए
3. 1% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए
4. 1% युद्ध में शहीद हुए वीरों की विधवाओं के लिए
5. 2% युद्ध में शहीद हुए वीरों की बच्चों वाली विधवाओं के लिए

आवंटन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

पंजीकृत व्यक्ति	किए गए आवंटन	बकाया संख्या
20,000	19,037	शून्य

10.2.4 विजय वीर आवास योजना–1999

विजय वीर आवास योजना वर्ष 1999 में आरम्भ की गई थी और यह योजना शुरू में "आपरेशन विजय" में शहीद हुए अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो गए सैनिकों के लिए 10.09.1999 से 30.06.2000 तक खोली गई थी तथापि यह योजना सितंबर 2003 तक बढ़ा दी गई थी और यह "मई 1999 के बाद ऑपरेशन" में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/ निकट संबंधियों/ आश्रितों के लिए अथवा ऑपरेशन में स्थायी रूप से विकलांग हो गए सैनिकों के लिए बढ़ा दी गई थी।

इस योजना के अंतर्गत 414 फ्लैटों का निर्माण किया गया था जिनमें से 312 फ्लैट दो शयन कक्ष वाले (टाइप–ए) और 102 फ्लैट तीन शयन कक्ष वाले (टाइप–बी) थे। 431 आवेदकों ने आवेदन पत्र भेजें। 431 आवेदकों में से 17 आवेदकों ने अपने आवेदन–पत्र वापिस ले लिए। शेष 414 में से 308 को टाइप ए (2 शयन कक्ष वाले फ्लैट) और 102 को टाइप बी (3 शयन कक्ष वाले फ्लैट) आवंटित किए गये थे। 4 ने अभी तक वांछित 90% राशि जमा नहीं की, अतः उन्हें फ्लैट आवंटित नहीं किए गए।

10.2.5 पंजाब के प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

पंजाब के 3661 प्रवासी, जो निम्नलिखित कैम्पों में ठहरे हुए थे, के पुनर्वास हेतु आवास स्कीम दिनांक 8 मार्च 2000 को आरम्भ की गई थी।

क्रम सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की संख्या	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	पीरागढ़ी कैम्प	2560	दि.वि.प्रा.
2.	मंगोलपुरी कैम्प	226	डी.एस.आई.डी.सी.
3.	गोविन्दपुरी कैम्प	347	डी.एस.आई.डी.सी.
4.	जहांगीरपुरी कैम्प	385*	दि.वि.प्रा.
5.	ज्वालापुरी कैम्प	42	स्लम एवं जे.जे.
6.	पालिका होस्टल कैम्प	36	एन.डी.एम.सी.
7.	यूथ होस्टल, मोरी गेट	65	दिल्ली प्रशासन
	कुल	3661	

*इन प्रवासियों के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा फ्लैट आवंटित नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग ने उन्हें वही फ्लैट आवंटित करने का निर्णय लिया है जिसमें वे रह रहे थे।

आवंटन के बारे में दिनांक 31.03.2010 तक नवीनतम स्थिति इस प्रकार है :

कुल प्रवासी	3661
घटाएं (जहांगीरपुरी में रहने वाले प्रवासी)	385
	3276
आवंटन हेतु आवेदन किया	3653
आवंटित किए गए फ्लैट	3335
समिति की सिफारिश पर आवंटन रद्द कर दिया गया	325
रद्दकरण के बाद कुल आवंटन	3010
पीरागढ़ी और ज्वालापुरी में आवंटन हेतु नए आवेदकों द्वारा आवेदन प्रक्रियाधीन (लगभग)	205
गोविन्दपुरी	23
कुल	228
कुल निवल आवंटन	**3238**

दोहरे/तिहरे आवंटन और पीरागढ़ी कैम्प के पंजाब प्रवासियों को किए गए 291 आवंटन मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशों के आधार पर 325 आवंटन रद्द किए गए तथा रोके गए कब्जा–पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाएगी।

मोतिया खान में बहुमंजिले आवास

दिनांक 31.03.2010 तक 3335 में से लगभग 3205 कब्जा–पत्र जारी कर दिए गए हैं। (फ्लैट नरेला, द्वारका, रोहिणी और बिन्दापुर में आवंटित किए गए हैं।)

10.2.6 कश्मीरी प्रवासियों के पुनर्वास हेतु आवास योजना

कुल 14 शरणार्थी कैम्प हैं जिनमें इस समय 237 कश्मीरी प्रवासी ठहरे हुए हैं/थे। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रम सं.	कैम्प स्थल	परिवारों की सं.	कैम्प स्थल स्वामी एजेंसी
1.	हौजरानी	16	दि.न.नि.
2.	बापू धाम	24	एन.डी.एम.सी.
3.	न्यू मोती नगर	23	दि.न.नि.
4.	पालिका धाम	13	एन.डी.एम.सी.
5.	बलजीत नगर	49	स्लम एवं जे.जे.
6.	मंगोलपुरी–डी ब्लॉक	34	स्लम एवं जे.जे.
7.	मंगोलपुरी–एन ब्लॉक	16	दि.न.नि.
8.	सुल्तानपुरी पी–2	09	स्लम एवं जे.जे.
9.	बेगमपुर	06	दि.न.नि.
10.	साउथ एक्स. पार्ट–2	05	दि.न.नि.
11.	कृष्णा पार्क	10	दि.न.नि.
12.	कैलाश कॉलोनी	02	दि.न.नि.
13.	अली गंज	12	दि.न.नि.
14.	नन्द नगरी	18	स्लम एवं जे.जे.
	कुल प्रवासी	237	
	आवंटन के लिए आवेदन किया	236	
	आवंटन किया गया।	236	

फ्लैट द्वारका और रोहिणी में दिए गए।

10.2.7 सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना।

दिनांक 02.07.2001 को सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास योजना आरंभ की गई थी। कुल प्राप्त आवेदन पत्र तथा आवंटन का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	श्रेणी	प्राप्त हुए आवेदन पत्र	आवंटन किया गया
1.	म.आ.व.	1,464	410
2.	नि.आ.व.	550	546
3.	जनता	60	59
	कुल	2,074	1,015

टिप्पणी : असफल पंजीकृत व्यक्तियों को जमा राशि लौटा दी गई है, इसलिए कोई बैकलॉग नहीं है।

10.2.8 मोतिया खान झुग्गी समूह के पुनर्वास हेतु आवास योजना

दि.वि.प्रा. ने अपने संकल्प सं. 88/2002 दिनांक 26.12.2000 द्वारा मोतिया खान के पात्र झुग्गीवासियों के लिए रोहिणी के सैक्टर–4 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक कमरे के मकानों का आवंटन करने हेतु योजना का अनुमोदन किया। नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मोतिया खान में 2,068 आबादकार थे। दिनांक 26.09.2001 से योजना आरंभ हुई थी और 30.06.2002 तक निरंतर बनी रही। 1,288 पात्र आबादकार परिवारों को रोहिणी में मकान दिए गए हैं। अब योजना बंद हो चुकी है।

10.2.9 उच्च आय वर्ग आवासीय योजना द्वारका 2003

416 पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई है।

10.2.10 जसोला जनता आवास योजना–2003

2215 पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

10.2.11 नरेला आवासीय योजना 2004 (30 प्रतिशत की छूट पर)

योजना दिनांक 15.04.2004 तक खुली थी, जिसमें 2,124 फ्लैटों का आवंटन हुआ और फिर योजना बंद कर दी गई।

10.2.12 दो शयन कक्ष की आवासीय योजना–2004

योजना 07.06.2004 से 07.07.2004 तक आरंभ रही। इसमें लगभग 90,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 12.08.2004 को ड्रा हुआ। इस योजना के अंतर्गत 2356 फ्लैटों का आवंटन हुआ और योजना बंद कर दी गई।

10.2.13 त्यौहार आवास योजना–2004

यह योजना 2,500 बने हुए तैयार फ्लैटों के लिए 20.10.2004 से 24.11.2004 तक खुली रही। दिनांक 28.01.2005 को आयोजित ड्रॉ में फ्लैट (उ.आ. वर्ग–1287+म.आ.वर्ग–862+वि.आ.यो.–357) आवंटित किए गए। अब यह योजना बंद कर दी गई है।

10.2.14 दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2006

यह योजना ड्रॉ के माध्यम से लगभग 3500 उ.आ. वर्ग/म.आ. वर्ग/वि.आ.यो. के फ्लैटों के आवंटन हेतु दिनांक 22.08.2006 से 12.10.2006 तक शुरू की गई थी। लगभग 2.00 लाख आवेदन–पत्र प्राप्त हुए और दिनांक 03.01.2007 के ड्रा में 3818 आवंटन हुए थे। अब यह योजना बंद है।

10.2.15 दि.वि.प्रा. आवास योजना 2008

इस योजना का आरंभ 6 अगस्त 2008 से 16 सितम्बर 2008 तक लगभग 5000, 1 शयन कक्ष वाले फ्लैट, 2 शयन कक्ष वाले फ्लैट और 3 शयन कक्ष वाले फ्लैट का ड्रॉ द्वारा आवंटन किया गया था। लगभग 5.66 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। विभिन्न श्रेणियों के 5238 फ्लैटों का आवंटन किया गया।

10.3 फ्लैट का परिवर्तन

31.03.2010 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	31.03.2010 तक निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या	समाप्त स्मरण–पत्र भेजन के बावजूद भी बकाया राशि और अपेक्षित दस्तावेज जमा न करवाने के कारण समाप्त कर दी गई।	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
76926	75512	1180	234

10.4 आवास लेखा

10.4.1 आवास लेखा विभाग मुख्यतः फ्लैटों के आवंटन से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यकलापों से जुड़ा हुआ है :–

भीकाजी कामा प्लेस का एक दृश्य

1. वित्तीय सहमति के लिए बी.जी.डी.ए. के आरंभिक अनुमान की जांच
2. लागत निर्धारण मामलों पर कार्यवाही और निपटान
3. फ्लैटों से संबंधित लेखा प्रप्तियां और वापिसी/भुगतान तथा उनकी वसूली के खातों का रख रखाव
4. निर्मित दुकानों के संबंध में खातों का रख–रखाव

10.4.2 वर्ष के दौरान मुख्य कार्यकलाप

(क) आरंभिक अनुमानों की जांच

(i) फ्लैटों के निर्माण वाली 12 आवासीय योजनाओं हेतु 335.92 करोड़ रुपये की लागत राशि के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई

(ii) समाज सदन और सार्वजनिक शौचालयों सहित सुविधा बाजार और स्थानीय बाजार की 13 योजनाओं के अंतर्गत दुकानों/कियोस्क के निर्माण के लिए 13.19 करोड़ रुपये की लागत राशि के आरंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति प्रदान की गई।

(ख) लागत निर्धारण

(i) 872 निजी फ्लैटों की लागत सहित 47 बल्क मूल्य–निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया।

(ii) दि.वि.प्रा. आवास योजना 2008 की 5,223 फ्लैटों की कीमत इनके निपटान के बाद पुनः निर्धारित की गई।

(iii) 162 दुकानों, 4 स्टालों, 85 प्लेटफार्मों और 13 कियोस्क की कीमत का भी निर्धारण किया गया।

(ग) कम्प्यूटरीकरण

निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए :

(i) फ्लैटों का लागत निर्धारण

(ii) सामान्य आवास शाखा का कम्प्यूटरीकरण

(iii) वेतन बिल लेखा

(iv) आवास प्राप्तियों का ऑन–लाइन सत्यापन।

(घ) अन्य उपलब्धियाँ

विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत फ्लैटों की लागत निकालने के लिए ली जाने वाली कुर्सी क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष कार्यसूची मद (एजेण्डा) रखी गई। इसकी प्रभावी तिथियाँ प्रत्येक वर्ष की 1 अक्तूबर और 01 अप्रैल हैं।

(i) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवास लेखा विंग को वर्ष के दौरान 193 मामले प्राप्त हुए और जनता को उपयुक्त उत्तर देकर सभी मामलों को निपटाया गया।

(ii) कब्जा–पत्र जारी करने के लिए प्रबन्ध शाखा को 1392 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए।

(iii) लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तन के 7535 मामलों में निर्णय लिया गया।

(iv) ऐसे 113 पंजीकृत व्यक्तियों के मामले जिनकी आवंटन में रुचि नहीं थी, को धनराशि लौटा दी गई।

शालीमार बाग में हरियाली का दृश्य

10.4.3 वर्ष 2009–10 के दौरान वित्त आवास की विशेष उपलब्धियां :

मामलों के तेजी/विवेकपूर्ण निपटान के लिए विभाग द्वारा की जाने वाली जनसेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विशेष प्रयास/ कदम उठाए गए।

(क) कार्यकलापों में सामान्य सुधार

(i) एकीकृत प्रबन्ध प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एस.आर.एस. दस्तावेजों को अंतिम रूप देना।

(ii) लंबित मामलों की दैनिक/साप्ताहिक निगरानी प्रणाली।

(iii) कम्प्यूटर की आधारभूत जानकारी के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आटोमेशन तथा प्रशिक्षण।

(iv) वर्ष के दौरान नियुक्त सभी अधिकारियों को आवास पर प्रशिक्षण।

(ख) आवासीय लेखा लागत निर्धारण

(i) विभिन्न नीतियों जैसे गलत पता, पता बदलवाने, वरीयता का पता लगाने, मृत्यु पॉलिसी, आवास साकार योजना आदि के अन्तर्गत विशिष्ट लागत निर्धारण के लिए सहज कार्यप्रणाली और मामलों के निपटान हेतु मानक फार्म लागू किए गए।

(ii) सुविधा बाजार और स्थानीय बाजार में दुकानों के लिए आरक्षण मूल्य निर्धारित करने के लिए लागत निर्धारण प्रणाली का सरलीकरण।

(ग) चूककर्ताओं से वसूली

(i) रद्दकरण के लिए प्रबन्ध शाखा को 39 मामले प्रस्तुत किए गए।

(ii) ई.एम. आई जमा न करवाने वाले चूककर्ता आबंटितियों को वर्ष के दौरान 21,025 चूककर्ता नोटिस जारी किए गए।

(घ) स्व वित्त योजना शाखा

(i) रेणु बाली और अन्य बनाम दि.वि.प्रा. जैसे मुख्य मामले और अन्य न्यायालय मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के कारण लागत और वापसी की राशि पुनः निकालना।

लोक नायक पुरम में निम्न आय वर्ग के फ्लैट

यमुना जैव–वैविध्य पार्क के दलदली क्षेत्र में जलमोर

(ङ) आवासीय रोकड़ शाखा

(i) नए बैंकों द्वारा विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्तियों की इलेक्ट्रॉनिक पोस्टिंग के लिए प्रयास किए गए।

(ii) धनराशि वापिस करने, चैक जारी करने तथा मासिक लेखा संकलित करने के कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई।

(च) संस्थापना आवास

(i) सरल एवं तेज निपटान के लिए चिकित्सा दावा प्रारूपों का मानकीकरण।

(छ) सम्पदा अधिकारी (आवास)

(i) प्रस्तुत मामलों की रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग के लिए मानक प्रारूप लागू किए गए।

10.4.4 2009–10 के लिए लक्ष्य/ प्रारंभ किए गए नये कार्य

(क) उत्तर देने में सुधार

1. समेकित प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन
2. विभिन्न स्तरों पर मामलों को निपटाने हेतु विभाग की गतिविधियों के निर्धारण के लिए मानक समय का निर्धारण।
3. आर.टी.आई. मामलों का ऑनलाइन निपटान
4. आवास, वित्त शाखा के अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों को और बढ़ाना।

(ख) जन अंतर पृष्ठ (पब्लिक इन्टरफेस) में सुधार

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र ऑनलाइन अथवा बैंक द्वारा जारी किया जाना।

(ग) बकाया की वसूली

1. बाह्य एजेंसियों (वित्तीय सलाहकारों अथवा बैंकों) की मदद से ऋण अदाकर्ताओं के खातों का समाधान।
2. पिछले शेष बकायों की वसूली के लिए फ्लैटों को रद्द करके बकाया वसूल करने का विशेष अभियान।

(घ) बैंकों द्वारा आउट सोर्सिंग

1. बैंकों द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटितियों के खातों का रख–रखाव।

12. भूमि प्रबन्ध एवं भूमि निपटान विभाग

11.1 भूमि प्रबंध विभाग

11.1.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों के बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–I की देखभाल करने और सन 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई नजूल–II की भूमि का प्रबंध एवं देख–रेख भी करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है जो तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय से एक पैकेज डील के अंतर्गत ली गई थी। इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय की भी कुछ भूमि देखभाल एवं रख–रखाव के उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के पास है। इस भूमि का उपयोग एवं आवंटन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है।

11.1.2 भूमि प्रबंध विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:–

(i) भूमि अधिग्रहण।

(ii) भूमि प्रबंध।

(iii) उपयोग करने वाले विभाग द्वारा भूमि लिए जाने तक भूमि की सुरक्षा।

(iv) भूमि उपयोग करने वाले विभागों की सहायता करना।

(v) भूमि प्रबंध संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेंसियों के साथ समन्वय करना।

(vi) अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उनका निष्पादन करना।

(vii) विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही कराना।

(viii) मुख्य योजना प्रावधानों के अंतर्गत असंगत उपयोग के विरुद्ध कार्यवाही करना।

11.1.3 इसकी एक शाखा है, जो नजूल–I की उस भूमि, जो भूमि दि.वि.प्रा. के पास पूर्ववर्ती दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से आई है और नजूल–II की भूमि है जो दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण, विकास, और निपटान की नीति के अंतर्गत अधिग्रहीत की गई का कार्य करती है। एल.ए.सी. द्वारा दि.वि.प्रा. को 01.04.2009 से 31.03.2010 की अवधि के दौरान 73.23 एकड़ भूमि सौंपी गई थी।

11.1.4 भूमि प्रबंध विभाग का अति महत्वपूर्ण कार्य दि.वि.प्रा. की भूमि को अतिक्रमण से बचाना है। दि.वि.प्रा. ने भूमि की रक्षा के लिए क्षेत्रीय कार्य प्रणाली बनाई है। भूमि प्रबंध विभाग में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी–पूर्वी, दक्षिणी–पश्चिमी एवं रोहिणी, छह जोन हैं।

11.1.5 प्रत्येक जोन के प्रमुख उप निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी सहायता सचिवालय एवं फील्ड स्टाफ द्वारा की जाती है। दि.वि.प्रा. की भूमि की नियमित रूप से निगरानी एवं देखभाल सुरक्षा गार्डों द्वारा की जाती है, जिन्हें विशिष्ट गश्त क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। अतिक्रमण की प्रवृत्ति को रोकने के लिए निर्माण गिराने के अभियानों की योजना नियमित रूप से बनाई जाती है और पुलिस की सहायता से उन्हें पूरा किया जाता है।

11.1.6 01.04.2009 से 31.03.2010 तक दि.वि.प्रा. ने 278 निर्माण गिराए और 138.84 एकड़ भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई। इस प्रक्रिया में कच्चे, पक्के और आधे पक्के 3,432 ढाँचे हटाए गए। कभी–कभी निर्माण गिराने के अभियानों में मुकदमेबाजी और कानून एवं व्यस्तताओं के कार्यों में पुलिस उपलब्ध न होने के कारण अभियान पुनः तय करने पड़ते हैं। इस अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने अपने सतत् प्रयासों से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यायालय मामले भी जीते हैं।

11.1.7 क्षतिपूर्ति शाखा को दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियंत्रण एवं प्रबंध वाली सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने, उनके कारण हुई क्षतिपूर्ति का आकलन करने एवं वसूली करने का कार्य सौंपा गया है। दि.वि.प्रा. सरकारी भूमि पर बसे हुए अनधिकृत अधिभोगियों के विरुद्ध पी.पी. एक्ट के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही करता है। इस शाखा में दो संपदा अधिकारी है जिन्हें अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का आकलन करने और बेदखल करने का कार्य करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं।

वर्ष 2009–10 (01.01.2009 से 31.03.2010) में की गई कार्रवाई/उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :–

क्रम सं.	कार्य	2009–2010
1.	एल.ए.सी. द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपी गई भूमि	73.23 एकड़
2.	निर्माण गिराने हेतु निर्धारित कार्य–क्रम	414
3.	निर्माण गिराने हेतु चलाए गए कार्य–क्रम	278
4.	हटाए गए ढांचे	3432
5.	फिर से प्राप्त की गई भूमि	138.84 एकड़
6.	क्षतिपूर्ति की वसूली	रू. 58,52,998.00
7.	क्षतिपूर्ति के निर्णीत मामलों की संख्या	76
8.	बेदखली के निर्णीत मामले	13

11.2 भूमि निपटान विभाग

11.2.1 सांस्थानिक शाखा

• पट्टा विलेखों का निष्पादन	26
• समय बढ़ाने की अनुमति	41
• निर्माण हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र	88
• दी गई बंधक अनुमति	35
• जारी किए गए कब्जा पत्र	32
• जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	110
• अति विशिष्ट व्यक्ति / उपराज्यपाल संदर्भ	127
• निपटाए गए मामले	112

11.2.2 सहकारी समिति कक्ष

• परिवर्तन को अंतिम रूप दिया गया	613
• उप पट्टा विलेख	4
• नामांतरण	114
• बंधक	2
• उप पट्टा विलेख रद्दकरण एवं अव निर्धारण	शून्य
• बहाली	शून्य

11.2.3 समूह आवास शाखा

• परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्त किए गए	3357
• हस्तांतरण विलेख जारी किए	3158
• हस्तांतरण विलेख का निष्पादन	2994
• नामांतरण / हस्तांतरण की अनुमति दी गई	0138
• आर.टी.आई. के संदर्भों का उत्तर दिया गया	0480

11.2.4 भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)

• जारी किए गए कब्जा पत्र (मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, जनता)	338
• कारण बताओ नोटिस	16
• निरस्तीकरण पत्र	2
• नामांतरण पत्र	42
• पते में परिवर्तन	309
• जारी किये गये आर.टी.आई	272
• कमी पाये गए पत्र	1584
• नीलामी के लिए आवासीय शाखा को सौंपे गए प्लॉट	शून्य
• नीलाम किए गए प्लॉट	शून्य
• प्राप्त की गई राशि	शून्य

11.2.5 पट्टा प्रशासंन शाखा (रोहिणी)

• पट्टा विलेख जारी किये गए	634
• निष्पादित पट्टा विलेख	781
• जारी किए गए हस्तांतरण विलेख / निपटाए गए आवेदन पत्र।	2294
• निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेख	2305
• प्रदान की गई बंधक अनुमति	6
• नामांतरण की अनुमति दी गई	66
• समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी गई	1031
• संघटन शुल्क एवं भू– भाटक से प्राप्त राशि	256.80 लाख रु.
• आर.टी.आई के अंतर्गत जवाब दिए गए मामले	193
• पट्टा शर्तें तोड़ने पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	21
• भवन विभाग, दिल्ली नगर निगम / दि.वि.प्रा. को अंतरण की सूचना	341
• प्राप्त किये गए अंतरण आवेदन–पत्र	2384
• पहले से लम्बित आवेदनों के साथ–2 निपटाए गए अंतरण आवेदन–पत्र	2294

11.2.6 पुरानी योजना शाखा

• प्राशुल्क की राशि	2,93,83,300 रु.
• अंतरण मामले जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	204
• उप पट्टा विलेख	–
• नामांतरण / हस्तांतरण	14
• समयावधि को बढ़ाना	11
• बंधक अनुमति	शून्य
• कारण बताओ नोटिस	शून्य
• उपपट्टा विलेख के निर्धारण का निरस्तीकरण	शून्य
• पट्टा विलेखों का बहालीकरण	शून्य

शालीमार बाग में मध्यम आय वर्ग के आवास

11.2.7 भूमि विक्रय शाखा (आवासीय)

• प्लॉटों का आवंटन	
(क) नीलामी द्वारा	शून्य
(ख) आवंटन द्वारा	465
• प्राशुल्क के रूप में प्राप्त राशि	185.86 लाख रु.
• संघटन शुल्क के रूप में प्राप्त राशि	223.98 लाख रु.
• निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेख	842
• जारी किए गए कब्जा पत्र	160
• जारी किए गए नामांतरण पत्र	159
• पट्टा विलेख का निष्पादन	98
• समयावधि को बढ़ाना	201
• बंधक अनुमति	05
• कारण बताओ नोटिस	शून्य
• निरस्तीकरण	शून्य
• बहालीकरण	शून्य

11.2.8 व्यावसायिक भूमि शाखा

वर्ष 2009–10 (31 मार्च 2010 तक) में व्यावसायिक भूमि शाखा द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :–

उपलब्धियाँ	टिप्पणी
• जारी किए गए पट्टा विलेख	48
• निष्पादित पट्टा विलेख	233
• जारी किए गए हस्तांतरण विलेख / निपटाए गए आवेदन पत्र	138
• निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेख	138
• प्रदान की गई बंधक अनुमति	13
• नामांतरण की अनुमति दी गई	24
• समयावधि बढ़ाने की अनुमति दी गई	76
• सूचना अधिकार के अंतर्गत जवाब दिए गए मामले	462
• पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (एससीएन)	25
• भवन विभाग / दिल्ली नगर निगम / दि.वि.प्रा. को अंतरण की सूचना	शून्य
• प्राप्त किए गए अंतरण आवेदन पत्र	125
• पहले से लम्बित आवेदनों के साथ–साथ निपटाए गए अंतरण आवेदन–पत्र	138

11.2.9 व्यावसायिक सम्पदा शाखा

• निविदा द्वारा निपटाई गई इकाइयों की कुल संख्या	54
• बोली की कुल राशि और वसूली गई ई.एम.डी.	10,92,43,213/- रु. (बोली) 2,99,78,212/- रु. (ई.एम.डी.)
• जारी किए गए हस्तांतरण विलेख	307
• निष्पादित किए गए हस्तांतरण विलेख	404
• अनुमति प्राप्त नामांतरण / हस्तांतरण	45
• सूचना अधिकार के अंतर्गत जवाब दिए गए मामले	551
• जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	57
• प्राप्त किए गए अंतरण आवेदन–पत्र	325
• पहले से लम्बित आवेदनों के साथ–साथ निपटाए गए अंतरण आवेदन–पत्र	330

जिला केन्द्र, साकेत में व्यावसायिक विकास

11.2.10 भूमि विक्रय शाखा (औद्योगिक)

• संघटन शुल्क, यू.ई.आई और भू–भाटक के रूप में प्राप्त की गई राशि	29,36,72,171/- रु.
• अंतरण मामले जिन्हें अंतिम रूप दिया गया	385
• नामांतरण / हस्तांतरण के निर्णित मामलों की संख्या	59
• समयावधि बढ़ाने के लिए अनुमत मामलों की संख्या	17
• प्रदान की गई बंधक अनुमति	11
• जारी किए गए कारण बताओ नोटिस	9
• निरस्त किए गए पट्टा विलेखों की संख्या	शून्य
• बहाल किए गए पट्टा विलेखों की संख्या	शून्य

13. खेलकूद गतिविधियां

12.1 परिचय :

दिल्ली में एशियाड–1982 के सफलतापूर्वक पूरा होने से दिल्ली वासियों में खेल के प्रति जागरूकता फैली है। शहर में आम आदमी के लिए खेल सुविधाएं बहुत कम थी। कुछ स्टेडियम जो एशियन खेलों की मेजबानी के लिए बनाए गए थे, प्रायः विशिष्ट खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए जाते थे। कुछ प्राइवेट क्लब जो पहले अवस्थित थे, बहुत महंगे थे और खेल की अपेक्षा सामाजिक कार्य के लिए ज्यादा प्रयोग किए जाते थे। दिल्ली मुख्य योजना–2001 में समाज के सभी वर्गों के सभी आयु–वर्गों के लिए सुलभ एवं वहन करने योग्य खेल सुविधाओं के विकास पर जोर दिया गया। इस प्रकार पूरे शहर में खेल परिसरों के निर्माण की अवधारणा का उद्देश्य सभी लोगों तक खेल सुविधाओं को पहुंचाना था।

पहले खेल परिसर का उद्घाटन मार्च 1989 में सीरी फोर्ट में किया गया और इसके बाद पूरी दिल्ली में कई खेल परिसरों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. खेल शाखा ने, दिल्ली की विभिन्न जोनों के चुनिन्दा हरित क्षेत्रों में कई मल्टीजिमों का विकास करने और उन्हें चलाने का कार्य स्वयं अपने हाथ में लिया। इसके तुरन्त बाद पब्लिक गोल्फ कोर्सों के विकास का कार्य भी किया गया।

खेल परिसर मुख्यतः सदस्यता आधारित होते हैं परन्तु साधारण राशि का भुगतान करके कोई भी व्यक्ति इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। खेल परिसरों में लगभग 20 खेल गतिविधियाँ जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्डस एवं स्नूकर, बास्केट बाल, वॉलीबाल, हॉकी, क्रिकेट, फुटबाल, जोगिंग ट्रैक, स्केटिंग, तैराकी, एरोबिक्स, जूडो/ ताइक्वांडो, योगा, जिमनाजियम आदि के अतिरिक्त प्रो–शॉप और स्नैक बार भी उपलब्ध हैं।

12.2 खेलकूद आधारिक संरचना

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित खेलकूद आधारिक संरचना जो खेल शाखा द्वारा चलाये जाते हैं और रखरखाव किया जाता है, निम्नलिखित हैं :–

खेल परिसर	– 13(दक्षिण में 4, उत्तर, पूर्व और पश्चिम प्रत्येक में तीन–तीन)।
लघु खेल परिसर	– 1 (मुनीरका)
तरण ताल	– 13
खेल परिसरों में फिटनेस केन्द्र	– 13 (जिसमें 1 महिला जिम शामिल है)
हरित क्षेत्रों में मल्टी जिम	– 26 (जिसमें 1 महिला जिम शामिल है)
गोल्फ कोर्स	– 2 (लाडो सराय और भलस्वा)
लघु गोल्फ कोर्स	– 1 (सीरी फोर्ट)
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	– 3 (सीरी फोर्ट, कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)

चिल्ला खेल परिसर, कांती नगर और प्रताप नगर में तीन तरण तालों को वर्ष 2010–11 के दौरान शुरू करने की योजना है। इसके अतिरिक्त नरेला और द्वारका में अतिरिक्त खेल परिसर और द्वारका सैक्टर–24 में एक गोल्फ कोर्स के विकास की योजना अग्रिम चरण में है।

12.3 सदस्यता की स्थिति/उपयोगिता

31 मार्च 2010 तक सभी खेल परिसरों/गोल्फ कोर्सों में विभिन्न श्रेणियों में सदस्य संख्या **54970** है। इनमें आकस्मिक सदस्य, मेहमान आदि शामिल नहीं हैं। वर्ष 2009–10 अर्थात 01 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक, **14492** सदस्यों की सदस्यता अनुमोदित की गई और **13851** सदस्यों की सदस्यता निरस्त की गई।

खेल सुविधाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का दैनिक औसत लगभग 14000 है। इसके अतिरिक्त स्कूलों/ महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि द्वारा प्रशिक्षण एवं खेलों के आयोजनों के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

द्वारका खेल परिसर

12.4 खेल गतिविधियाँ

टूर्नामेंट्स – खेल शाखा द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार राशि मुख्य टूर्नामेंटों का आयोजन किया गया।

प्रतिस्पर्धा	दिनांक	परिसर का नाम	स्तर	प्रतिभागी	टिप्पणी
8वां उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. कप फुटबाल टूर्नामेंट	06.10.09 से 15.10.09 तक	सीरी फोर्ट खेल परिसर	स्कूल (अंडर–17)	32 स्कूल	दिल्ली पब्लिक स्कूल 'ए' वसंत कुंज विजेता रहा और चिल्ला खेल परिसर 'ए' उपविजेता रहा
16 वाँ दि.वि.प्रा. ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट	01.12.09 से 06.12.09 तक	साकेत खेल परिसर स्क्वॉश कोर्ट	राष्ट्रीय	395 खिलाड़ी	स्क्वॉश फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्क्वॉश एसोसियशन के तत्वाधान में सीरी फोर्ट खेल परिसर द्वारा आयोजित किया गया
10 वाँ दि.वि.प्रा. वॉलीबाल टूर्नामेंट	17.11.09 से 20.11.09 तक	हरी नगर खेल परिसर	राज्य स्तर	13 टीमें	दिल्ली वॉलीबाल संघ के सहयोग से
7 वाँ दि.वि.प्रा. क्रिकेट टूर्नामेंट (दृष्टिहीनों के लिए) और 12 वाँ क्रिकेट टूर्नामेंट (बधिरों के लिए)	05.11.09 से 12.11.09 तक	रोहिणी खेल परिसर	राज्य/ क्लब	9+4=13 टीमें	–
8 वाँ इंटर काम्पलैक्स क्रिकेट कोचिंग अकादमी /स्कीम टूर्नामेंट	22.09.09 से 10.10.09	चिल्ला खेल परिसर	परिसर	12 खेल परिसरों से 13 टीमें	एम.डी.सी.एस.सी. टीम और एच.एन.एस.सी. टीमें क्रमशः विजेता और उपविजेता रहीं
पहला इंटर–स्कूल बास्केटबाल टूर्नामेंट	17.09.09 से 30.09.09	सभी खेल परिसर	स्कूल (अंडर–17)	248 स्कूल टीमें	पहली बार आयोजित
इंटर–स्कूल बास्केटबॉल चैम्पियनशिप	03.10.09 से 14.10.09 तक	वसंत कुंज खेल परिसर	स्कूल	46 स्कूल टीमें (17 वर्ष आयु वर्ग तक के लड़के और लड़कियाँ)	उपर्युक्त विजेता और उपविजेता चैम्पियनशिप के लिए वसंत कुंज खेल परिसर में खेले
दि.वि.प्रा. पुरुष एवं महिला ओपन टेनिस टूर्नामेंट (ए आई टी ए) रैंकिंग 2009–10	09.11.09 से 14.11.09 तक	साकेत खेल परिसर	राष्ट्रीय	233 खिलाड़ी	दिल्ली लॉन टेनिस संघ के तत्वाधान में आयोजित
संसद सदस्यों एवं मीडिया कर्मियों के बीच आमंत्रण मैच	19.12.09	सीरी फोर्ट खेल परिसर	क्लब	दो टीमें	मैच का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा हुआ और लोकसभा के माननीय सभापति द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए
पूर्वी दिल्ली अंतर विद्यालयी आमंत्रण स्क्वॉश टूर्नामेंट	15.01.10 से 16.01.10	चिल्ला खेल परिसर	स्कूल	50 खिलाड़ी	पूर्वी दिल्ली में स्क्वॉश को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित
अंतर विद्यालयी मार्शल आर्ट चैम्पियनशिप	24.01.10	मेजर ध्यानचंद खेल परिसर	स्कूल	200	–

प्रतिस्पर्धा	दिनांक	परिसर का नाम	स्तर	प्रतिभागी	टिप्पणी
उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. क्रिकेट कप फाइनल	27.02.10	सीरी फोर्ट खेल परिसर	क्लब	–	दि.वि.प्रा. के विभिन्न अनुभागों की टीमों के लिए आयोजित

12.4.1 खेलकूद महोत्सव

सभी खेल परिसरों में अक्तूबर – दिसम्बर 2009 के दौरान एक खेलकूद महोत्सव, जो सदस्यों के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम है, का आयोजन किया गया। कुछ खेल परिसरों में कुछ प्रतियोगिताएं जनवरी 2010 में भी करवाई गई। खेलकूद महोत्सव में सभी आयु वर्गों के लिए टूर्नामेंट में टेनिस, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स जैसे व्यक्तिगत खेल आयोजित किए जाते हैं। खेल महोत्सव के भाग के रूप में टीम स्पोर्ट्स में प्रत्येक परिसर द्वारा एक आमंत्रण टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया।

12.4.2 कोचिंग

सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, स्केटिंग, एरोबिक्स, ताइक्वांडो आदि के लिए नियमित कोचिंग का आयोजन किया गया। 120 से ज्यादा कोचिंग योजनाएं व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा चलाई जा रही हैं और लगभग 6000 प्रशिक्षणार्थी कक्षा में भाग लेते हैं। ये योजनाएं बहुत लोकप्रिय हैं। विभिन्न योजनाओं में समाज के कमजोर वर्ग के 200 से अधिक प्रतिभाशाली प्रशिक्षणार्थियों को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है।

दि.वि.प्रा. और प्रशिक्षकों के बीच प्रशिक्षण प्रभार की राजस्व हिस्सेदारी की प्रणाली बहुत सफल सिद्ध हुई है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी के समान है और सभी स्टेक होल्डर्स और प्रशिक्षणार्थियों के लिए लाभकारी है। दि.वि.प्रा. खेल परिसर बेहतरीन खेल संरचना, जिसमें खेल के मैदान/कोर्ट शामिल है, प्रदान करता है जबकि प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने और अभिप्रेरित करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षक की होती है।

12.4.3 ग्रीष्मकालीन कोचिंग

सभी खेल परिसरों के द्वारा स्कूलों/ महाविद्यालयों के ग्रीष्मावकाश के दौरान विशेष ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्प का आयोजन किया जाता है जिससे बहुत से लोग लाभान्वित होते हैं।

12.5 गोल्फ को प्रोत्साहन

- कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है जिसे बहुत लोकप्रियता प्राप्त हुई है एवं व्यस्त सीजन में लगभग 300 राउंड सप्ताह के अंत में खेले गए जो किसी गोल्फ कोर्स के लिए अपने आप में एक रिकार्ड है।

कुतुब गोल्फ कोर्स में चल रहे गोल्फ टूर्नामेंट का एक दृश्य

- भलस्वा के गोल्फ कोर्स में 9 होल के निर्माण से गोल्फ का खेल उत्तरी दिल्ली के वासियों के लिए सुलभ हो गया है। भलस्वा गोल्फ कोर्स के लिए सदस्यता दिनांक 8 अक्तूबर, 2009 से शुरू है। यद्यपि "भुगतान करो और खेलो" की सुविधा सभी के लिए खुली है क्योंकि यह एक सार्वजनिक गोल्फ कोर्स है।
- सीरी फोर्ट खेल परिसर में एक लघु गोल्फ कोर्स का उन्नयन किया गया है और यह काफी लोकप्रिय भी हुआ है।
- सीरी फोर्ट, कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स की ड्राइविंग रेंज नौसिखियों, शौकियों और पेशेवरों द्वारा अपने खेल को सुधारने के लिए प्रयोग की जाती हैं। खेल के स्तर में सुधार एवं उपयोग करने के तरीके में वृद्धि सुनिश्चित है।

12.5.1 गोल्फ कोचिंग

दि.वि.प्रा. कोचिंग कैम्प–2009 दिनांक 18 से 27 मई 2009 तक कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित किया गया। सभी आयु वर्गों के 120 से ज्यादा व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया।

12.5.2 गोल्फ टूर्नामेंट

- सीरी फोर्ट खेल परिसर के लघु गोल्फ कोर्स में दिनांक 16.05.09 को एक आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
- कुतुब गोल्फ कोर्स में दिनांक 12 से 16 मई 2009 तक पेशेवर गोल्फर्स के लिए एक पुरस्कार राशि वाली दि.वि.प्रा. ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप के साथ–साथ एक प्रो–एम टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।
- चार मुख्य गोल्फ टूर्नामेंट कुतुब गोल्फ कोर्स के तत्वाधान में आयोजित किए गए।
    - एडमिरल कप – 23.01.10
    - सी ए जी कप – 13.02.10
    - उप राज्यपाल कप – 20/21.02.10
- विभिन्न संगठनों ने अनेक गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किए। ऐसे दो टूर्नामेंट गोल्फिंग सीजन के दौरान हर महीने आयोजित किए जाते हैं।

12.6 खेल प्रोत्साहन परियोजना

एथलेटिक्स एवं फुटबाल को आरम्भिक स्तर पर प्रोत्साहन देने के लिए दि.वि.प्रा. ने क्रमशः 2001 एवं 2002 में दो खेल प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की थी। योजनाओं को दि.वि.प्रा. द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त है एवं ये प्रशिक्षित सलाहकारों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में चलाई जा रही हैं। श्री जी.एस. रंधावा. अर्जुन अवार्ड विजेता और पद्म श्री प्राप्त, एथलेटिक्स सलाहकार हैं एवं श्री मैलविन डी सुजा, पूर्व फीफा रैफरी, फुटबाल के सलाहकार हैं।

12.6.1 एथलेटिक्स प्रोत्साहन योजना

इस समय 14 से 20 वर्ष आयु वर्ग के 32 एथलेटिक्स अपने संबंधित क्षेत्र में कोचिंग ले रहे हैं। इन योजनाओं से प्रशिक्षणार्थियों ने विभिन्न राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कुल 119 पदक (55 स्वर्ण, 48 रज़त और 16 कांस्य पदक) जीते। सिंगापुर में दिनांक 29 जून से 4 जुलाई, 2009 तक आयोजित 'प्रथम यूथ एशियन गेम्स' में श्री अर्जुन कुमार ने डिस्कस थ्रो में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। दि.वि.प्रा. एथलेटिक्स प्रोत्साहन योजना टीम ने 3 से 5 फरवरी, 2010 तक केन्द्रीय सचिवालय मैदान में आयोजित 9 वें दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में "ओवरआल टीम चैम्पियनशिप" जीती।

12.6.2 फुटबाल प्रोत्साहन योजना (एफ पी एस)

- लड़कों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्यतः सीरी फोर्ट खेल परिसर (एस.एफ.एस.सी) और यमुना खेल परिसर (वाई.एस.सी.) में आयोजित किए जाते हैं। तथापि, यमुना खेल परिसर का विकास राष्ट्रमण्डल खेल–2010 के प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण स्थल के रूप में किए जाने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम यमुना खेल परिसर से चिल्ला खेल परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया है।
- दि.वि.प्रा. फुटबाल प्रोत्साहन योजना के दाखिले के लिए खुली चयन प्रतियोगिताएं (ट्रायल) सीरी फोर्ट खेल परिसर और चिल्ला खेल परिसर में क्रमशः 18 से 19 जुलाई, 2009 और 25 से 26 जुलाई, 2009 को आयोजित की गई। इस समय कुल 75 लड़के (सीरी फोर्ट खेल परिसर में 45 और चिल्ला खेल परिसर में 30 लड़के) प्रशिक्षण ले रहे हैं।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में एफ.एम. सौकर कप टूर्नामेंट के मैच का एक दृश्य

- योजना के अंतर्गत आने वाले लड़कों की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं :–
    - दो लड़के अंकित शर्मा और राघव खुराना गोवा में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के कोचिंग कैम्प में चुने गए और उन्होंने वहाँ प्रशिक्षण लिया।
    - योगेश कुमार ने 16 से 22 मई, 2009 तक तेहरान में 13 वर्ष से कम आयु वर्ग की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व किया।
    - माइकल चोंगतू और किसले सजवान एक गैर सरकारी संगठन द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की टीम के सदस्यों के रूप में चुने गए जिसने 25 जुलाई, 2009 से 5 अगस्त, 2009 तक इंग्लैंड में आर्सेनल टूर्नामेंट खेला। किसले टीम के कप्तान रहे।
    - विक्रम गिल अगस्त 2009 में मैनचेस्टर यूनाइटेड सोसर स्कूल, इंग्लैण्ड और बॉबी चाल्टन फुटबाल अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु चुने गए।
    - किसले सजवान 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की टीम में चुने गए जिन्होंने अगस्त, 2009 में श्रीलंका का दौरा किया। उन्होंने 2 अक्तूबर से 11 अक्तूबर 2007 तक आबू धाबी (संयुक्त अरब अमीरात) में 17 वर्ष से कम आयु वर्ग हेतु वर्ल्ड कप के लिए ए.एफ.सी. क्वालीफाइंग राउंड में भारत के लिए खेला।
    - दिसम्बर, 2009 के दौरान योजना के विभिन्न आयु वर्गों (अंडर–16/अंडर–17/अंडर–19) के 11

सीरी फोर्ट खेल परिसर में श्री महेश भूपति लॉन टेनिस की कोचिंग देते हुए

प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्रीय फुटबाल चैम्पियनशिप में दिल्ली राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व किया।

- 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के 5 प्रशिक्षणार्थियों और 16 वर्ष से कम आयु वर्ग तक के प्रशिक्षणार्थी, जयन्त लकशारा को ए आई एफ एफ के स्पोर्टस द्वारा गोवा में होने वाले भारतीय चयन कैम्प के लिए चुना गया।
- दो प्रशिक्षणार्थी रीतेश सिंह और विजय कुमार ने डी एस ए सीनियर लीग 2009 में योंगमेन सोसर क्लब का प्रतिनिधित्व किया और क्लब के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

12.7 खेल सूचना पत्र (न्यूजलैटर)

वर्ष 2009 के लिए चार तिमाही खेल सूचना पत्र (न्यूजलैटर) मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर 2009 को समाप्त तिमाहियों में प्रकाशित किए गए। तिमाही न्यूजलैटर का प्रकाशन नियमित है। खेल सूचना पत्र खेलों और खेल परिसरों/गोल्फ कोर्स की अन्य गतिविधियों के बारे में समाचार और सूचनाएं प्रकाशित करता है। यह समाचार पत्र विभिन्न विद्यालयों/ महाविद्यालयों और खेल फेडरेशन/ संघों को परिचालित किया जाता है ताकि उन्हें खेल शाखा की विभिन्न खेल गतिविधियों के बारे में अवगत कराया जा सके।

12.8 विकास कार्य

सभी परिसरों में सुविधाओं को ठीक ढंग से रखने के लिए हल्की मरम्मत का कार्य किया गया। इस अवधि के दौरान सभी खेल परिसरों में मुख्य उन्नयन कार्य भी कराया गया, जो निम्नलिखित हैं :–

- हरित क्षेत्रों में 14 मल्टीजिम का उन्नयन किया गया।
- द्वारका, वसन्त कुंज, सीरी फोर्ट, साकेत, यमुना, पूर्व दिल्ली खेल परिसर, जसोला और चिल्ला खेल परिसरों में फिटनेस केन्द्रों का नवीकरण किया गया और उन्हें सुसज्जित किया गया।
- सीरी फोर्ट, साकेत, जसोला, वसन्त कुंज, द्वारका, पश्चिम विहार, हरीनगर, पूर्व दिल्ली खेल परिसर, राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर और रोहिणी खेल परिसरों में बास्केट बॉल कोर्ट के लिए कृत्रिम फर्श (सिंथेटिक फ्लोरिंग) डाला गया।
- रोहिणी, राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, अशोक विहार, वसन्त कुंज, मुनीरका और साकेत खेल परिसरों में बाल क्रीड़ा क्षेत्र का निर्माण किया गया।
- रोहिणी खेल परिसर में एक नए योगा हॉल का विकास किया गया।

12.9 वित्त प्रबंध

दि.वि.प्रा. खेल परिसरों का डिजाइन इस प्रकार बनाया गया है कि वे दिन–प्रतिदिन के रखरखाव, स्टाफ के वेतन, संस्थापना की लागत जैसे सफाई कर्मचारी, सुरक्षा, उद्यान आदि के खर्च को परिसर स्वयं वहन कर सकें तथापि, वर्धमान निर्माण कार्यों पूंजीगत प्रकृति के कार्यों के उन्नयन सहित खेल परिसरों के विकास और अन्य खेल सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय, दिल्ली विकास प्राधिकरण के नजूल लेखा– I I खाते से पूरा किया जाता है। परिसरों द्वारा सदस्यता हेतु इकट्ठी की गई अप्रतिदेय एक कालिक प्रवेश शुल्क राशि दि.वि.प्रा. मेन को पूंजीगत व्यय के विरूद्ध जमा कराई जाती है।

लेखों का मासिक विवरण दि.वि.प्रा. मेन को भेजा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के सभी खेल परिसरों के वार्षिक खाते पूरे कर लिए गए हैं और मुख्य लेखाधिकारी को डी.डी.ए., मेन खाते में शामिल करने के लिए भेज दिए गए हैं। खेल परिसरों का बजट अगले वित्त वर्ष के डी.डी.ए. मेन बजट में शामिल कर लिया गया है। खेल शाखा के खातों की लेखा परीक्षा दि.वि.प्रा. के आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती हैं और बाहरी लेखा परीक्षा सी.ए.जी. (कैग) कार्यालय द्वारा की जाती है। सभी खेल परिसरों के खातों की लेखा परीक्षा हो चुकी है।

विकास सदन स्थित व्यायामशाला का एक दृश्य

सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं तथा नियमित आधार पर कम्प्यूटरीकृत बिल/सूचनाएं भेजी जाती हैं। चूक कर्ताओं के बैक लॉग का निपटान किया जा रहा है और ऐसे सदस्यों की सदस्यता नियमित आधार पर रद्द की जा रही है जिनके नाम लम्बे समय से चूककर्ताओं की सूची में विद्यमान हैं।

12.10 राष्ट्रमंडल खेल–2010 हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्थल

दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल–2010 में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसे अक्षरधाम मन्दिर के निकट राष्ट्रमण्डल खेल गाँव तैयार करने एवं निम्नलिखित प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण स्थलों का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है :–

12.10.1 प्रतियोगिता स्थल

सीरी फोर्ट खेल परिसर	– बैडमिंटन एवं स्क्वॉश
यमुना खेल परिसर	– टेबल टेनिस एवं तीरंदाजी (प्रारंभिक)

12.10.2 प्रशिक्षण स्थल

सीरी फोर्ट खेल परिसर	– तैराकी, बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वॉश
यमुना खेल परिसर	– तैराकी, टेबल टेनिस, रिद्मिक जिम्नास्टिक्स (महिला), लॉन बॉल और तीरंदाजी
साकेत खेल परिसर	– बैडमिंटन
खेल गांव	– एथलेटिक्स, तैराकी, फिटनेस सेंटर, कुश्ती और भारोत्तोलन

12.10.3 निष्कर्ष

दि.वि.प्रा. की खेलकूद शाखा ने अपने खेल परिसरों, मल्टीजिम, तरणतालों और गोल्फ कोर्सों के माध्यम से दिल्ली में खेलकूद एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं, जो खेलकूद के प्रति

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. और वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. उद्घाटन के पश्चात् विकास सदन के मनोरंजन केन्द्र में टेबल टैनिस खेलते हुए

दि.वि.प्रा. के दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक उजागर करते हैं। दिल्ली निवासी दि.वि.प्रा. द्वारा इसके खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में चलाई गई 'भुगतान करो और खेलो' की अवधारणा को अपनाकर अपनी पसंद के खेल ले सकते हैं।

दि.वि.प्रा. द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण योजनाओं ने विराट कोहली (क्रिकेट), यूकी भाम्बरी (टेनिस) जैसे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, जिन्होंने अपना शुरूआती प्रशिक्षण दि.वि.प्रा. खेल परिसरों से प्राप्त किया है।

दि.वि.प्रा. द्वारा चलाई गई ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण योजनाओं से बहुत से युवा लाभान्वित होते हैं जिनमें वे युवा शामिल हैं जिनके माता–पिता खेल परिसरों का सदस्यता शुल्क वहन नहीं कर सकते।

दि.वि.प्रा. की खेलकूद शाखा का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों, विद्यालयों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों और उन सभी मेधावी युवाओं जो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने कौशलों का विकास करना चाहते हैं, को छूट देकर खेलकूद को प्रोत्साहन देना है।

खेलकूद संरचना और सम्बद्ध परिवेश के उन्नयन को पर्याप्त प्राथमिकता दी गई है ताकि सदस्य आधुनिक सुविधाओं और प्रदूषण रहित वातावरण का प्रयोग कर सकें। आसानी से सदस्यता प्राप्त करने और ग्राहक संतुष्टि पर भी ध्यान दिया जाता है।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में "वी.सी. क्रिकेट कप टूर्नामेंट" के मैच का एक दृश्य

कुतुब गोल्फ कोर्स का एक दृश्य

14. उद्यान–राजधानी को हरा–भरा बनाना

13.1 कंकरीट जंगल में सदा हरा–भरा रहने वाला वन मिलना आश्चर्य की बात है। इसी सत्यता के कारण दि.वि.प्रा. को देश के श्रेष्ठ हरित क्षेत्रों के जाल की व्यवस्था करने के लिए अपने ऊपर गर्व है। इस बात का श्रेय नगर वनों के विकास, वन क्षेत्र, हरित पट्टियां, गोल्फ कोर्स, खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ पार्क, टॉट– लॉट्स के कारण है, जो आवासीय कालोनियों, व्यावसायिक औद्योगिक क्षेत्रों तथा विरासत स्मारकों के आसपास बने हुए हैं। वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूलों के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों आदि ने भाग लिया। लगभग 4.66 लाख पेड़ और झाड़ियाँ लगाई गई। 142.55 एकड़ भूमि का विकास नये लॉन के रूप में किया गया।

13.2 अपने प्रारंभिक काल से लगभग पाँच दशकों से अधिक समय में दि.वि.प्रा. दिल्ली निवासियों को सुखी एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हुए दिल्ली को पर्यावरण के अनुकूल बनाने में सफल रहा। दिल्ली का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	लक्ष्य				उपलब्धियाँ			
		पेड़		झाड़ियाँ		पेड़		झाड़ियाँ	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	निदेशक (उद्यान) उत्तरी	82,350	1,23,52,500	1,75,815	1,31,86,125	81,662	1,22,49,300	1,51,068	1,13,30,100
2.	निदेशक (उद्यान) दक्षिणी	1,03,061	1,54,59,150	1,27,645	95,73,375	1,03,511	1,55,26,650	1,29,488	97,11,600
	कुल	**1,85,411**	**2,78,11,650**	**3,03,460**	**2,27,59,500**	**1,85,173**	**2,77,75,950**	**2,80,556**	**2,10,41,700**

नए लॉन का विकास

क्र. सं.		लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	उद्यान उत्तरी	142.53 एकड़	2,13,79,500	87.80 एकड़	1,31,70,000
2.	उद्यान दक्षिणी	99.75 एकड़	1,49,62,500	54.75 एकड़	82,12,500
	कुल	**242.28 एकड़**	**3,63,42,000**	**142.55 एकड़**	**2,13,82,500**

बाल कार्नर/सेट

क्र. सं.		लक्ष्य		उपलब्धियाँ	
		वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
1.	उद्यान उत्तरी	7 सेट	70,000	5 सेट	50,000
2.	उद्यान दक्षिणी	13 सेट	1,30,000	4 सेट	40,000
	कुल	**20 सेट**	**2,00,000**	**9 सेट**	**90,000**

चित्रगुप्त पार्क का एक दृश्य

अरावली जैव–वैविध्य पार्क में हर्बल गार्डन

15. कोटि आश्वासन कक्ष

14.1 'ग्राहक ही सर्वोपरि हैं' को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. अपने ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए गुणवत्ता का प्रयोग मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न विभागों में ही नहीं किया जाता बल्कि निर्माण और विकास कार्यों में भी किया जाता है।

14.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य मात्र कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियंताओं द्वारा ही नियमित रूप से नहीं किया जाता बल्कि आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जांच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसे अब कोटि आश्वासन कक्ष कहा जाता है, के स्तर पर समय–समय पर निरीक्षणों का आयोजन करके भी जांच की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य ठेका शर्तों, विशिष्टियों, बी.आई.एस. कोड्स, नियमावली के प्रावधानों/अभियंता सदस्य एवं सी.डी.ओ. परिपत्रों और ड्राइंगों के अनुसार किया जा रहा है।

14.3 कोटि नियंत्रण कक्ष, जिसका वर्ष 1982 में थोड़े से कर्मचारियों के साथ गठन किया गया था जो अब 9 कनिष्ठ अभियंताओं, 10 सहायक अभियंताओं (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंताओं (6 सिविल और 1 विद्युत), एक सहायक निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता (कोटि–नियंत्रण) प्रमुख के साथ अपनी पूरी कर्मचारी संख्या सहित बढ़ गया है। कोटि आश्वासन में यह इकाई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है, जो सामग्री और कारीगरी की कोटि में ही उत्तम नहीं है बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्युमेंट्स, स्पैसिफिकेशन आदि की कोटि में भी उत्तम है, और जब कभी भी आवश्यकता होती है यथा स्थिति समय–समय पर दिशा–निर्देश और परिपत्र आदि जारी करती है। कुछ बड़ी परियोजनाओं/प्रतिष्ठित परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण का कार्य शुरू किया गया और सी.आर.आर.आई, आई. आई.टी. आदि अभिकरण भी परामर्शदाताओं के रूप में लिए गए हैं।

स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी में रात के समय फव्वारे का एक दृश्य

14.4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा फाउन्डेशन स्तर पर सुपर स्ट्रक्चर स्तर और अंतिम स्तर पर कम–से–कम तीन बार जांच होती है। कार्य पद्धति पहलू, सामग्री पहलू और कारीगरी के पहलू पर रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए पूरा ध्यान दिया जाता है जिसकी कोटि जांच परीक्षण के दौरान समुचित रूप से जांच की जाती है। नोट की गई कमी, यदि कोई हो तो उसे तुरंत उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई के लिए तुरंत अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियंता/ मुख्य अभियंता के ध्यान में लाया जाता है और टिप्पणियों के अनुपालन के लिए व्यापक निगरानी रखी जाती है।

14.5 अपनाई गई विशेष विनिर्दिष्टियों और प्रौद्योगिकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और वर्तमान आवश्यकताओं पर्यावरणीय परामर्श को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है। नई निर्माण सामग्री का उपयोग, नई तकनीकों, आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने के लिए बढ़ावा दिया गया है। कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना समय और मूल्य पर नियंत्रण किया जाता है। कार्यात्मक आवश्यकताओं, सौंदर्य और भवन की संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से मॉनीटरिंग की जाती है।

14.6 "आकाश की ऊंचाईयों को छूना" – इस तथ्य को मस्तिष्क में रखते हुए दि.वि.प्रा. लगातार सेवाओं/कार्य की गुणवत्ता में सुधार को बढ़ा रहा है। प्रत्येक जोन में जोनल स्तर की परस्पर क्रियात्मक कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें सभी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया और सतत् गुणवत्ता सुधार हेतु कनिष्ठ अभियंताओं से लेकर अधीक्षण अभियंताओं ने अमूल्य सुझाव दिए। सी.पी.डब्ल्यू.डी./सी.आर.आर.आई./एन.सी.सीबी.एम./एन.पी.सी. आदि विभागों द्वारा दक्षता उन्नयन हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टॉफ को भेजा गया।

14.7 लंबे अरसे के कोटि नियंत्रण पैरा और मामलों को निपटाने के लिए भी बल डाला गया है, जिसके लिए विभिन्न कार्यालयों, ए.टी.आर. में पड़े लम्बित मामलों के लिए कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम से संबंधित अधिशासी अभियंताओं/ अधीक्षण अभियंताओं/ मुख्य अभियंताओं ने एक अभियान चलाया था और अंतिम कार्रवाई तक पहुंचने हेतु या तो मामले को बंद कर

दिया गया या दोषी कर्मचारियों/ठेकेदारों के विरूद्ध प्रशासनिक/ संविदात्मक कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप कोटि आश्वासन कक्ष वर्ष के दौरान 185 पुराने मामलों को निपटाने में सफल हुआ और उसकी अंतिम कार्रवाई तक अच्छी संख्या हो गई।

14.8 जब कभी भी शिकायत मिली कोटि आश्वासन कक्ष/ इकाई के माध्यम से जांच की गई और आवश्यक समझे जाने पर सतर्कता इकाई द्वारा सतर्कता कार्रवाई आरंभ की गई। वर्ष के दौरान ऐसे 17 मामले जाँचे गए थे।

14.9 कार्य के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित और उपयुक्त लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोटि आश्वासन कक्ष ने एशियन गेम्सविलेज कॉम्पलेक्स में साधनों से सज्जित जांच लैब (एक सहायक अभियंता और 3 कनिष्ठ अभियंताओं सहित) बनाया हुआ है। यद्यपि फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल पर दैनिक जांच की जाती है किंतु निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर लैब में जांच कराई जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में बहुत विश्वास पैदा करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति शक्ति युक्त हो गई है और इस संबंध में संशोधित निर्देश जारी किए जा रहे हैं। बाहर के लैबों में कम–से–कम 25 प्रतिशत नमूनों को जांच के लिए देने पर बल दिया गया है। दस अन्य लैब जैसे श्री राम टैस्ट हाउस और एन.टी.एच. दिल्ली टैस्ट हाउस भी सामग्रियों की जांच के लिए अनुमोदित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की कोटि आश्वासन लैब का और भी सुधार/ विस्तार किया जा रहा है।

14.10 दि.वि.प्रा. ने नवीनतम प्रकार के लाइसेंस अर्थात् आई.एस./ आई.एस.ओ. 9001:2000 लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस.ओ. 9001:2000 की कोटि प्रबंध प्रणाली – जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंध,प्रशासन, कोटि नीति उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, साधन प्रबंधः सेवा कार्यान्वयन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देती है, की पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्यूअल में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा कर दिए जाने के बाद और बी.आई. एस. कोटि प्रबंध प्रणाली से संतुष्ट होने के बाद ही भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इन्डियन स्टैंडर्डज) ने मार्च 2010 में दि.वि.प्रा. को आई.एस./ आई.एस.ओ. 9001:2008 के लिए "कोटि प्रबंध प्रणाली" प्रमाण लाइसेंस सी.आर.ओ./ क्यू.एस.सी. / एल 8002720.1 प्रदान किया जो मार्च 2013 तक मान्य होगा।

14.11 वर्ष 2009–10 के दौरान उपलब्धियाँ और वर्ष 2010–11 हेतु लक्ष्य निम्नानुसार है :–

क्रम संख्या	विवरण	2005 – 2006	2006 – 2007	2007 – 2008	2008 – 2009	2009 – 2010	2010 – 2011 लक्ष्य
1.	निरीक्षण	366	361	268	226	443	293
2.	तकनीकी जाँच	–	12	4	–	11	14
3.	नमूने/सामग्री	477	523	508	365	268	496
4.	फाइले बंद करना	441	410	450	185	118	234
5.	शिकायतों की जाँच	9	8	21	17	25	25
6.	कोटि आश्वासन प्रयोगशाला (नमूनों की जाँच)	5,247	3,955	4,780	7,510	8,100	8,700

कोटि आश्वासन प्रयोगशाला में जाँच की संख्या में वृद्धि, सामग्री गुणवत्ता और कोटि के संबंध में अधिक जागरूकता के कारण हुई है।

इन्द्रप्रस्थ पार्क

कोटि आश्वासन कक्ष के अभियंताओं के लिए विभागीय मूल्यांकन एवं बदलाव/ जागरूकता विषयक प्रशिक्षण सत्र का एक दृश्य

16. वित्त एवं लेखा विंग

15.1 बजट अनुभाग

यह दि.वि.प्रा. के वार्षिक बजट के संकलन और जोनल केन्द्रीय लेखा इकाई कार्यालय को निधि (फंड) जारी करने संबंधी कार्य करता है। बजटीय बंटवारे के संदर्भ में यह विभिन्न शीर्षों/ परियोजनाओं पर खर्चों पर नियंत्रण रखता है। विभिन्न कार्यालयों को वर्ष 2009–10 के दौरान जारी की गई निधि (फंड) का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्र सं.	विवरण	राशि
1.	केन्द्रीय लेखा इकाइयों/स्टोर डिवीजन/ फ्लाई ओवर लॉट I एवं II को जारी निधि (फंड)।	
	क) स्टोर सहित निर्माण कार्य	99,585.60
	ख) फ्लाइओवरों (यू.डी.एफ. में से)	9,035.00
	ग) राष्ट्रमंडल खेल 2010	42,375.00
	घ) वेतन/अनुग्रह राशि इत्यादि	47,005.64
2.	अन्य विभागों को जारी निधि (फंड)	
	क) डीएमआरसी	14,746.00
	ख) एमजीएफ (फ्लैट खरीदने के उद्देश्य हेतु)	72,889.00
	कुल	2,85,636.24

15.2 लेखा अनुभाग (मुख्य)

मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्यतः प्राधिकरण के वार्षिक लेखों के संकलन के लिए उत्तरदायी है जिसमें निम्नलिखित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल है:–

i) नजूल लेखा–I

इसमें दि.वि.प्रा. द्वारा 1957 में पूर्व दिल्ली सुधार न्यास से ली गई पुरानी नजूल सम्पदा से संबंधित मामले, लेन–देन शामिल हैं।

ii) नजूल खाता–II

इसमें दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण, विकास और भूमि के निपटान से संबंधित लेन–देन शामिल है।

iii) बी–सामान्य विकास खाता

यह प्राधिकरण का मुख्य खाता है और इसमें सभी प्रकार की संपत्तियाँ जैसे कमजोर वर्गों के आवास एल.आई.जी., एम.आई.जी. एवं जिला केन्द्र इत्यादि जैसी व्यावसायिक गतिविधियाँ और प्राधिकरण की भूमि से संबंधित लेन–देन शामिल है और इन खातों के राजस्व से भुगतान किया जाता है।

जैसा ऊपर वर्णित है कि प्राधिकरण के वार्षिक खातों को संकलित करने के अतिरिक्त लेखा विभाग मुख्य लेखा आधिकारी दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में वित्त सलाहकार (आवास), निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (भूमि लागत निर्धारण) आदि सदस्यों वाली निवेश समिति की सिफारिशों के आधार पर सामान्य भविष्य निधि लेखा, पेंशन निधि ग्रेच्युटी और शहरी विकास निधि के अंतर्गत सामान्य निवेश नजूल–II के निदेश के अतिरिक्त अधिशेष निधियों के निवेश का कार्य भी देखता है।

स्थिति

(क) वार्षिक लेखा

1. वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए।

2. वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखे दिनांक 13.07.2010 को महालेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा) दिल्ली को प्रस्तुत कर दी है और महालेखा परीक्षक (लेखा परीक्षा), दिल्ली ने भी लेखा परीक्षा पूर्ण कर दी है।

(ख) 31.03.2010 को अधिशेष निधि, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन/ग्रेच्युटी निधि का निवेशः

निधि का नाम	राशि करोड़ में (रूपये)
सामान्य निधि निवेश	2500.51
नजूल लेखा–II निवेश	12034.00
सामान्य भविष्य निधि निवेश	757.86
पेंशन निधि निवेश	385.33
ग्रेच्युटी निधि निवेश	114.36
शहरी विकास निधि निवेश	1585.50
कुल	17377.56

(ग) भूमि एवं भवन विभाग को भूमि अधिग्रहण के संबंध में भूमि मुआवजे का भुगतान

सचिव भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकारी को क्षतिपूर्ति/बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के संबंध में भूमि के अधिग्रहण के लिए वर्ष 2009–10 के दौरान 324.10 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

(घ) सेवा कर

विभिन्न केन्द्रीय लेखा इकाइयों, लेखा अधिकारी (खेल), "मंडप कीपर एवं हेल्थ एण्ड फिटनेस सेन्टर" शीर्ष के अंतर्गत उगाही योग्य सेवा कर एकत्र करते हैं एवं नियमित रूप से सेवा कर विभाग को प्रेषित करते हैं। तथापि, लेखा अधिकारी (लेखा) मुख्य को दि.वि.प्रा. की ओर से अर्धवार्षिक विवरणी दाखिल करनी होती है। मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली अवधि की अर्ध वार्षिक विवरणी, देय तिथि से पहले ही दिनांक 28.04.2010 को दाखिल की जा चुकी है।

15.3 वित्त एवं व्यय अनुभाग

वित्त एवं व्यय अनुभाग, मुख्य लेखा अधिकारी शाखा के नोडल कार्यालय के रूप में अनेक निम्न मामलों में कार्य करता है :

i) लेखा कॉडर का कॉडर नियंत्रण।

ii) नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के सहयोग से दि.वि.प्रा. लेखा सेवा परीक्षा का आयोजन।

iii) वित्तीय जटिलताओं सहित विभिन्न मामलों में भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का कार्यान्वयन।

iv) वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

v) सेवा मामलों/संस्थापना मामलों के संबंध में निजी दावों/मामलों पर वित्तीय सहमति।

vi) दि.वि.प्रा. के किसी भी शाखा/अनुभाग द्वारा भेजे गये किसी भी प्रकार के मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा के निबंधन एवं शर्तो पर स्पष्टीकरण/सलाह देना।

vii) दि.वि.प्रा. के लेखा कॉडर की तैनाती एवं स्थानान्तरण।

15.4 परियोजना अनुमानों को वित्तीय अनुमोदन

निदेशक (वित्त), वित्तीय सहमति के लिए निर्माण–कार्य लेखा परीक्षा कक्ष द्वारा अनुशंसित प्रारम्भिक अनुमानों की वित्तीय जाँच और शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अन्य मामले की जाँच करने के लिए उत्तरदायी है।

दिनांक 01.04.2009 से 31.3.2010 तक जारी की गई वित्तीय सहमति की स्थिति

क्रम सं.	जोन	राशि जिसके लिए वित्तीय सहमति जारी की गई (करोड़ रूपये में)	अवधि के दौरान क्लीयर किए गए प्रारंभिक अनुमानों की संख्या	लंबित प्रकियाधीन प्रारंभिक अनुमान
1.	पूर्वी	166.09	15	1
2.	उत्तरी	1.67	2	-
3.	दक्षिणी	150.23	24	4
4.	रोहिणी	435.89	9	-
5.	द्वारका	1225.89	14	-
6.	राष्ट्रमंडल खेल	280.07	6	1
7.	विद्युत	-	-	-
8.	शहरी गाँव (सिविल)	-	-	-
9.	शहरी गाँव (विद्युत)	-	-	-
	कुल	**2259.84**	**70**	**6**

15.5 निर्माण कार्य लेखा परीक्षा कक्ष

क) निर्माण कार्य लेखा परीक्षा कक्ष सभी सात जोनों अर्थात पूर्वी जोन, दक्षिणी जोन, उत्तरी जोन, रोहिणी जोन, द्वारका जोन, फ्लाई ओवर जोन और राष्ट्र मंडल खेल के मासिक लेखा के साथ जमा किए गए वाउचरों की लेखा के बाद (पोस्ट ऑडिट) का कार्य देखता है।

ख) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति के लिए प्रारंभिक अनुमान को वित्तीय सहमति

ग) डब्ल्यू.ए.वी. कार्य सूची मदों की जाँच।

स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी में झील का एक दृश्य

दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक अवधि के लिए निर्माण कार्य लेखा–परीक्षा कक्ष I/II/III स्थिति (स्टेट्स) रिपोर्ट

क्रम सं.	विवरण	कार्य-I	कार्य-II	कार्य-III	कुल
1.	माध्यस्थता मामलों की संख्या, जिन पर कार्रवाई की गई	37	65	18	120
2.	डब्ल्यू.ए.बी. मदों की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई	74	29	10	113
3.	पी.ई./आर.पी.ई. की संख्या जिन पर कार्रवाई की गई	48	14	60	122
4.	पेंशन मामले, जिन पर कार्रवाई की गई	1439	1820	1775	5084
5.	विविध	20	35	-	55
	कुल	**1618**	**2013**	**1863**	**5494**

15.6 दि.वि.प्रा. का पेंशन कक्ष

दि.वि.प्रा. के पास प्राधिकरण के कर्मचारियों के पेंशन मामलों/पारिवारिक पेंशन मामलों को सक्षम प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई हेतु केन्द्रीयकृत पेंशन कक्ष है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में 717 पेंशन मामलों को निपटाया गया एवं पी.पी.ओ जारी किए गए।

15.7 चिकित्सा कक्ष

यह अनुभाग दि.वि.प्रा. चिकित्सा योजना की नीतियों के अलावा हिताधिकारियों के प्रतिपूर्ति दावों की कार्रवाई के कार्य को देखता है जिनमें बहिरंग और अन्तरंग उपचार के संबंध में मुख्यालय में तैनात (क, ख, ग और घ) कर्मचारी शामिल हैं। दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक की अवधि के चिकित्सा दावो की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्र. सं.	दावे का प्रकार	दावों की सं.	राशि (रूपयों में)
1.	अन्तरंग इलाज	1099	1,94,21,465.00
2.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ओ.पी.डी. दावे	6867	3,06,22,386.00
3.	समूह 'क' एवं 'ख' सेवारत अधिकारियों के ओ.पी.डी. दावे	1487	55,42,283.00
4.	समूह 'ग' एवं 'घ' सेवारत कर्मचारियों के ओ.पी.डी. दावे	449	14,98,51.00
5.	विशेष बीमारी दावे	1044	56,64,344.00
	कुल	**10946**	**6,27,48,988.00**

15.8 संस्थापना अनुभाग

संस्थापना अनुभाग अर्थात् संस्थापना (राजपत्रित), संस्थापना (अराजपत्रित) वेतन एवं लेखा अधिकारी (ई. डब्ल्यू.) एवं लेखा अधिकारी (पी.ई), मुख्यालय (विकास सदन और विकास मीनार) में तैनात प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पुस्तिका का रखरखाव, वेतन बिलों को तैयार करना और दूसरे निजी दावों के अतिरिक्त संबंधित स्टाफ के जी.पी.एफ. लेखों के रखरखाव का कार्य देखता है।

15.9 जी.आई.एस अनुभाग

जी.आई.एस., पी.ए.आई.पी और बी.एफ. से जुड़े दावों के कार्यों को देखती है। ये अदायगी उन कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को की जाती है जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई हो। योजना की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

1) समूह बीमा योजना:– जी.आई.एस. शाखा को आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जाँच इस उददेश्य के लिए निर्धारित जाँच सूची के अनुसार की जाती है एवं मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान जारी करने के लिए एल.आई.सी. को अग्रेषित कर दी जाती है।

2) व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी:– व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी कर्मचारी की दुर्घटना मृत्यु या दुर्घटना के कारण अक्षमता के मामलों को कवर करती है। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा जी.आई.एस. शाखा को आवश्यक दस्तावेज अग्रेषित किए जाते है। जाँच सूची के अनुसार दावों की जाँच की जाती है और कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारी के पी.ए.आई.पी दावों की अदायगी हेतु 02.04.09 से नेशनल इंश्योरेंस क.लि. को अग्रेषित किया जाता है। 02.04.09 से पहले पी.ए.आई.पी दावों की अदायगी दि.वि.प्रा. द्वारा दि.वि.प्रा. निधि (फंड) से की जाती थी।

डी–ब्लॉक, विकास सदन के स्वागत कक्ष में सूचना कियोस्क

3) हितकारी निधिः– जी.आई.एस शाखा हितकारी निधि अदायगी उन कर्मचारियों को करती है जो प्रतिनियुक्ति आधार पर स्लम एवं जे जे, एम.सी.डी और आई.एस.बी.टी में कार्यरत हैं। दि.वि.प्रा. के दूसरे कर्मचारियों को हितकारी निधि की अदायगी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा की जाती है।

4) दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक अवधि के दौरान जी.आई.एस शाखा द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	शीर्ष	31.03.10 तक मामलों में किया गया भुगतान	कार्रवाईधीन मामलों की संख्या
1.	समूह बीमा योजना (जी.आई.एस)	181	57
2.	पी.ए.आई.पी.	09	03
3.	हितकारी निधि (बी.एफ.)	02	शून्य

15.10 आकस्मिक व्यय अनुभाग

यह अनुभाग आकस्मिक प्रकृति के भुगतान अर्थात् टेलीफोन बिल, लेखन सामग्री बिल, स्टाफ कारों (पेट्रोल/डीजल सहित) की मरम्मत एवं रख रखाव के बिल, भ्रमण/प्रशिक्षण बिल आदि के भुगतान के कार्य को देखता है।

15.11 आंतरिक निरीक्षण अनुभाग

सक्षम प्रधिकारी ने लेखा परीक्षा कार्यक्रम के आधार पर वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया। लेखा परीक्षा कार्यक्रम तीन महीनों में अनुमोदित किए जाते हैं।

अनुभाग का नाम	लेखा परीक्षा करने हेतु लक्ष्य		की गई लेखा परीक्षा की उपलब्धियाँ
आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष	एच.क्यू. इकाइयों की संख्या	23	23
	फील्ड इकाईयों की संख्या	37	37
	कुल इकाइयां	60	60

स्वर्ण जयन्ती पार्क, रोहिणी स्थित झील के मध्य में एक झरना

दिनांक 01.4.09 से 30.6.09 तक प्रथम तिमाही में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को लागू करने के परिणाम स्वरूप वेतन निर्धारण हेतु आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया।

वर्ष 2009–10 के दौरान 60 इकाइयों में नकदी की अचानक जाँच की गई।

15.12 बाह्य लेखा परीक्षा कक्ष

वर्ष 2009–10 के दौरान बाह्य लेखा परीक्षा कक्ष की निम्नलिखित उपलब्धियाँ रही हैः–

1) **पी.ए.सी./सी.ए.जी./ड्राफ्ट पैरा/स्टेटमैंट ऑफ फैक्टस**

वर्ष 2009–10 के दौरान 2 पी.ए.सी. पैरा के संबंध में आगे की टिप्पणियों के उत्तर, 15 सी.ए.जी. पैरा के संबंध में आगे की टिप्पणियों के ए.टी.एन/उत्तर, 13 ड्राफ्ट पैरा के संबंध में उत्तर और 22 तथ्यों के विवरण के संबंध में उत्तर मंत्रालय/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), दिल्ली को भेज दिए गए हैं।

2) **प्राधिकरण के वार्षिक लेखों पर लेखा–परीक्षा रिपोर्ट**

1. प्राधिकरण के वर्ष 2007–08 के वार्षिक लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट मंत्रालय को संसद में प्रस्तुत करने से पहले इस वर्ष 02.07.2009 (अंग्रेजी रूप) दिनांक 12.11.2009 (हिन्दी रूप) को भेज दी गई। इन्हें दिनांक 04.12.2009 को लोकसभा में और दिनांक 21.12.2009 को राज्यसभा पटल पर प्रस्तुत किया गया।

2. प्राधिकरण के वर्ष 2008–09 के वार्षिक लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस वर्ष के दौरान दिनांक 26.02.2010 को मंत्रालय को भेज दी गई (अंग्रेजी हिन्दी दोनों रूपों में)। इन्हें दिनांक 16.03.2010 को लोकसभा और दिनांक 16.04.2010 को राज्यसभा पटल पर प्रस्तुत किया गया।

15.13 भूमि लागत– निर्धारण शाखा

15.13.1 पूर्व निर्धारित दरों का निर्धारण

वर्ष 2010–11 के लिए पूर्व निर्धारित दरों के नियतन के उददेश्य से दर संरचना, रोहिणी फेज–I, II एवं III तथा द्वारका के विकसित क्षेत्रों के संबंध में प्लॉटों/फ्लैटों के आवंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन विश्लेषित की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया।

15.13.2 लागत लाभ विश्लेषण

वर्ष 2010–11 के लिए नरेला, टीकरी कलां और रोहिणी फेज–IV एवं V के संबंध में लागत लाभ विश्लेषण से संबंधित कार्य को अंतिम रूप दिया और वित्तीय, वर्ष 2010–11 के आरंभ होने के पहले दि.वि.प्रा. के उपाध्यक्ष से अग्रिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। कार्यावली मदों की भी पुष्टि की गई और उन्हें प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रधान आयुक्त एवं सचिव को प्रस्तुत किया गया।

15.13.3 अन्य महत्वपूर्ण मदें/उपलब्धियां

क) मुख्य योजना–2021 की अधिसूचना के साथ ही उपयोग परिवर्तन प्रभार लेने की दर–संरचना, दि.मु.यो.–2021 के परिणामस्वरूप होटलों सहित विभिन्न उपयोगों के लिए अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्रभार तैयार किए गए तथा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराए गए। तदनुसार इसके अनुमोदन के लिए आवश्यक प्रस्ताव अधिसूचना जारी करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को भेजे गए हैं। मंत्रालय ने वर्ष 2009–10 के लिए अपना अनुमोदन पहले ही प्रेषित कर दिया है।

ख) वर्ष 2010–11 के लिए आबादकारों/ अनाधिकृत कब्जाधारियों से वसूल किए जाने के लिए क्षतिपूर्ति की दरों को उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया। प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कार्यावली मदों को भी प्रधान आयुक्त एवं सचिव को प्रस्तुत किया गया।

ग) एक महत्वपूर्ण मामला जो 25 वर्षों से अधिक निर्माण में देरी हेतु संघटन शुल्क वसूली की आधारिक दर से जुड़ा है, की भूमि निपटान शाखा के परामर्श से जाँच कराई गई और उप राज्यपाल के अनुमोदन से दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव निर्धारित किया गया है। तदनुसार, इस मामलें को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष रखा गया। उपर्युक्त को अनुमोदित किया गया और इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया।

घ) मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के संबंध में वर्ष 2009–10 के लिए परिवर्तन प्रभार के आंकलन हेतु बाजार दर निर्धारित करने के मामले पर निर्णय लिया गया और दरें अनुमोदित एवं परिचालित की गई।

ङ) **सांस्थानिक भूमि प्रीमियम की दरों का परिशोधन**

वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिए सांस्थानिक भूमि प्रीमियम के निर्धारण हेतु कार्यावली दिनांक 03.06.2009 को अपनी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की और प्रस्तावित दर ढाँचे को प्राधिकरण ने अनुमोदित किया। तदनुसार दरों का अनुमोदन जैसा प्राधिकरण के संकल्प संख्या 2/2009 में शामिल है, का संदर्भ मंत्रालय को भेजा गया। मंत्रालय अपना अनुमोदन व्यक्त कर चुका है और मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दरों को कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया गया है।

च) **गैस गोदाम के संबंध में लाइसेंस शुल्क**

वर्ष 2009–10 के लिए गैस गोदाम के संबंध में लाइसेंस शुल्क निर्धारण हेतु मामला प्राधिकरण के अनुमोदन से निर्धारित किया गया और लाइसेंस शुल्क वसूली हेतु दरों की संरचना परिचालित की गई।

15.13.4 दुरूपयोग प्रभारों के लिए वसूली कार्य पद्धति

कार्य पद्धति में संशोधन से संबंधित मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन रहा और माननीय उपराज्यपाल के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि अनुमेय आच्छादित क्षेत्र को एफ.ए.आर. के रूप में लिया जाए न कि भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा अपनायी जा रही पद्धति पर भू–अच्छादन क्षेत्र को। इस प्रकार दुरूपयोग प्रभारों की वसूली की कार्य पद्धति को एक तर्कसंगत बना दिया गया है। अंततः इससे आवेदकों को पर्याप्त राहत मिलेगी।

15.13.5 भू–भाटक/ लाइसेंस शुल्क की वसूली

जहाँ तक भू–भाटक की वसूली का संबंध है चूक कर्ता आवंटितियों को 8200 चूक नोटिस जारी किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की इसी अवधि में वसूल की गई 62.13 करोड़ रूपये की राशि की तुलना में इस वर्ष 63.89 करोड़ रूपये के भू–भाटक की वसूली करना संभव हुआ है। इसी तरह वर्ष के दौरान 55.15 करोड़ रूपये की राशि लाइसेंस शुल्क के रूप में वसूल की गई है।

द्वारका में पार्क का एक दृश्य

कुतुब के आस–पास विकसित हरित क्षेत्र

खेल गाँव स्थित मनोरंजनात्मक जोन

श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा., विकास सदन में मनोरंजन केन्द्र का उद्घाटन करते हुए

श्री अशोक कुमार, उपाध्यक्ष दि.वि.प्रा. उद्घाटन के पश्चात्
विकास सदन स्थित व्यायामशाला का निरीक्षण करते हुए

श्री नंद लाल, वित्त सदस्य दि.वि.प्रा. डीडीए ट्रैकिंग कार्यक्रम–2009'
के समारोह में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए